IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

August 2021
Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

IN NEW AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources

Be a Topper by joining Baba's GURUKUL for UPSC/IAS - 2022

IAS BABA

A Rigorous & Intensive Test Based Program under the Overall Guidance of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

- One-to-One Mentorship with our experienced mentors
- Integrated (Prelims + Mains+ Interview) Course - Duration of 8 Months - October 2021 to May 2022.
- Total 138 Tests - 75 MAINS Tests + 63 PRELIMS Tests (including 10 CSAT)
- Approach/Strategy/Discussion Classes - Prelims and Mains
- Strong Peer Group and dedicated Study Centre
- VAN for each Topic - covers both Prelims and Mains
- Babapedia (Prelimspedia + Mainspedia)

Gurukul Entrance Test - October 16th

Register Now

विषय वस्तु

राज्यव्यवस्था एवं शासन

- दलित बंधु योजना
- उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना (ADIP योजना)
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- 'आदि-प्रशिक्षण पोर्टल' का शुभारंभ
- राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 433A से अधिक है: सुप्रीम कोर्ट
- 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान
- MPLADS (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) योजना
- CJI ने आंध्र-तेलंगाना मामले से खुद को अलग किया
- संवैधानिक (127वाँ) संशोधन विधेयक, 2021
- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
- पीएम-दक्ष' पोर्टल तथा मोबाइल ऐप
- उज्जवला 2.0
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
- "सीखो और कमाओ" योजना
- सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
- उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजानिक करने के लिए पार्टियों को मिले 48 घंटे
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)
- होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग
- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना
- पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
- अल्पसंख्यक संस्थान और आरटीई: एनसीपीसीआर सर्वेक्षण
- सोनचिरैया
- सर अरोमा मिशन (SIR Aroma Mission)
- फोर्टिफाइड चावल
- तपस पहल
- बिहार और झारखंड का कोटा लाभ
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना
- ई-श्रम पोर्टल
- चकमा और हाजोंग (Chakma and Hajong)
- केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया
- बीएच-श्रृंखला
- दत्तक ग्रहण, धर्म की सीमाओं में सीमित नहीं है: दिल्ली उच्च न्यायालय

अर्थव्यवस्था

- व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने विस्कोस पर डंपिंग रोधी शुल्क वापस लेने की सिफारिश की
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
- राष्ट्रीय डेयरी योजना

- खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी)
- वाहन परिमार्जन नीति
- वित्तीय समावेशन सूचकांक
- प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन सम्मिश्रण
- जीएम सोयामील के इंपोर्ट
- पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान
- केंद्र ने RoDTEP योजना दिशानिर्देशों और दरों को अधिसूचित किया
- तेल बांड
- ग्रीन बांड
- इंटरनेशनल बुलियन
- एक्सचेंज
- भारत का ऊन क्षेत्र
- मारुति सुजुकी पर CCI ने लगाया 200 करोड़ रुपये का जुर्माना
- उभरते सितारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड
- वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, 2021
- RBI द्वारा टोकनाइजेशन

पर्यावरण

- ज़िका वायरस
- ड्रैगन फ्रूट
- बांधों को सुरक्षित और लोचदार बनाना
- मिनरवेरिया पेंटालि
- स्काईग्लो- प्रकाश प्रदूषण
- असम में 5 साल में 22 गैंडों का किया गया शिकार
- करेज़ (Karez') सिंचाई प्रणाली
- चार और रामसर साइटें
- राष्ट्रीय जीन बैंक
- पतला लोरिस (Slender loris)
- किगाली संशोधन
- असम संग्रहीत गैंडे के सींगों को नष्ट करेगा
- दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य
- सीसा युक्त पेट्रोल पर रोक: UNEP

स्वास्थ्य

- हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट: FAO-WFP
- अनुकूली प्रतिक्रिया (Adaptive Response)
- ध्यानचंद पुरस्कार
- मारबर्ग वायरस
- वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण
- डेल्टा संस्करण के फैलने पर चीन ने पहले मिश्रित वैक्सीन परीक्षण को मंजूरी दी
- बुजुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता सूचकांक
- देश का पहला mRNA बेस्ड टीका

- चिकनगुनिया वैक्सीन
- न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन
- बीसीजी वैक्सीन: 100 साल और गिनती
- वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण

कला और संस्कृति

- भारतीय विरासत संस्थान
- मदुर मैट
- उत्तराखंड के नारायणकोटि मंदिर को केंद्र की 'धरोहर गोद लें' (Adopt a Heritage) परियोजना
- सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा
- श्री नारायण गुरु

आंतरिक सुरक्षा

- स्वदेशी विमानवाहक पोत 'विक्रांत'
- अवैध प्रवासियों पर नीति
- विदेशियों के न्यायाधिकरण
- असम के दीमा हसाओ में उग्रवाद

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF)-2021
- असाइन किए गए नाम और नंबर के लिए इंटरनेट कॉर्पोरेशन (ICANN)
- जापान का 2029 तक मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने वापस लाने का लक्ष्य
- युक्तधारा पोर्टल
- दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टॉवर
- क्यूसिम टूलकिट (QSim Toolkit)

अंतरराष्ट्रीय

- भारत ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की
- गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देगा पाकिस्तान
- व्यायाम तावीज़ कृपाण (Exercise Talisman Sabre)
- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन
- अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच
- लोकतंत्र शिखर सम्मेलन
- अल - मोहम्मद अल – हिंदी
- कांग्रेस का स्वर्ण पदक
- 'यूनाइट अवेयर' प्लेटफॉर्म
- फतह-1 (Fatah-1)
- KAZIND-21
- बाल-केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक : यूनिसेफ

मुख्य फोकस (MAINS)

- ई-आरयूपीआई (e-RUPI)
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
- क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा
- बिजली संशोधन बिल 2021
- एक नारीवादी लेंस (lens) के माध्यम से झूठी खबर

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का पेटेंट
- शहरी नौकरियों का सुरक्षा जाल
- कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021
- ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर एंटी-ट्रस्ट जांच
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)
- फेसिअल रिकग्निशन (Facial Recognition)
- जाति जनगणना
- 'क्रीमी लेयर' और आरक्षण से बहिष्कार
- भूल जाने का अधिकार
- वैवाहिक बलात्कार: महिलाओं के लिए एक अपमान
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना- उद्यमियों के लिए वरदान
- इंडो-पैसिफिक में व्यापार में वापस आना
- नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य पर्याप्त नहीं हो सकता है
- जीवाश्म ईंधन और नीतिगत दुविधा
- फ्लोरिडा में लाल ज्वार
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर प्रगति
- भारत-नेपाल बाढ़ प्रबंधन
- भारत के स्कूली बच्चों को उनके बचपन की जरूरत है
- अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट
- सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
- वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण
- जलवायु परिवर्तन और भारत पर IPCC की रिपोर्ट
- तालिबान का कब्जा: भारत पर प्रभाव
- जनगणना (Census)
- जनहित और मुक्त भाषण पर प्रतिबंध
- भारत-अमेरिका संबंध: अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा

प्रैक्टिस MCQs

दलित बंधु योजना	• दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार का नवीनतम प्रमुख कार्यक्रम है। • दलित परिवारों को सशक्त बनाने के लिए एक कल्याणकारी योजना के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। • इस योजना के तहत दलित परिवारों को सशक्त बनाने और प्रति परिवार 10 लाख रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनमें उद्यमशीलता को सक्षम किया जाएगा। • तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि "दलित बंधु के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता मुफ्त है। यह ऋण नहीं है। इसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें किसी बिचौलिए की संभावना नहीं है। पात्र लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सहायता मिलेगी। • योजना के तहत लाभार्थी और सरकार की भागीदारी से एक 'सुरक्षा कोष' बनाया जाएगा। यदि लाभार्थी के साथ अचानक कोई घटना होती है, तो इस कोष से सहायता दी जाएगी। • इस निधि का प्रबंधन संबंधित जिला कलेक्टर के साथ-साथ लाभार्थियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा। • इस निधि के लिए लाभार्थी द्वारा न्यूनतम राशि जमा की जाएगी। • लाभार्थी को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के साथ एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जो सरकार को योजना की प्रगति की निगरानी करने में मदद करेगा। • आधार पर लागू होने के बाद यह देश की सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण योजना होगी।
उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना (ADIP योजना)	• **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य विकलांगों के टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है। • इससे दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के साथ- साथ उनकी समाजिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर उनका आर्थिक विकास किया जा सकता है। • **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संघटनों (NGOs), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम- एलिम्को (ALIMCO) जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। **पात्रता:** निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति पात्र है: • किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक। • उसके पास 40 प्रतिशत या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो। • मासिक आय 20000 रुपए से अधिक न हो। • आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय 20000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। • इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्हें पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों से इस तरह की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये यह सीमा 1 वर्ष होगी।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना	• राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में देश के वृद्धजनों को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो और निर्धन लोगो को केंद्र सरकार द्वारा जीवन सहायक उपकरण जैसे मुफ्त में व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराये जायेंगे। • **वित्त पोषण:** केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इस योजना के क्रियान्वयन का खर्च "वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष" से वहन किया जाएगा। • प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपायुक्त/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति के माध्यम से की जाएगी। जहां तक संभव हो, प्रत्येक जिले में 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी।
निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	**सुर्ख़ियों में :** हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि एक निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब बंदी के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। • यह भी कहा गया है कि राज्य को सभी और विविध "कानून और व्यवस्था" समस्याओं से निपटने के लिए

	मनमाने ढंग से "निवारक निरोध" का सहारा नहीं लेना चाहिए, जिससे देश के सामान्य कानूनों से निपटा जा सकता है। • इसलिये निवारक निरोध अनुच्छेद 21 (कानून की उचित प्रक्रिया) के दायरे में आना चाहिये और इसे अनुच्छेद 22 (मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा) तथा विचाराधीन कानून के साथ पढ़ा जाना चाहिये। **निवारक निरोध** • यह किसी व्यक्ति को और अपराध करने से रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कारावास है। • अनुच्छेद 22(3) - यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, तो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। • निवारक निरोध के तहत एक बंदी को अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। • निवारक निरोध के लापरवाह उपयोग को रोकने के लिए, संविधान में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं: • किसी व्यक्ति को पहली बार में केवल 3 महीने के लिए निवारक हिरासत में लिया जा सकता है। • बंदी को अपनी नजरबंदी के आधार जानने का अधिकार है। • हिरासत में लिए जाने वाले अधिकारियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके नजरबंदी के खिलाफ अभ्यावेदन देने के लिए जल्द से जल्द अवसर देना चाहिए।
'आदि-प्रशिक्षण पोर्टल' का शुभारंभ	**खबरों में:** जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) ने 'आदि-प्रशिक्षण पोर्टल' का शुभारंभ किया है। • यह जनजातीय मामले के मंत्रालय और और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा वित्त पोषित उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। **पोर्टल के बारे में** • इसे सरकारी पदाधिकारियों, ST PRI सदस्यों, शिक्षकों, SHG महिलाओं, युवा और जनजातीय समुदायों की क्षमताओं (ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण के संदर्भ में) को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। • इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आदिवासी विकास पर शुरू से अंत तक केंद्रीकृत ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्रशिक्षण मंच बनाना है जो प्रशिक्षण आयोजकों, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षण सामग्री को एक साथ एक जगह पर लाए।
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 433A से अधिक है: सुप्रीम कोर्ट	**खबरों में:** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के राज्यपाल कैदियों को माफ कर सकते हैं, जिनमें मृत्युदंड भी शामिल है, इससे पहले कि उन्होंने कम से कम 14 साल की जेल की सजा काट ली हो। • धारा 433A में कहा गया है कि कैदी की सजा केवल 14 साल की जेल के बाद ही माफ किया जा सकता है। • फैसले के अनुसार, क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 433A के प्रावधान को खत्म कर देती है। • यह भी नोट किया गया कि संहिता की धारा 433A किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल को क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। **क्या आप जानते हैं?** • राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों में क्षमादान दे सकते हैं जो राज्य के कानून से संबंधित हैं न कि केंद्रीय कानून से। • कोर्ट-मार्शल जैसे सैन्य नियमों से संबंधित मामलों पर राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, हालांकि राष्ट्रपति उन्हें क्षमा या बदल भी सकते हैं।
'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान	**सुर्खियों में :** ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए 2 अक्तूबर, 2018 को 'लोगों की योजना अभियान' (People's Plan Campaign) को 'सबकी योजना, सबका विकास' के रूप में शुरू किया गया। यह अभियान 31 दिसंबर, 2018 तक जारी रहेगा। • इसे 2018 और 2019 में भी इतनी ही अवधि के लिए लॉन्च किया गया । **उद्देश्य :**

	• निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाना। • 2020-21 में हुई प्रगति का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन और XI अनुसूची के सभी 29 विषयों में 2021-22 के प्रस्ताव (73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया)। • योजनाओं, वित्त आदि पर सार्वजनिक प्रकटीकरण। • पर्यवेक्षकों को शामिल करते हुए संरचित ग्राम सभा के माध्यम से 2021-22 के लिए समावेशी, भागीदारी और साक्ष्य आधारित GPDP की तैयारी के लिए।
MPLADS (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) योजना **या** **सांसद निधि योजना**	**खबरों में :** 2020-21 में चल रही MPLADS परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटित 2,200 करोड़ रुपए का लगभग आधा बस समाप्त हो गया, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) को धन जारी करने के लिए "मुश्किल से एक सप्ताह" का समय दिया। **MPLADS के बारे में** • वर्ष 1993 में शुरू की गई, यह सांसदों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • **उद्देश्य:** स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाना। • **मूल निकाय:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI)। • **राशि :** 5 करोड़ रुपए / वर्ष / एमपी - योजना के तहत गैर-व्यपगत हैं। • अनुदान सहायता के रूप में सीधे जिला प्राधिकारियों को जारी किया जाता है। • सांसदों की केवल अनुशंसात्मक भूमिका होती है और जिला प्राधिकरण के कार्यों की पात्रता की जांच करने, कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करने और इसकी निगरानी करने का अधिकार है।
CJI ने आंध्र-तेलंगाना मामले से खुद को अलग किया	**मामले की पृष्ठभूमि** • उल्लेखनीय है कि जुलाई में आंध्र प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में दावा किया था कि तेलंगाना सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के तहत गठित सर्वोच्च परिषद द्वारा लिए गए फैसलों, इस अधिनियम के तहत गठित कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) व केंद्र के निर्देशों को मानने से इन्कार कर दिया। • याचिका में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का "गंभीर रूप से उल्लंघन" किया गया क्योंकि तेलंगाना सरकार उन्हें "असंवैधानिक, अवैध और अन्यायपूर्ण" कृत्यों के कारण उनके "पानी के वैध हिस्से" से वंचित किया। **एपेक्स काउंसिल क्या है?** • यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (APRA), 2014 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। • यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। • इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। **कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) क्या है?** • कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। • **उद्देश्य:** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृष्णा बेसिन में पानी का प्रबंधन और विनियमन करना। • KRMB का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में होगा।
संवैधानिक (127वाँ) संशोधन विधेयक, 2021	**सुर्खियों में:** 102वें संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिये सरकार पिछड़े वर्गों की पहचान कर राज्यों की शक्ति को बहाल करने हेतु संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। • भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग ओबीसी सूचियाँ तैयार की जाती हैं। अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) ने राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने तथा घोषित करने के लिये स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान की। • मराठा आरक्षण के अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 102वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखने के पश्चात् संशोधन की आवश्यकता बताई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिशों के आधार पर यह निर्धारित करेगा कि राज्य ओबीसी सूची में कौन से समुदायों को शामिल किया जाएगा। **2018 का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम?**

	• इसमें अनुच्छेद 342 के बाद भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेदों 338B और 342A को जोड़ा गया। • अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। • अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। • संवैधानिक (127 वां) संशोधन विधेयक, 2021 के बारे में: • यह अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा और एक नया खंड 3 भी प्रस्तुत करेगा। • विधेयक अनुच्छेद 366 (26c) और 338B (9) में भी संशोधन करेगा। ○ इसकी परिकल्पना यह स्पष्ट करने के लिये की गई है कि राज्य OBC श्रेणी की "राज्य सूची" को उसी रूप में बनाए रख सकते हैं जैसा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले थी। ○ अनुच्छेद 366 (26c) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है। ○ "राज्य सूची" को पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा और राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021	**सुर्खियों में :** हाल ही में लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को बिना किसी चर्चा के पारित किया गया। **केंद्रीय विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक, 2021 के बारे में** • सरकार ने उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। • इस समय लद्दाख में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। • नए विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। • सरकार ने इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिससे 2500 छात्र लाभान्वित होंगे।
पीएम-दक्ष' पोर्टल तथा मोबाइल ऐप	**पोर्टल और ऐप के बारे में** • **द्वारा विकसित:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, NeGD (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन) के सहयोग से • इसका उद्देश्य लक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा सफाई कर्मचारियों के लिये कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना तथा उनके कौशल विकास से संबंधित सभी सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। **प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही (The Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi : PM-DAKSH) योजना के बारे में** • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020-21 से चलाई जा रही है। • इस योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूहों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। ○ अप-स्किलिंग/रीस्किलिंग ○ अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ○ दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ○ उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP)
उज्जवला 2.0	**उज्ज्वला 1.0** • इसे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। • उज्जवला 1.0 की शुरुआत 2016 में की गई थी, जिसके दौरान BPL परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को जमा-मुक्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। • इसके बाद योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात और श्रेणियों (SC/ST, PMAY, AAY, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी आदि) से महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था। • चूल्हे एवं रिफिल की लागत के लिए EMI की सुविधा भी प्रदान की जायेगी। • यह प्रधानमंत्री के गिव इट अभियान के मानार्थ है जिसके तहत 75 लाख मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों नें स्वेच्छा से अपने रसोई गैस सब्सिडी को छोड़ दिया है। • इस लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ LPG कनेक्शन कर दिया गया और लक्ष्य की तारीख से सात महीने

<table>
<tr><td></td><td>पहले अगस्त 2019 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया।
उज्ज्वला 2.0
• वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में PMUY योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई।
• इस एक करोड़ अतिरिक्त PMUY कनेक्शन (उज्ज्वला 2.0 के तहत) का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को जमा-मुक्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें PMUY के पहले चरण के तहत कवर नहीं किया किया गया।
• जमा मुक्त LPG कनेक्शन के साथ, उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल और हॉटप्लेट (स्टोव) मुफ्त प्रदान करेगी।
• और साथ ही नामांकन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी।
• अब प्रवासियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
• 'पारिवारिक घोषणा' और 'पते के प्रमाण' दोनों के लिए एक स्व-घोषणा पर्याप्त होगी। उज्ज्वला 2.0 LPG तक सार्वभौमिक पहुंच के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगी।</td></tr>
<tr><td>संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021</td><td>• यह विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।
• अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक पेश किया गया है।
• यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर जनजाति को हटाता है।
• इसके अलावा, यह कुछ एसटी को अन्य जनजातियों के साथ बदल देता है।
इस विधेयक के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित परिवर्तन
<table><tr><th>मूल सूची</th><th>विधेयक के तहत प्रस्तावित परिवर्तन</th></tr><tr><td>एबोर</td><td>सूची से हटा दिया गया</td></tr><tr><td>खम्पती</td><td>ताई खामती</td></tr><tr><td>मिश्मी, इदु और तारोणि</td><td>मिश्मी-कमान (मिजू मिश्मी), इडु (मिश्मी) और तरों (दिगारू मिश्मी)</td></tr><tr><td>मोम्बा</td><td>मोनपा, मेम्बा, सरतांग और सजोलंग (मिजी)</td></tr><tr><td>कोई भी नागा जनजाति</td><td>नोक्टे, तांगसा, तुत्सा और वांचो</td></tr></table>• अनुच्छेद 342 के तहत संविधान राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों (STs) को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
• इसके अतिरिक्त संविधान संसद को अधिसूचित एसटीज़ की सूची में बदलाव करने की अनुमति देता है।</td></tr>
<tr><td>"सीखो और कमाओ" योजना

द्वारा: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय</td><td>• यह अल्पसंख्यकों (14 - 35 वर्ष के युवा) के लिए एक कौशल विकास केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना, मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोजगार क्षमता में सुधार करना है।
• पिछले 7 वर्षों में लगभग इस रोजगारोन्मुखी योजना से 3.92 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।
• यह 75% प्लेसमेंट सुनिश्चित करता है, जिसमें से 50% संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।
• पोस्ट प्लेसमेंट सहायता रु. 2000/- प्रति माह प्लेसमेंट सहायता के रूप में दो महीने के लिए नियुक्त प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021</td><td>• विधेयक सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में संशोधन करना चाहता है।
• एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) एक साझेदारी फर्म और एक कंपनी का एक संकर मॉडल है, जिसमें कुछ या सभी भागीदारों (अधिकार क्षेत्र के आधार पर) की सीमित देनदारियाँ हैं।
• एलएलपी में प्रत्येक पार्टनर दूसरे पार्टनर के दुराचार या लापरवाही के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
• एलएलपी में भागीदार केवल पूंजी में उनके द्वारा पूर्व में सहमत योगदान की सीमा तक ही उत्तरदायी होते हैं।
• वे अन्य भागीदारों के किसी भी अनधिकृत कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं हैं।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं?
• कुछ अपराधों को अपराध से मुक्त किया गया: बिल प्रावधानों को अपराध से मुक्त करके एक मौद्रिक जुर्माना लगाता है: (i) LLP के भागीदारों में परिवर्तन, (ii) पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन, (iii) अकाउंट और सॉल्वेंसी का विवरण दाखिल करना; (iv) LLP और उसके लेनदारों या भागीदारों के बीच व्यवस्था और LLP का पुनर्निर्माण या समामेलन।</td></tr>
</table>

	• **LLP के नाम में बदलाव:** यह बिल केंद्र सरकार को जुर्माना लगाने के बजाय ऐसे LLP को एक नया नाम आवंटित करने का अधिकार देता है। • **धोखाधड़ी के लिए सजा:** बिल के तहत, यदि कोई एलएलपी या उसके सहयोगी अपने लेनदारों को धोखा देने के लिए कोई गतिविधि करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जानबूझकर पांच साल तक की कारावास की अधिकतम अवधि के लिए दंडनीय है। • **ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन न करना:** बिल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के एक आदेश के गैर-अनुपालन के अपराध को हटा दिया है। • **अपराधों की कंपाउंडिंग:** बिल में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक क्षेत्रीय निदेशक (या उसके पद से ऊपर का कोई भी अधिकारी) ऐसे अपराधों को कंपाउंड कर सकता है जो केवल जुर्माने के साथ दंडनीय हैं। इसमें लगाई गई राशि अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम जुर्माने के भीतर होनी चाहिए। • **निर्णायक अधिकारी:** विधेयक के अंतर्गत केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत दंड देने के लिए निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। ये केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे जो रजिस्ट्रार के पद से नीचे के नहीं होंगे। • **विशेष अदालतें:** यह बिल केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अपराधों की जल्दी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की अनुमति देता है। • **अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील:** NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के पास है। साथ ही पार्टियों की सहमति से पारित किए गए आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। और आदेश के 60 दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए (जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)। • **छोटा LLP:** बिल एक छोटे एलएलपी के गठन का प्रावधान करता है जहां: (i) भागीदारों से 25 लाख रुपये तक का योगदान (5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है), (ii) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कारोबार कारोबार का आकार 40 लाख से 50 करोड़ तक रुपये से बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार कुछ एलएलपी को स्टार्ट-अप एलएलपी के रूप में भी अधिसूचित कर सकती है। • **लेखांकन के मानक:** इस बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से एलएलपी की कक्षाओं के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा के मानकों को निर्धारित कर सकती है।
उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजानिक करने के लिए पार्टियों को मिले 48 घंटे	**सुर्खियों में :** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को चेतावनी दी कि राजनीति में अपराधियों के आगमन से देश धैर्य खो रहा है। • इसने प्रमुख राजनीतिक दलों पर पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत को मतदाताओं से छिपाने के लिए जुर्माना भी लगाया। **प्रमुख बिंदु** • अदालत ने राजनीतिक दलों को 48 घंटों के भीतर 'आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार' शीर्षक के तहत अपनी वेबसाइट के होमपेज पर अपने चुनावी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का निर्देश दिया। • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय वर्ष 2018 के 'पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ' (Public Interest Foundation vs Union of India) मामले में गठित एक संवैधानिक पीठ के फैसले के आधार पर दिया गया है जो कि राजनीतिक दलों द्वारा अपनी वेबसाइट और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण प्रकाशित करने और सार्वजनिक जागरूकता फैलाने संबंधी एक अवमानना याचिका पर आधारित था। • मतदाता के सूचना के अधिकार को "अधिक प्रभावी और सार्थक" बनाने के लिए दिशा-निर्देशों की एक श्रृंखला में, अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को एक बटन के स्पर्श में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का विवरण प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च करने का आदेश दिया। • आयोग को अदालत के फैसले के अनुपालन पर राजनीतिक दलों की निगरानी के लिए एक अलग सेल भी बनाना चाहिए।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)	**सुर्खियों में:** गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्रणाली के परिणामस्वरूप पांच वर्षों में सार्वजनिक खरीद लागत में 10% की बचत हुई है, लेकिन अभी भी यह भारत की कुल सरकारी खरीद का केवल 5% लगभग 20 लाख करोड़

	रुपये प्रति वर्ष है। • GeM पोर्टल के माध्यम से संसाधित ऑर्डर मूल्य का 56% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा वितरित किया गया है, जिसमें 7 लाख छोटी कंपनियां शामिल हैं। **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के बारे में** • GeM केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक स्थान पर राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। • GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य है। • यह सरकारी उपयोगकर्त्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई-बोली और रिवर्स ई-नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है। • वर्तमान में GeM के पास 30 लाख से अधिक उत्पाद हैं, इसके पोर्टल पर अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हो चुका है। • इसे सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था। • नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग	**राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) अधिनियम, 2020 के बारे में** • हाल ही में भारतीय संसद से 'राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2020' और 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020' को पारित कर दिया गया है। ये दोनों विधेयक मौजूदा 'भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970' और 'होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973' को प्रतिस्थापित करेंगे। • 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए परिषद को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से बदल दिया। • इस अधिनियम में चिकित्सा बहुलवाद को बढ़ावा देने के लिए होम्योपैथी, भारतीय चिकित्सा प्रणाली और चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के बीच इंटरफेस रखने का प्रावधान है। • यह राज्य सरकार को होम्योपैथी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने सहित स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक उपाय करने का प्रावधान भी करता है। **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के बारे में** • आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: - (a) एक अध्यक्ष; (b) सात पदेन सदस्य; और (c) उन्नीस अंशकालिक सदस्य। **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के कार्य** • चिकित्सा संस्थानों और होम्योपैथिक चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियां तैयार करना। • स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का आकलन करना।
ऑपरेशन ग्रीन्स योजना	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने टमाटर, प्याज और आलू (TOP) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए नवंबर, 2018 में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना शुरू की। **ऑपरेशन ग्रीन्स योजना** • योजना के लिए प्रदान करता है: ○ 50% की दर से परिवहन और भंडारण सब्सिडी प्रदान करने के माध्यम से अल्पकालिक हस्तक्षेप और ○ पात्र परियोजना लागत के 34% से 70% की दर से अनुदान सहायता के साथ चिन्हित उत्पादन समूहों में मूल्यवर्धन परियोजनाओं के माध्यम से दीर्घकालिक हस्तक्षेप, अधिकतम रु. 50 करोड़ प्रति परियोजना। • इस योजना के तहत फसल-वार/राज्य-वार विशिष्ट निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं क्योंकि यह योजना मांग आधारित है और समय - समय पर निवेशकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर पहचान किए गए उत्पादन समूहों में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। • इसका उद्देश्य चिन्हित उत्पादन समूहों में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण

	सुविधाओं और मूल्यवर्धन आदि को बढ़ावा देना है। • 363.30 करोड़ लागत की 6 परियोजनाएं, 136.82 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ, 6 उत्पादन समूहों में 31 एफपीओ को लक्षित करते हुए अब तक गुजरात में टमाटर, प्याज और आलू के लिए एक-एक (3), प्याज के लिए दो को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में (2) और आंध्र प्रदेश में टमाटर के लिए एक। • ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के उद्देश्य ○ शीर्ष किसानों के मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना; ○ फसलोत्तर हानियों में कमी; ○ उत्पादक और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण और ○ खाद्य प्रसंस्करण क्षमता और मूल्यवर्धन आदि में वृद्धि। ○ बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार, विस्तारित ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में झींगा सहित 22 जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना	**सुर्खियों में:** वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में, 1 फरवरी, 2021 को अगले 6 साल के लिए 64180 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। • यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। वित्त वर्ष 2025-26 तक इस योजना के तहत हासिल किए जाने वाले मुख्य हस्तक्षेप हैं: • 17,788 ग्रामीण तथा 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के विकास के लिये समर्थन प्रदान करना तथा सभी ज़िलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करना। • 602 ज़िलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में 'क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक' स्थापित करने में सहायता करना। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) तथा इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं एवं 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मज़बूत करना। • सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिये सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना। • 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन और प्रवेश के बिंदुओं पर 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना, जो कि 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर है; • 15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाईल अस्पतालों की स्थापना; • एक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव-सुरक्षा स्तर III प्रयोगशालाएं और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान।
अल्पसंख्यक संस्थान और आरटीई: एनसीपीसीआर सर्वेक्षण	**समाचारों में :** हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for the Protection of the Rights of the Child-NCPCR) ने अल्पसंख्यक स्कूलों का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन किया। • रिपोर्ट का शीर्षक था "अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के संबंध में अनुच्छेद 15(5) के तहत छूट का प्रभाव"। • इसका उद्देश्य यह आकलन करना था कि भारतीय संविधान में 93वाँ संशोधन, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार के अनिवार्य प्रावधानों से छूट देता है, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। **रिपोर्ट की मुख्य बातें** • **गैर-अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक स्कूल:** कुल मिलाकर इन स्कूलों में 62.5% छात्र गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के थे। • अल्पसंख्यक विद्यालयों में केवल 8.76% छात्र सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के हैं। • **अनुपातहीन संख्या:** पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी का 92.47 प्रतिशत मुस्लिम और 2.47% ईसाई हैं। इसके विपरीत, 114 ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल हैं जबकि मुस्लिम अल्पसंख्यक के केवल दो स्कूल हैं। • इसी तरह उत्तर प्रदेश में हालाँकि ईसाई आबादी 1% से कम है, राज्य में 197 ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल हैं। • यह असमानता अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना के मूल उद्देश्य को छीन लेती है। • **मदरसों में गैर-एकरूपता:** इसमें पाया गया कि स्कूल से बाहर जाने वाले बच्चों की सबसे बड़ी संख्या

	(1.1 करोड़) मुस्लिम समुदाय की थी। **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** • NCPCR का गठन मार्च 2007 में 'कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स' (Commissions for Protection of Child Rights- CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। • यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। • आयोग का अधिदेश (Mandate) यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों। • यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है। • यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012] के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
सोनचिरैया	**समाचारों में :** केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'सोनचिरैया' एकल ब्रांड की शुरुआत की है। **इसके बारे में** • दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसर उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है। यह शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को एसएचजी और उनके संगठनों में एकजुट करती हैं ताकि इनकी सहायता हो सके। • यह शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को इन महिलाओं के लिए एक समर्थन प्रणाली बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों में संगठित करता है। • लगभग 60 लाख सदस्यों के साथ विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5.7 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। • इनमें से कई स्वयं सहायता समूह आजीविका गतिविधियों में लगे हुए हैं, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, खाने योग्य सामान आदि का उत्पादन करते हैं, जो प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जाते हैं। • SHGs को ई-पोर्टल पर सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के नये तरीकों को सुनिश्चित किया गया है। • सोनचिरैया पहल (एक ब्रांड और लोगो) निश्चित रूप से शहरी SHGs महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बढ़ी हुई दृश्यता और वैश्विक पहुंच की दिशा में एक कदम साबित होगी। • इस लोगो (logo) के साथ मंत्रालय को ऐसे कई और SHGs सदस्यों को पेशेवर रूप से पैक किए गए, हाथ से निर्मित किए गए जातीय (ethnic) उत्पादों के साथ जोड़ने की उम्मीद है, जो वैश्विक स्तर पर ग्राहकों के डोर तक पहुंचेंगे।
सर अरोमा मिशन (SIR Aroma Mission)	• सीएसआईआर अरोमा मिशन की परिकल्पना सुगंध उद्योग और ग्रामीण रोजगार के विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास के क्षेत्रों में वांछित हस्तक्षेप के माध्यम से सुगंध क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के लिए की गई है। • यह मिशन आवश्यक तेलों के लिए सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देगा जो सुगंध उद्योग द्वारा बहुत मांग में है। • यह भारतीय किसानों और सुगंध उद्योग को मेन्थॉल टकसाल के पैटर्न पर कुछ अन्य आवश्यक तेलों के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता बनने में सक्षम करेगा। • इससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त करने, बंजर भूमि के उपयोग और जंगली और चरने वाले जानवरों से उनकी फसलों की सुरक्षा में पर्याप्त लाभ मिलने की उम्मीद है। • सीएसआईआर का अरोमा मिशन आत्म-आजीविका और उद्यमिता के नए रास्ते उत्पन्न कर किसानों के लिए ग्रामीण रोजगार पैदा कर रहा है, यह सुगंधित तेलों और अन्य सुगंधित उत्पादों के निर्माण में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है तथा आवश्यक और सुगंधित तेलों के आयात को कम किया है। • आज सीएसआईआर के अरोमा मिशन से 6,000 हेक्टेयर भूमि में महत्वपूर्ण औषधीय और सुगंधित पौधों

	की खेती की जा रही है। • यह मिशन पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार के 10 से 12 लाख मानव-दिवस का सृजन किया है और 60 करोड़ रुपये मूल्य के 500 टन से अधिक आवश्यक तेल का उत्पादन किया।
फोर्टिफाइड चावल	**समाचारों में:** 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि 2024 तक सभी योजनाओं के तहत चावल को मजबूत किया जाएगा। **फूड फोर्टिफिकेशन क्या है?** • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फोर्टीफिकेशन एक खाद्य पदार्थ में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे विटामिन या खनिज की सामग्री को बढ़ाने की प्रक्रिया है ताकि इसके पोषण मूल्य में सुधार हो और न्यूनतम लागत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। • स्वाद और खाना पकाने के गुणों पर इसका कम से कम प्रभाव पड़ता है जबकि साथ ही कई कमियों को ठीक करने के लिए कई पोषक तत्व मिलाते हैं। • इस पूरक के विपरीत, इसमें न्यूनतम व्यवहार परिवर्तन भी होता है। • उदाहरण के लिए दूध में अक्सर विटामिन डी होता है और कैल्शियम को फलों के रस में मिलाया जा सकता है। • नमक, खाद्य तेल, दूध और गेहूँ के बाद चावल पाँचवाँ आइटम है जिसे सरकार ने मज़बूती से बढ़ावा दिया है। **चावल को मजबूत कैसे करें?** • भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में आयरन (28mg-42.5mg), फोलिक एसिड (75-125 mg) और विटामिन B-12 (0.75-1.25mg) होना चाहिए। • सामान्य मिल्ड चावल में सूक्ष्म पोषक तत्व कम होते हैं क्योंकि चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग कार्यों के दौरान इसकी पोषक तत्वों से भरपूर सतही परत को हटा दिया जाता है। इससे अनाज का स्वाद बेहतर और दिखने में आकर्षक होता है लेकिन कम पौष्टिक होता है। • आयरन, फोलिक एसिड और अन्य बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन ए और जिंक युक्त सूक्ष्म पोषक तत्व पाउडर मिलाकर चावल को मजबूत किया जाता है, जो उस समय अनाज से चिपक जाता है।
तापस पहल	**खबरों में:** हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल 'उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण' (Training for Augmenting Productivity and Services- TAPAS) लॉन्च किया है। • APAS के विचार की अवधारणा ऐसे समय में की गई थी जब कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण कार्य करने और शिक्षा के लिये ऑनलाइन माध्यम की खोज करना अनिवार्य हो गया था। **इस पहल के बारे में-** • यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिये सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (NISD) की एक पहल है। • **उद्देश्य:** प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान और कौशल को बढ़ाना। • यह एक मानक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म है जिसमें फिल्माए गए व्याख्यान और ई-अध्ययन सामग्री जैसी पाठ्यक्रम सामग्री होती है। ○ MOOC एक मुफ्त वेब-आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जिसे बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी के लिये डिज़ाइन किया गया है। • इसमें छात्रों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच बातचीत का समर्थन करने और प्रोत्साहित करने के लिए चर्चा मंच भी शामिल हैं। • यह अध्ययन सामग्री के आधार पर विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान तक पहुँच प्रदान करेगा, इस प्रकार यह शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किये बिना भौतिक कक्षा के पूरक का काम करता है। • इसे कोई भी ले सकता है जो विषयों पर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है और इसमें शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं है। • मंच को निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है, जो है: वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट और चर्चाएँ।

	• **कोर्सेज:** पाँच बुनियादी कोर्स जैसे- नशीली दवाओं (पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम, जरा चिकित्सा/बुजुर्गों की देखभाल, मनोविकृति की देखभाल एवं प्रबंधन, ट्रांसजेंडर और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
बिहार और झारखंड का कोटा लाभ	• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक आरक्षित वर्ग से संबंधित व्यक्ति बिहार या झारखंड के उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी एक में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार है, लेकिन नवंबर, 2000 में उनके पुनर्गठन पर दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में एक साथ कोटा के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। • सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं और उत्तराधिकारी राज्य बिहार के निवासी हैं, झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेने के दौरान उन्हें प्रवासी माना जाएगा और आरक्षण के लाभ का दावा किए बिना यह उनके लिए सामान्य श्रेणी में भाग लेने के लिए खुला होगा।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-II	• ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिए 2019 में एमएनआरई द्वारा पीएम-कुसुम योजना शुरू की गई थी। • इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। • वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने हेतु सहायता के साथ योजना के दायरे का विस्तार किया तथा अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सोलराइज़ करने हेतु मदद की जाएगी। **रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज II के बारे में:** • इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना है। • ग्रिड से जुड़े रूफटॉप या छोटे सोलर वोल्टाइक पैनल सिस्टम में सोलर वोल्टाइक पैनल से उत्पन्न डीसी पावर को पावर कंडीशनिंग यूनिट का उपयोग करके एसी पावर में परिवर्तित किया जाता है। • यह योजना राज्यों में वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा लागू की जा रही है। • MNRE पहले 3 किलोवाट के लिये 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से अधिक तथा सौर पैनल क्षमता के 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी प्रदान कर रहा है। **रूफटॉप सौर कार्यक्रम के उद्देश्य:** • आवासीय, सामुदायिक, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बीच ग्रिड से जुड़े SPV रूफटॉप और छोटे SPV बिजली उत्पादन संयंत्रों को बढ़ावा देना। • जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल सौर बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करना। • निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और व्यक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना। • छत और छोटे संयंत्रों से ग्रिड तक सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना। ○ रूफटॉप सोलर लगाने से घरों में बिजली की खपत कम होगी और बिजली खर्च की बचत होगी।
ई-श्रम पोर्टल	• श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य लक्षित वितरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। **इस पोर्टल के बारे में:** • 38 करोड़ असंगठित कामगारों का पंजीकरण होगा। • इसके कवरेज में निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, दूधवाले, ट्रक चालक, मछुआरे, कृषि श्रमिक और इसी तरह के अन्य लोग शामिल हैं। • इसमें डेटाबेस आधार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। • ई-श्रम कार्ड देश भर में स्वीकार किया जाएगा और एक वर्ष के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जाएगा। **उद्देश्य और लाभ:** • असंगठित कामगारों तक पहुंचने और उन्हें ट्रैक करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एकल-बिंदु संदर्भ होने का लक्ष्य। • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जैसे- PM-SYM, PMJJBY, PMSBY आदि। • प्रवासी और निर्माण कामगारों को कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी)। उदाहरण: एक राष्ट्र, एक राशन।

	• अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में उनकी आवाजाही का पता लगाना इस प्रकार उन्हें कानून के दायरे और संरक्षण में लाना। • ऐसा डेटाबेस कोविड-19 महामारी जैसे राष्ट्रीय संकट के समय रामबाण का काम करेगा।
चकमा और हाजोंग (Chakma and Hajong)	**सुर्ख़ियों में :** हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चकमा और हाजोंग को स्थानांतरित करने का फैसला किया है, जो बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमायें हैं। • अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि अरुणाचल सरकार किस राज्य या राज्यों को चकमाओं और हाजोंगों को स्थानांतरित करने जा रही है तथा इस मुद्दे पर राज्यों की स्थिति क्या है। • हालांकि चकमा नेताओं ने दावा किया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अरुणाचल के 96% चकमा और हाजोंग भारत के नागरिक हैं। **चकमा और हाजोंग कौन हैं?** • चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं जबकि हाजोंग हिंदू हैं। • ये पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के चटगांव पहाड़ी इलाकों के निवासी थे, जो निम्नलिखित कारणों से भारत आ गए: • 1960 के दशक में चकमास ने बांग्लादेश के कर्नाफुली (Karnaphuli) नदी पर बनाए गए कैपटाई बाँध (Kaptai dam) के कारण अपनी भूमि खो दी। • हाजोंग लोगों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि वे गैर-मुस्लिम थे और बांग्ला भाषा नहीं बोलते थे। • भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में राहत शिविर स्थापित किए और उनमें से अधिकांश 50 साल बाद भी वहीं रह रहे हैं। **अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय जनजातियाँ चकमा का विरोध क्यों कर रही हैं?** • एक शीर्ष छात्र संगठन के अनुसार, "अवैध चकमा और हाजोंग अप्रवासियों" को राज्य की स्वदेशी आबादी को विश्वास में लिए बिना अरुणाचल लाया गया था। • स्वदेशी समुदाय लोगों के बसने के विरोध में "खतरनाक जनसांख्यिकीय" परिवर्तन जो कथित रूप से उन जिलों में हुए जहां वे बसे हुए हैं और जातीय जनजातियों के प्रति उनके कथित आक्रामक रवैये सहित कारणों से विरोध कर रहे हैं। **चकमा के दावे क्या हैं?** • चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (CDFI) ने प्रधान मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से "60,000" चकमा और हाजोंग को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने के अरुणाचल के कदम को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी। • CDFI ने कहा कि चकमास, हाजोंग्स और असम राइफल्स के पूर्व कर्मियों को 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद देश की रक्षा के लिए तत्कालीन केंद्र प्रशासित नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में बसाया गया था। • इसने यह भी तर्क दिया कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के फैसले को पूर्ववत करने के लिए अधिनियमित किया गया था, इस प्रकार चकमा और हाजोंग को नागरिकता प्रदान की गयी
केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया	**सुर्ख़ियों में :** हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उनके बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया था। भारत में केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या है? • यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब किसी आपराधिक मामले में पुलिस या अन्य कानू प्रवर्तन एजेंसियां एक कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए सूचना देना जरूरी होता है। • राज्यसभा की कार्यवाही एवं आचरण के नियमों की धारा 22ए के तहत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने के लिए पुलिस या न्यायाधीश को राज्यसभा चेयरमैन को कारण और गिरफ्तारी के स्थान की जानकारी देनी होती है। • सभापति/अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गिरफ्तारी के बारे में परिषद को सूचित करेंगे। • यदि परिषद नहीं बैठती है, तो उससे सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बुलेटिन में प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है। • उल्लेखनीय है कि एक केंद्रीय मंत्री या सांसद को संसद का सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले, उसकी बैठकों

	के दौरान और उसके समापन के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान है। • गिरफ्तारी से सुरक्षा में आपराधिक कृत्य या निवारक निरोध शामिल नहीं है। • सभापति/अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किसी सदस्य की या किसी अजनबी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, वह भी इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।
बीएच-श्रृंखला	**खबरों में:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस व्यवस्था के तहत नए पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) को अधिसूचित किया है। • यह श्रृंखला एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के दौरान वाहन के पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया में मदद करेगी। **महत्वपूर्ण तथ्य** • नए पंजीकरण की आवश्यकता - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति को वाहन पंजीकृत होने वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं है। • लेकिन नए राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण 12 महीने के निर्धारित समय के भीतर किया जाना है। • एक यात्री वाहन उपयोगकर्ता वाहन को फिर से पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है ○ दूसरे राज्य में नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र। ○ नए राज्य में यथानुपात सड़क कर का भुगतान करने के बाद नए पंजीकरण चिह्न का आवंटन। ○ मूल राज्य में यथानुपात आधार पर सड़क कर की वापसी के लिए आवेदन। • BH-श्रृंखला में पंजीकरण चिह्न प्रारूप जो वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा, YY BH #### XX है। • YY पहले पंजीकरण के वर्ष के लिए कोड है, BH भारत सीरीज के लिए कोड है, #### 0000 से 9999 के लिए, XX अक्षर के लिए (AA to ZZ)। • इस बीएच-श्रृंखला पंजीकरण चिह्न वाले वाहन को एक नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होता जाता है। • "बीएच-सीरीज़" के अनुसार यह वाहन पंजीकरण सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी • रक्षा कर्मी, • केंद्र और राज्य सरकारों/केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, • निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के कर्मचारी, जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैं।
दत्तक ग्रहण, धर्म की सीमाओं में सीमित नहीं है: दिल्ली उच्च न्यायालय	**सुर्खियों में :** हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दत्तक ग्रहण संबंधी मामले में एक फैसला सुनाते हुए कहा कि, 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act) के तहत गोद लेने हेतु आवेदन करने पर, बच्चे को गोद लेने में दिलचस्पी रखने वाले को व्यक्ति को उसके धर्म तक सीमित नहीं किया सकता है। भारत में दत्तक ग्रहण कानूनों को नियंत्रित करने वाला विधिक ढांचा: • भारत में, 'गोद लेना' निजी कानूनों (Personal Laws) के दायरे में आता है, और हमारे देश में प्रचलित विविध धार्मिक परम्पराओं के कारण, इस संदर्भ में मुख्य रूप से दो पृथक कानून लागू हैं। • मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्मों में औपचारिक रूप से गोद लेने की अनुमति नहीं है, अतः गोद लेने के सदर्भ में, इन धर्मो के लोगों पर 'संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम', 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) लागू होता है। • दूसरी ओर, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों पर, 'हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956) लागू होता है। • इसके अलावा, 'किशोर न्याय अधिनियम' भी गोद लेने से संबंधित है। **उच्च न्यायालय का फैसला** • अदालत ने उपरोक्त फैसला एक ऐसे मामले की सुनवाई करने के दौरान सुनाया, जिसमें एक ईसाई दंपति ने 'हिंदू कानून' के तहत एक बच्चे को गोद लिया था। • अदालत के अनुसार, 'हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम' (Hindu Adoptions and Maintenance Act – HAMA) के तहत ईसाई और मुस्लिम दम्पति, सीधे ही किसी हिंदू बच्चे को गोद

	नहीं ले सकते और गोद लेने के लिए उन्हें 'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत प्रक्रिया का पालन करना होता है। • अदालत ने कहा कि, चूंकि पालक माता-पिता और उनके परिवार द्वारा बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, इसलिए, बच्चे को उनके प्रभार और संरक्षण से हटाने का कोई कारण नहीं है। • चूंकि, बच्चे को 'दत्त होमम' (Datta Homam) नामक 'हिंदू दत्तक ग्रहण समारोह' के अनुसार गोद लिया गया है, अतः इस संबंध में, भविष्य में कोई कानूनी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। **गोद लेने की प्रक्रिया** • राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बिना सभी भावी माता-पिता को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) में पंजीकरण कराना होगा। • केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है व देश और अंतर-देशीय अंगीकरण की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है। • फिर, उपयुक्त स्थानीय अधिकारियों को गृह अध्ययन के लिए बुलाया जाता है। • इसके बाद, 'बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली' के साथ पंजीकरण किया जाता है। • पंजीकरण के बाद, बच्चों को बारी-बारी से सौंपा जाता है, और विदेशी जोड़ों को भारतीय जोड़ों के समान माना जाता है। • 'हेग एडॉप्शन कन्वेंशन' पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने ऐसी प्रक्रियाओं को मानकीकृत और सुव्यवस्थित किया है। **क्या आप जानते हैं?** • वर्तमान में, गोद लेने की प्रक्रिया में सिविल कोर्ट द्वारा अनुमोदन की मुहर शामिल है, जो अंतिम गोद लेने का आदेश पारित करती है। • जेजे संशोधन विधेयक 2021 में यह प्रावधान है कि अदालत के बजाय, जिला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित) को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने विस्कोस पर डंपिंग रोधी शुल्क वापस लेने की सिफारिश की	• डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी (उदा: चीनी फर्म एक्स) एक उत्पाद (उदाहरण के लिए: भारत के लिए) को उस कीमत पर निर्यात करती है जो उस कीमत से काफी कम है और अधिकतर अपने घरेलू (चीन) बाजार में चार्ज करती है। **डंपिंग रोधी शुल्क (Anti-Dumping Duty) क्या है?** • जब किसी देश द्वारा दूसरे देश को उसकी कीमत से कम कीमत पर सामान निर्यात किया जाता है और जिसे सामान्य रूप से उसके घरेलू बाज़ार में वसूला जाता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है। • यह एक अनुचित व्यापार क्रिया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है। • यह इस तर्क के साथ किया जाता है कि इन उत्पादों में स्थानीय व्यवसायों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कम करने की क्षमता है। • विश्व व्यापार संगठन सहित वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार, एक देश को घरेलू निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुमति है। • भारत में डीजीटीआर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) जैसे अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा गहन जांच के बाद ही शुल्क लगाया जाता है। • जहां डंपिंग रोधी शुल्क का इरादा घरेलू नौकरियों को बचाना है, वहीं इन शुल्कों से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें भी बढ़ सकती हैं। • लंबी अवधि में, एंटी-डंपिंग शुल्क समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कम कर सकते हैं। **काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) से अलग:** • काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVDs) निर्यातक देश में इन वस्तुओं के उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क हैं (उदा: चीन)। • सीवीडी एक उत्पाद के घरेलू उत्पादकों और उसी उत्पाद के विदेशी उत्पादकों के बीच खेल के मैदान को समतल करने के लिए होते हैं, जो अपनी सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के कारण इसे कम कीमत पर बेचने का जोखिम उठाते हैं।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)	**समाचारों में :** सरकार जल्द ही लगभग 30,000 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त निर्मित क्षेत्र और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones- SEZ) के अंदर बेकार भूमि को मुक्त करेगी। • अप्रयुक्त भूमि पार्सल को मुक्त करने का कदम अगस्त 2021 के अंत तक चालू होने की संभावना है, एक सरल नियामक व्यवस्था के हिस्से के रूप में सरकार SEZs के लिए रिंग कर रही है, जो भारत के निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। **विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) क्या है?** • यह एक विशेष रूप से चित्रित शुल्क-मुक्त एन्क्लेव है, जिसे व्यापार संचालन तथा कर्तव्यों और शुल्कों के प्रयोजनों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। • घरेलू टैरिफ क्षेत्र (एसईजेड को छोड़कर पूरे भारत) से एसईजेड क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात माना जाएगा और एसईजेड क्षेत्र से DTA में आने वाली वस्तुओं को आयात माना जाएगा। • वस्तुओं के निर्माण और सेवाएं प्रदान करने के लिए एसईजेड इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। • व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं। • एसईजेड देश की राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर स्थित हैं। • उनके उद्देश्यों में व्यापार संतुलन बढ़ाना, रोजगार, बढ़ा हुआ निवेश, रोजगार सृजन और प्रभावी प्रशासन शामिल हैं।
राष्ट्रीय डेयरी योजना	**सुर्खियों में:** पशुपालन और डेयरी विभाग, विश्व बैंक की सहायता से 18 राज्यों में दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को प्रजनन सुधार पहल के साथ समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 लागू कर रहा है। • राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-I (NDP-I) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। • वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से क्रेडिट लाइन के माध्यम से था, जो भारत सरकार के

	हिस्से के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के लिए उड़ान भरी थी और बाद में पात्र अंत कार्यान्वयन एजेंसियों (End Implementing Agencies -EIAs) की ओर रुख करें। • NDP-I 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनकी देश के दुग्ध उत्पादन में 90% से अधिक हिस्सेदारी है। **उद्देश्य:** • दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना जिससे दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो। • संगठित दुग्ध-प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को अधिक पहुंच प्रदान करने में मदद करना। **एनडीपी-I में निम्नलिखित प्रमुख घटक थे:** • **उत्पादकता में वृद्धि:** पशु प्रजनन और पोषण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करते हुए गोजातीय (bovine) उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य। • दूध उत्पादकों को तौल, परीक्षण गुणवत्ता और दूध उत्पादकों को भुगतान करने के लिए ग्राम आधारित दूध खरीद प्रणाली: दूध उत्पादक संस्थानों में संगठित दूध उत्पादकों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से। • **परियोजना प्रबंधन और सीखना:** परियोजना के लिए विभिन्न EIAs तथा एक व्यापक और कार्यात्मक प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के बीच परियोजना गतिविधियों के प्रभावी समन्वय का लक्ष्य। **एनडीपी-I की कुछ प्रमुख उपलब्धियां:** • एनडीपी-I देश भर में ए और बी ग्रेडेड वीर्य (semen) स्टेशनों को 2,456 से अधिक उच्च आनुवंशिक मेरिट बुल उपलब्ध कराने में सक्षम था, जिसने गुणवत्तापूर्ण रोग मुक्त वीर्य के उत्पादन को प्रेरित किया। • इस परियोजना ने प्रति किलो दूध खिलाने की लागत को कम करने में भी योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की शुद्ध दैनिक आय में 25.52 रुपये की वृद्धि हुई। • 16.8 लाख से अधिक अतिरिक्त नामांकित दूध उत्पादकों को बाजार पहुंच प्रदान की गई, जिनमें 7.65 लाख महिला सदस्य हैं। • इस परियोजना में 97,000 गांवों के लगभग 59 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया।
खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी) 	**सुर्खियों में:** घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय ने लिबरल ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (OALP) के तहत छठा बोली दौर शुरू किया। • इससे पहले, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCE) ने तेल और गैस के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्वेषण और लाइसेंसिंग क्षेत्र में सुधारों पर नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी थी। **ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के बारे में** • पूर्ववर्ती नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (NELP) की जगह लेने वाली हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) को 2016 में अनुमोदित किया गया था। • भारत में अन्वेषण और उत्पादन (E & P) गतिविधियों में तेजी लाने के लिए प्रमुख ड्राइवर्स (key drivers) के रूप में राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (NDR) के साथ ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (OALP) जून 2017 में शुरू की गई थी। • ओएएलपी के अंतर्गत कंपनियों को उन क्षेत्रों को तराशने की अनुमति है जिनमें वे तेल और गैस का पता लगाना चाहती हैं। • कंपनियां साल भर में किसी भी क्षेत्र के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) डाल सकती हैं लेकिन ऐसे इंटरेस्ट साल में तीन बार जमा होते हैं। • फिर मांगे गए क्षेत्रों को बोली लगाने के लिए पेश किया जाता है। • यह नीति बीते हुए कल से अलग है जहां सरकार ने क्षेत्रों की पहचान की और उन्हें बोली लगाने की पेशकश की।
वाहन परिमार्जन नीति	**सुर्खियों में:** प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 13 अगस्त को गुजरात इन्वेस्टर समिट में भारत में वाहन कबाड़ नीति की शुरुआत की और युवाओं और स्टार्ट-अप्स को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आग्रह किया। **उद्देश्य:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम या "वाहन स्क्रैपिंग

	नीति" की शुरुआत कर रहा है, जिसका उद्देश्य अनफिट और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। **विशेषताएं** • पुराने वाहनों को पुन: पंजीकरण से पहले एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और नीति के अनुसार सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने और निजी वाहन जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। • रद्द किए जाने वाले वाहन के लिए मानदंड मुख्य रूप से वाणिज्यिक वाहनों के मामले में स्वचालित फिटनेस केंद्रों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस और निजी वाहनों के मामले में पंजीकरण के गैर-नवीनीकरण पर आधारित है। • राज्य सरकारों को सलाह दी जा सकती है कि वे पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक की सड़क-कर छूट प्रदान करें। • एक हतोत्साहन के रूप में, बढ़ा हुआ पुन: पंजीकरण शुल्क पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि से 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वाहनों के लिए लागू होगा।
वित्तीय समावेशन सूचकांक	• वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services- DFS), वित्त मंत्रालय एक वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करेगा जो औपचारिक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बास्केट तथा उन सेवाओं जिनमें बचत, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन उत्पाद शामिल हैं, तक पहुँच और उनके उपयोग का एक मापक होगा। • यह आखरी मील तक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता पर राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन करेगा। • सूचकांक के तीन माप आयाम होंगे ○ वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ○ वित्तीय सेवाओं का उपयोग ○ उत्पादों की गुणवत्ता और सेवा वितरण। • ये G-20 वित्तीय समावेशन संकेतक भी हैं। • यह आरबीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा।
प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन सम्मिश्रण	**सुर्खियों में :** भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादन कंपनी, एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत में प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन मिश्रण (Hydrogen Blending) पर एक पायलट परियोजना स्थापित करने के लिए वैश्विक EoI (Expression of Interest) को आमंत्रित किया है। • एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। • यह भारत में अपनी तरह का पहला पायलट होगा और भारत के प्राकृतिक गैस ग्रिड को कार्बन मुक्त करने की व्यवहार्यता का पता लगाएगा। बाद में इसे पूरे देश में व्यावसायिक स्तर पर लागू किया जाएगा। **हाइड्रोजन सम्मिश्रण क्या है?** • हाइड्रोजन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर समाज की निर्भरता को कम करने और कई ऊर्जा क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने का एक व्यवहार्य समाधान है। • ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन को चरणबद्ध करने के उपायों में से एक प्राकृतिक गैस/हाइड्रोजन (NG/H2) सम्मिश्रण है। • जैसा कि नाम से पता चलता है, NG/H2 सम्मिश्रण मीथेन की कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में हाइड्रोजन की सांद्रता को एकीकृत करता है। • यह सम्मिश्रण हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस मिश्रण को अभीष्ट स्थान पर ले जाता है। • प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन का सम्मिश्रण वर्तमान में विकास के प्रारंभिक चरण में है।
जीएम सोयामील के इंपोर्ट	**समाचारों में :** पोल्ट्री उद्योग (Poultry Industry), केंद्र सरकार से किसानों की कैप्टिव खपत के लिये क्रश्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड (Genetically Modified-GM) सोया बीजों के आयात के लिये परमिट की मांग कर रहा है।

	निर्णय की आवश्यकता • पिछले डेढ़ साल में कुक्कुट उद्योग को कई आपदाओं से कुचल दिया गया है। • जनवरी 2020 में, एक झूठी अफवाह कि चिकन मांस खाने से कोरोनावायरस फैल सकता है, मांग में गिरावट का कारण बना। • एक साल बाद, एवियन फ्लू के मामलों में एक और दुर्घटना हुई, जिसके बाद पोल्ट्री फीड की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। • घरेलू भारतीय बाजार में सोयाबीन की प्रक्रिया में वृद्धि के कारण इनपुट लागत में वृद्धि हुई है जिसके कारण खुदरा बाजार में चिकन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसलिए जीएम सोया बीजों के आयात की मांग की जा रही है। **सोया मील और उसके जीएम संस्करण के बारे में** • बीन से तेल निकालने के बाद सोया मील बच जाता है। • यह फ़ीड में मुख्य प्रोटीन घटक है, विशेष रूप से ब्रॉयलर के लिए (कोई भी चिकन जो विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए नस्ल और उठाया जाता है)। • यह पोल्ट्री फीड का 25% और मक्का 60% का गठन करता है। • राउंडअप रेडी सोयाबीन (आरआर सोयाबीन) आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड सोयाबीन हैं जिनके DNA में बदलाव किया गया है ताकि वे हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट (मोनसेंटो के हर्बिसाइड राउंडअप में सक्रिय घटक) का सामना कर सकें। ○ इन्हें "ग्लाइफोसेट सहिष्णु" सोयाबीन के रूप में भी जाना जाता है। **क्या आप जानते हैं?** • भारत GM सोयाबीन और कैनोला तेल के आयात की अनुमति देता है। • भारत में GM सोयाबीन बीजों के आयात को मंजूरी नहीं दी गई है। ○ मुख्य डर यह है कि GM सोयाबीन का आयात गैर-GM किस्मों को दूषित करके भारतीय सोयाबीन उद्योग को प्रभावित करेगा। • भारत में खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM फसल Bt कपास है। Htbt कॉटन को अनुमति देने के लिए बातचीत चल रही है। • Bt कपास में मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिंजिनेसिस (Bt) से विदेशी जीन होते हैं जो फसल को सामान्य कीट गुलाबी सूंड के लिए एक विषैला प्रोटीन विकसित करने की अनुमति देता है। • भारत में, पर्यावरण मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), शीर्ष निकाय है जो GM फसलों के वाणिज्यिक रिलीज की अनुमति देता है। • अस्वीकृत GM संस्करण का उपयोग करने पर 5 साल की जेल और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत में आयातित फसलों को विनियमित करने के लिए अधिकृत निकाय है।
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान	• यह एक 'समग्र बुनियादी ढांचे' के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की परियोजना है। • इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करने और औद्योगिक उत्पादकता में सुधार करने के लिए सड़क, रेल, हवाई और जलमार्गों के बीच आसानी से परस्पर संपर्क स्थापित करना है। • बुनियादी ढांचे पर जोर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। • बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किए गए प्रत्येक रुपये के साथ एक गुणक प्रभाव पैदा करने की क्षमता है, जो बहुत अधिक रिटर्न देता है। • यह स्थानीय निर्माताओं के वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करेगा और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। • यह भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी जन्म देता है।
केंद्र ने RoDTEP योजना दिशानिर्देशों और दरों को	• RoDTEP योजना की घोषणा 2019 में केंद्र सरकार द्वारा करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति की अनुमति देकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिन्हें किसी अन्य योजना के तहत छूट या वापस नहीं किया

अधिसूचित किया **सुर्खियों में:** केंद्र ने हाल ही में RoDTEP योजना दिशानिर्देश और दरें (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) को अधिसूचित किया है। RoDTEP की दरें 8555 टैरिफ लाइनों को कवर करेंगी। यह उन शुल्कों और करों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें पहले से छूट दी गई है या प्रेषित या जमा किया गया है। इसे सीमा शुल्क द्वारा सरलीकृत IT प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है।	गया है। ○ वर्तमान में, एम्बेडेड शुल्क और कर, जो किसी अन्य योजना के तहत वापस नहीं किए जाते हैं, यह 1-3% के मध्य होते हैं। • योजना के तहत इन करों में छूट ड्यूटी क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप के रूप में दी जाएगी। • यह विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित एक सुधार है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए और निर्यात किए गए उत्पादों पर वहन करने वाले करों और शुल्कों को या तो छूट दी जानी चाहिए या निर्यातकों को प्रेषित किया जाना चाहिए। • यह योजना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अनुसार है। • यह वर्तमान में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) तथा राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (RoSCTL) की छूट का एक संयोजन है। ○ MEIS: यह एक ऐसी योजना है जहां निर्यातकों को अधिसूचित उत्पादों के निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ढांचागत अक्षमताओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहन या पुरस्कार दिया जाता है। ○ RoSCTL: वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्रों के निर्यात पर लगाए जाने वाले विभिन्न राज्य और केंद्रीय करों में छूट देने के लिए योजना को अधिसूचित किया गया था। **RoDTEP योजना का महत्व:** • RoDTEP समर्थन फ्रेट ऑन बोर्ड (FOB) मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिसूचित दर पर पात्र निर्यातकों को उपलब्ध होगा। कुछ निर्यात उत्पादों पर छूट भी निर्यातित उत्पाद की प्रति यूनिट मूल्य सीमा के अधीन होगी। • समुद्री, कृषि, चमड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसे क्षेत्रों को योजना का लाभ मिलता है। • मौजूदा योजनाओं में, बिजली, तेल, पानी और शिक्षा उपकर पर राज्य कर जैसे कुछ कर शामिल नहीं हैं। RoDTEP के अंतर्गत ऐसे करों को भी योजना को संपूर्ण बनाने वाली सांकेतिक सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। • इसलिए यह एक सुधार है जहां सरकार घरेलू उद्योग का समर्थन करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश कर रही है।
तेल बांड	तेल बांड सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां हैं। **पृष्ठभूमि:** • ईंधन की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना एक कदम-दर-चरण अभ्यास रहा है, सरकार ने 2002 में विमानन टर्बाइन ईंधन, 2010 में पेट्रोल और 2014 में डीजल की कीमतों को मुक्त कर दिया है। • इससे पहले, सरकार खुदरा विक्रेताओं को डीजल या पेट्रोल बेचने के लिए कीमत तय करने में हस्तक्षेप करेगी। • इससे तेल विपणन कंपनियों को कम वसूली हुई, जिसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ी। • इस प्रकार, कीमतों को बाजार के अनुकूल बनाने के लिए और सब्सिडी देने से सरकार को धीरे-धीरे मुक्त करने के लिए उन्हें नियंत्रित किया गया था। **वर्तमान परिदृश्य:** • पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य का 58 प्रतिशत और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य का 52 प्रतिशत कर है। • हालांकि, सरकार अब तक करों में कटौती करने के लिए सहमति नही रही है क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, विशेषकर ऐसे समय में जब महामारी ने कॉर्पोरेट कर जैसे अन्य करों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। • अनुमान है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल और डीजल पर कर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है।
ग्रीन बांड	**समाचारों में :** ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद - ऊर्जा वित्त केंद्र (सीईईडब्ल्यू-सीईएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अक्षय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स ने जनवरी से जून 2021 के दौरान हरित बांड जारी करने के माध्यम से 26,300 करोड़ रूपये जुटाए।

	ग्रीन बॉन्ड के बारे में • हरित बांड एक ऋण साधन है, किसी भी अन्य बांड की तरह, जिसके द्वारा निवेशक स्थायी संपत्ति या परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकते हैं। • हरित बांड की पेशकश की आय को इलेक्ट्रिक वाहनों, बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन प्रणाली, जल और सिंचाई प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसी 'हरित' परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। • उन्हें या तो वित्तीय संस्थानों द्वारा हरित परियोजनाओं को आगे उधार देने के लिए या डेवलपर्स द्वारा सीधे उनकी परियोजनाओं में निवेश के लिए उठाया जा सकता है। **ग्रीन बांड के लाभ** • पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव • निवेश आकर्षित करना • **बैंक ऋण का विकल्प:** पूंजी की लागत को कम करने और परिसंपत्ति-देयता बेमेल को कम करने के लिए ग्रीन बांड भी एक प्रभावी उपकरण हैं।
इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज	**सुर्खियों में:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के प्रमुख ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पायलट रन लॉन्च किया; 1 अक्टूबर 2021 को जब आईएफएससीए का स्थापना दिवस होगा, उस दिन एक्सचेंज अथॉरिटी के बुलियन एक्सचेंज 2020 के तहत आ जाएगा। **बुलियन के बारे में** • बुलियन सोना और चांदी है जिसे आधिकारिक तौर पर कम से कम 99.5% और 99.9% शुद्ध होने के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह बार्स (Bars) या सिल्लियों के रूप में है और इसे अक्सर सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा आरक्षित संपत्ति के रूप में रखा जाता है। • बुलियन को कभी-कभी कानूनी निविदा माना जा सकता है, जिसे अक्सर केंद्रीय बैंकों द्वारा रिजर्व में रखा जाता है या संस्थागत निवेशकों द्वारा अपने पोर्टफोलियो पर मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है जिससे बुलियन मार्केट का निर्माण होता है। **कुछ प्रमुख तथ्य** • इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज "भारत में बुलियन आयात का प्रवेश द्वार" होगा, जिसमें घरेलू खपत के लिए सभी सर्राफा आयात एक्सचेंज के माध्यम से किए जाएंगे। • सरकार ने बुलियन स्पॉट ट्रेडिंग और बुलियन डिपॉजिटरी प्राप्तियों को वित्तीय उत्पाद के रूप में और बुलियन से संबंधित सेवाओं को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। • **इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का महत्व:** ○ बुलियन ट्रेडिंग के लिए सभी बाजार सहभागियों को एक समान पारदर्शी संघ पर लाता है।एक कुशल मूल्य खोज प्रदान करता है ○ सोने की गुणवत्ता में आश्वासन ○ वित्तीय बाजारों के अन्य क्षेत्रों के साथ अधिक से अधिक एकीकरण सक्षम करना ○ विश्व में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति स्थापित करने में मदद करना
भारत का ऊन क्षेत्र	**समाचारों में :** ऊन के आयात की बढ़ती मांग के बीच उत्तराखंड में चरवाहों को वर्ष के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ के साथ इस क्षेत्र में देशी भेड़ों के क्रॉसब्रीडिंग के माध्यम से मेमनों का एक समूह प्राप्त होगा। • ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ को परिधानों के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले सबसे नरम और बेहतरीन ऊन के लिये जाना जाता है। • इसके आयात में वृद्धि का प्रमुख कारण मुलायम परिधान और ऊन की गुणवत्ता एवं मात्रा थी। **भारत में ऊन क्षेत्र** • भारत ऊन का सातवां सबसे बड़ा उत्पादक है और कुल विश्व उत्पादन का लगभग 2 से 3% हिस्सा है। • 64 मिलियन से अधिक भेड़ों के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी वाला देश है। भारत का वार्षिक ऊन उत्पादन 43-46 मिलियन किलोग्राम के बीच है। • अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण, भारत कच्चे ऊन के आयात पर निर्भर करता है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर।

	○ इस ऊन का उपयोग घरेलू बाज़ार के लिये कालीन, यार्न, कपड़े और वस्त्र जैसे उत्पादों को तैयार करने तथा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में निर्यात हेतु किया जाता है। • राजस्थान ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है और अपने श्रेष्ठ कालीन ग्रेड चोकला व मगरा ऊन के लिये जाना जाता है। ○ कालीन ग्रेड, परिधान ग्रेड की तुलना में अधिक मोटा होता है और भारत के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा है। • परिधान ग्रेड ऊन का उत्पादन 5% से कम होता है। • **महत्व:** ऊनी कपड़ा उद्योग 2.7 मिलियन श्रमिकों (संगठित क्षेत्र में 1.2 मिलियन, भेड़ पालन और खेती में 1.2 मिलियन एवं कालीन क्षेत्र में 0.3 मिलियन बुनकर) को रोज़गार प्रदान करता है।
मारुति सुजुकी पर CCI ने लगाया 200 करोड़ रुपये का जुर्माना	**सुर्खियों में:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने डीलरों के साथ-साथ डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने के माध्यम से प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के खिलाफ एक अंतिम आदेश पारित किया। • CCI ने तद्नुसार, एक संघर्ष विराम आदेश पारित करने के अलावा, MSIL पर 200 करोड़ रुपये (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया है। **मारुति सुजुकी ने क्या किया?** • MSIL की अपने डीलरों के लिए एक 'छूट नियंत्रण नीति' थी जिसके तहत डीलरों को MSIL द्वारा अनुमत सीमा से अधिक उपभोक्ताओं को अतिरिक्त छूट, मुफ्त आदि देने से हतोत्साहित किया गया था। • ऐसी छूट नियंत्रण नीति का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले किसी भी डीलर को न केवल डीलरशिप पर, बल्कि प्रत्यक्ष बिक्री कार्यकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, शोरूम प्रबंधक, टीम लीडर आदि सहित उसके व्यक्तिगत व्यक्तियों पर भी जुर्माना लगाने की धमकी दी गई थी। • छूट नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए, MSIL ने मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसियों ('MSAs') को नियुक्त किया, जो ग्राहकों के रूप में MSIL डीलरशिप को यह पता लगाने के लिए इस्तेमाल करती थीं कि क्या ग्राहकों को कोई अतिरिक्त छूट दी जा रही है। • MSIL उस डीलरशिप को भी निर्देशित करेगा जहां जुर्माना जमा किया जाना था और जुर्माना राशि का उपयोग भी MSIL के निर्देशों के अनुसार किया गया था। • MSIL का ऐसा आचरण जिसके परिणामस्वरूप भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यह CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के उल्लंघन में पाया गया।
उभरते सितारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड **खबरों में :** हाल ही में वित्त मंत्रालय ने निर्यात-उन्मुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को ऋण और इक्विटी फंडिंग की सुविधा के लिये 'उभरते सितारे' वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) लॉन्च किया है।	**योजना के बारे में** • इस योजना के तहत चिह्नित एक ऐसी कंपनी को सहायता प्रदान की जाती है, जो भले ही वर्तमान में खराब प्रदर्शन कर रही हो या विकास हेतु अपनी छिपी क्षमता का दोहन करने में असमर्थ हो। • यह योजना ऐसी चुनौतियों का निदान करती है और इक्विटी, ऋण तथा तकनीकी सहायता को कवर करते हुए संरचित समर्थन के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। • इसमें 250 करोड़ रुपये का ग्रीनशू ऑप्शन भी होगा। ○ ग्रीन-शू विकल्प एक अति-आवंटन विकल्प है, यह एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर एक शेयर की पेशकश में विशेष व्यवस्था का वर्णन करने के लिये उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिये एक इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) जो अपनी पूंजी को जोखिम में डाले बिना, निवेश करने वाले बैंक को पेशकश के बाद शेयर की कीमत का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा। • फंड की स्थापना एक्ज़िम बैंक और सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, जो विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में निर्यात-उन्मुख इकाइयों में इक्विटी व इक्विटी जैसे उत्पादों के माध्यम से फंड में निवेश करेगा। **कंपनियों के चयन के लिये मानदंड:** • वैश्विक आवश्यकताओं से मेल खाने वाली प्रौद्योगिकी, उत्पादों या प्रक्रियाओं में उनके अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव के आधार पर समर्थन के लिये कंपनियों का चयन किया जाएगा। • स्वीकार्य वित्तीय और बाहरी अभिविन्यास वाली मौलिक रूप से मज़बूत कंपनियाँ; वैश्विक बाज़ारों में प्रवेश करने की क्षमता वाली छोटी और लगभग 500 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबार के साथ मध्यम आकार

	की कंपनियाँ। • एक अच्छा व्यवसाय मॉडल, जो मज़बूत प्रबंधन क्षमता वाली कंपनियों और उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। **एक वैकल्पिक निवेश कोष क्या है?** • निवेश के पारंपरिक रूपों के विकल्प के रूप में कुछ भी वैकल्पिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। • भारत में, AIFs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत परिभाषित किया गया है। • यह किसी भी निजी रूप से जमा किए गए निवेश कोष को संदर्भित करता है, (चाहे भारतीय या विदेशी स्रोतों से) जो वर्तमान में सेबी के किसी भी गवर्निंग फंड प्रबंधन द्वारा कवर नहीं किया जाता है और न ही भारत में किसी भी अन्य क्षेत्रीय नियामकों के प्रत्यक्ष विनियमन के अंतर्गत आता है। • इसमें वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, कमोडिटी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आदि शामिल हैं।
वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, 2021	**सुर्खियों में :** भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) को पछाड़कर 2021 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है। **सूचकांक के बारे में-** • कुशमैन एंड वेकफील्ड का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन करता है। • देशों का मूल्यांकन चार प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है: ○ **बाउंस बैक:** टीके के रूप में विनिर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमानित क्षमता और व्यवसाय सामान्य होने लगता है। ○ **शर्तें:** कारोबारी माहौल, जिसमें प्रतिभा/श्रम की उपलब्धता और बाजारों तक पहुंच शामिल है। ○ **लागत:** श्रम, बिजली और अचल संपत्ति सहित परिचालन लागत। ○ **खतरा:** राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। • शीर्ष निर्माण स्थलों के लिए बेसलाइन रैंकिंग देश की परिचालन स्थितियों और लागत प्रभावशीलता के आधार पर निर्धारित की जाती है। **सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष:** • चीन पहले स्थान पर बना हुआ है और भारत दूसरे स्थान पर है। • अमेरिका तीसरे स्थान पर है, उसके बाद कनाडा, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, थाईलैंड, मलेशिया और पोलैंड का स्थान है। • 2020 की रिपोर्ट में अमेरिका दूसरे स्थान पर था जबकि भारत तीसरे स्थान पर था।
RBI द्वारा टोकनाइजेशन	**सुर्खियों में :** हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, कलाई घड़ी और बैंड जैसे पहनने योग्य उपकरणों के साथ-साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों जैसे उपभोक्ता उपकरणों को शामिल करने के लिए टोकन के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया है। **आरबीआई टोकनाइजेशन क्या है?** • टोकनकरण वास्तविक कार्ड विवरण को 'टोकन' नामक एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदर्भित करता है, जो कार्ड के संयोजन के लिए अद्वितीय है, टोकन अनुरोधकर्ता (अर्थात वह इकाई जो कार्ड के टोकन के लिए ग्राहक से अनुरोध स्वीकार करती है और उसे संबंधित टोकन जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क पर भेजती है) और पहचान की गई डिवाइस। • आम तौर पर, एक टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन में, शामिल पक्ष/हितधारक व्यापारी, व्यापारी का अधिग्रहणकर्ता, कार्ड भुगतान नेटवर्क, टोकन अनुरोधकर्ता, जारीकर्ता और ग्राहक होते हैं। • हालांकि, संकेतित संस्थाओं के अलावा कोई अन्य संस्था भी लेनदेन में भाग ले सकती है। **टोकन के बारे में-** • इसका उद्देश्य भुगतान प्रणाली की सुरक्षा में सुधार करना है। • रिजर्व बैंक ने पहले 'टोकनाइजेशन' सेवाओं की अनुमति दी थी, जिसके तहत कार्डधारकों के मोबाइल

	फोन और टैबलेट पर लेनदेन के उद्देश्य से एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड तैयार किया जाता है। • आरबीआई ने 2019 में "टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन" पर दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें अधिकृत कार्ड नेटवर्क को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को शर्तों के अधीन कार्ड टोकननाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। • नवीनतम परिपत्र से पहले, यह सुविधा केवल इच्छुक कार्डधारकों के मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए उपलब्ध थी। • टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। **कार्ड विवरण की सुरक्षा** • वास्तविक कार्ड डेटा, टोकन और अन्य प्रासंगिक विवरण अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा सुरक्षित मोड में संग्रहीत किए जाते हैं। • टोकन अनुरोधकर्ता प्राथमिक खाता संख्या (पैन), यानी कार्ड नंबर /या कोई अन्य कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं कर सकता है। • कार्ड नेटवर्क को सुरक्षा और सुरक्षा के लिए टोकन अनुरोधकर्ता को प्रमाणित करना भी अनिवार्य है जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं/विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप है।

ज़िका वायरस	• ज़िका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेविवायरस है जिसे पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। • इसे बाद में वर्ष 1952 में युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में पहचाना गया। • ZVD मुख्य रूप से एडीज़ मच्छर (AM) द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है। • यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर फैलाता है। • **संचरण:** ज़िका वायरस गर्भावस्था के दौरान माँ से भ्रूण में, यौन संपर्क, रक्त और रक्त उत्पादों के आधान तथा अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैलता है। • **लक्षण:** इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और इसमें बुखार, शरीर पर दाने, कंजंक्टिवाइटिस (Conjunctivitis), मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सिरदर्द शामिल है। ज़िका वायरस संक्रमण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। • ज़िका वायरस संक्रमण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। • गर्भावस्था के दौरान ज़िका वायरस के संक्रमण के कारण शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफली (Microcephaly) (सामान्य सिर के आकार से छोटा) और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ हो सकता है, जिन्हें जन्मजात ज़िका सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। • **उपचार:** जीका के लिए कोई टीका या दवा नहीं है। • इससे निपटने के लिये शुरुआत में ही लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। बुखार तथा दर्द से निजात पाने के लिये रिहाइड्रेशन एवं एसिटामिनोफेन (Acetaminophen) पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ड्रैगन फ्रूट
समाचारों में: विदेशी फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, फाइबर और खनिज समृद्ध 'ड्रैगन फ्रूट' की खेप पहली बार लंदन, यूनाइटेड किंगडम और किंगडम ऑफ बहरीन को निर्यात की गई है।
 	
	• भारत में ड्रैगन फ्रूट को कमलम भी कहा जाता है।
	• इसे वैज्ञानिक रूप से Hylocereusundatus के रूप में जाना जाता है,
	• 1990 के दशक में ड्रैगन फ्रूट को भारत के घरेलू बगीचों में उगाया जाने लगा था।
	• उच्च निर्यात मूल्य के कारण, विदेशी 'ड्रैगन फ्रूट' देश में हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हो गया है और इसे विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा खेती के लिए अपनाया गया है।
	• **ड्रैगन फ्रूट की तीन मुख्य किस्में:** गुलाबी परत के साथ सफेद गूदा वाला फल, गुलाबी परत के साथ लाल गूदा वाला फल और पीलीपरत के साथ सफेद गूदा वाला फल।
	• हालांकि, आम तौर पर उपभोक्ताओं द्वारा लाल और सफेद गूदा वाला फल पसंद किया जाता है।
	• **ड्रैगन फ्रूट उगाने वाले भारतीय राज्य:** कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
	• **प्रमुख ड्रैगन फल उगाने वाले देश:** मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।
	• ये देश भारतीय ड्रैगन फ्रूट के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।
	• **वृद्धि की आवश्यकताएं और लाभ:**
	  ○ इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है।
	  ○ इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है।
	  ○ फल में फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
	  ○ यह ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण कोशिका क्षति को ठीक करने और सूजन को कम करने
	  ○ पाचन तंत्र में सुधार करने में सहायक होता है।

बांधों को सुरक्षित और लोचदार बनाना	**सुर्खियों में :** भारत सरकार, केन्द्रीय जल आयोग, 10 प्रतिभागी राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने हाल ही में दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं उसके प्रदर्शन में सुधार से संबंधित 250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। • हस्ताक्षरित परियोजना को द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP-2) के रूप में जाना जाता है। **DRIP-2 की विशेषताएं क्या हैं?**

	• यह परियोजना बांध सुरक्षा दिशानिर्देशों के निर्माण, वैश्विक अनुभव और नवीन तकनीकों को पेश करके बांध सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। इस परियोजना के तहत बांध सुरक्षा प्रबंधन पर बल दिया जायेगा। • बांध से जुड़ी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की शुरूआत इस परियोजना के तहत परिकल्पित एक अन्य प्रमुख नवाचार है, जिससे बांध सुरक्षा प्रबंधन के बदल जाने की संभावना है और यह प्राथमिकता वाले बांध सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करेगा। • बांध सुरक्षा परियोजना छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों में 120 बांधों में लागू की जाएगी। केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करेगा। • समय के साथ परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अन्य राज्यों या एजेंसियों को भी परियोजना में जोड़ा जा सकता है। • **DRIP-2 भी समर्थन करेगा:** ○ बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियाँ और एकीकृत जलाशय प्रचालन जो जलवायु लचीलापन के निर्माण में योगदान देंगे; ○ जलवायु परिवर्तन के संभावित नकारात्मक प्रभावों और खतरों के प्रति संवेदनशील डाउनस्ट्रीम समुदायों को तैयार करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए आपातकालीन कार्य योजनाओं की तैयारी उनका कार्यान्वयन करेंगे। ○ इन उपायों में फ्लोटिंग सोलर पैनल जैसी पूरक राजस्व सृजन की योजनाओं का संचालन भी शामिल है।
मिनरवेरिया पेंटालि 	**मेंढक की नई प्रजाति के बारे में** • मिनरवर्या पेंटाली, केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट से खोजा गया था। • यह नई प्रजाति दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। • यह प्रजाति सबसे छोटे ज्ञात मिनर्वारिया मेंढकों में भी है। • यह डिक्रोग्लोसिडे परिवार से संबंधित है। • नई प्रजातियों की पहचान "बाहरी आकृति विज्ञान, डीएनए और कॉलिंग पैटर्न" सहित कई मानदंडों के आधार पर की गई थी। • अध्ययन को डीयू, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DoST), CSIR, यूएस से क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड और यूएस में ग्लोबल वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। • मिनरवर्या सह्याद्रि मेंढक की एक प्रजाति है जो भारत के पश्चिमी घाटों में भी पाई जाती है। • इसकी IUCN स्थिति संकटग्रस्त है।
स्काईग्लो- प्रकाश प्रदूषण **समाचारों में : बढ़ते शहरीकरण और नई स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, सुरक्षा फ्लडलाइट्स और बाहरी सजावटी प्रकाश व्यवस्था ने आकाश की चमक, एक प्रकार के प्रकाश प्रदूषण में योगदान दिया है।**	• स्काईग्लो रात को आकाश और उसके आसपास के शहरों में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है, जो सबसे चमकीले सितारों को छोड़कर सभी को देखने से रोक सकती है। • यह प्रकाश प्रदूषण का आमतौर पर देखा जाने वाला पहलू है। • आकाश चमक के प्राकृतिक घटक के पांच स्रोत हैं: ○ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा और पृथ्वी से परावर्तित होता है। ○ ऊपरी वायुमंडल (एक स्थायी, निम्न-श्रेणी का उरोरा) में धुंधली हवा चमकती है। ○ सूर्य का प्रकाश ग्रहों की धूल (राशि चक्र प्रकाश) से परावर्तित होता है। ○ वातावरण में फैली तारों की रोशनी और फीकी पड़ने वाली पृष्ठभूमि की रोशनी। ○ अनसुलझे तारे और नीहारिकाएं (आकाशीय पिंड या अंतरतारकीय धूल और गैस के विसरित द्रव्यमान जो प्रकाश की धुंधली धुंध के रूप में दिखाई देते हैं)। **स्काई-ग्लो के मानव निर्मित स्रोत क्या हैं?** • इलेक्ट्रिक लाइटिंग • प्रकाश जो या तो ल्यूमिनेयर द्वारा सीधे ऊपर की ओर उत्सर्जित होता है या जमीन से परावर्तित होता है,

	यह वातावरण में धूल और गैस के अणुओं द्वारा बिखरा हुआ होता है, जिससे एक चमकदार पृष्ठभूमि बनती है। **पारिस्थितिक तंत्र पर स्काईग्लो और रात के प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं?** • निशाचर चींटियां आउटबाउंड यात्रा के लिए लैंडमार्क का उपयोग करती हैं, लेकिन घर लौटते समय उन्हें अपने आकाश कम्पास की आवश्यकता होती है। • प्रवासी पक्षियों के पास एक चुंबकीय कंपास होता है, जिसके साथ वे अक्षांश और चुंबकीय उत्तर की जांच करते हैं, लेकिन भौगोलिक उत्तर में अपने चुंबकीय कंपास को कैलिब्रेट करने के लिए अपने भौगोलिक कंपास का उपयोग करते हैं। • सबसे खराब स्थिति में, जिन जानवरों को अपना घर या प्रजनन स्थल खोजने के लिए सितारों की आवश्यकता होती है, वे इसे कभी नहीं बना सकते हैं। • हाल के अध्ययन के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि भृंग सीधे चमकदार कृत्रिम रोशनी की चकाचौंध के माध्यम से और परोक्ष रूप से स्काईग्लो के माध्यम से प्रकाश प्रदूषण के संपर्क में आते हैं, अपने भौगोलिक कम्पास को छोड़ देते हैं और इसके बजाय बीकन (beacons) के रूप में पृथ्वी पर कृत्रिम रोशनी पर भरोसा करते हैं। • भृंगों की तरह, अन्य प्रजातियां जो अन्य कंपास संदर्भों पर भरोसा करती हैं, वे भी आकाश की चमक के कारण तारों के नुकसान से पीड़ित हैं।
असम में 5 साल में 22 गैंडों का किया गया शिकार	एशिया में गैंडों की तीन प्रजातियां हैं - एक-सींग वाला गैंडा (Greater One-Horned Rhino), जावन (Javan) और सुमात्रन (Sumatran) पाई जाती हैं। • भारत दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे का घर है • गैंडों के सींग के लिये इनका शिकार करना और इनके निवास स्थान की क्षति एशिया में गैंडों के अस्तित्व के लिये दो सबसे बड़े खतरे हैं। • दो सबसे बड़े खतरे: सींगों का अवैध शिकार और आवास का नुकसान • राइनो रेंज़ के पाँच देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) ने इन प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिये 'न्यू डेल्ही डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज़ (The New Delhi Declaration on Asian Rhinos), 2019 पर हस्ताक्षर किये हैं। **सुरक्षा की स्थिति** • IUCN की रेड लिस्ट ○ जावन और सुमात्रा राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त ○ एक-सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा): असुरक्षित • गैंडो की तीनों प्रजातियों को परिशिष्ट I (CITES) के तहत सूचीबद्ध किया गया है। • एक-सींग वाले गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है। • भारत में गैंडे मुख्य रूप से पाए जाते हैं: ○ **असम:** काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (एनपी), पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (डब्ल्यूएलएस), ओरंग एनपी और मानस एनपी। ○ पश्चिम बंगाल: जलदापारा एनपी और गोरुमारा एनपी। ○ उत्तर प्रदेश: दुधवा टाइगर रिजर्व।
करेज़ (Karez') की सिंचाई प्रणाली	**समाचारों में :** करेज़ अफगानिस्तान में जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणालियों में से एक होने के कारण, पुनरुत्थान वाले तालिबान शासन के तहत खतरे में है। **कानात / करेज़ क्या है?** • एक धीमी ढलान वाली सुरंग में भूमिगत ऊर्ध्वाधर शाफ्ट की यह प्रणाली एक ऊपरी जलभृत से जमीनी स्तर तक बनाई गई है। • वे ऊर्जा कुशल और हरित हैं क्योंकि वे ईंधन पर 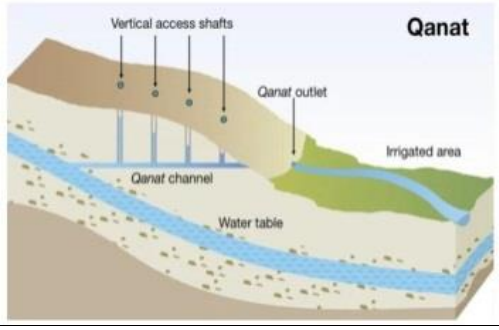

	चलने वाली किसी भी मशीन के बजाय गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करते हैं। • इसका मूल फारस में है और बाद में अरब और तुर्की भूमि में फैल गया। • यह पूरी प्रणाली एक वाटरशेड के बलों की योजना और निष्पादन है। • अपशिष्ट जल को पीने के पानी में कभी नहीं मिलाया जाता है। • इनमें पानी वाष्पित नहीं होता और सतह पर आने तक फिल्टर भी होता है। • जलभृत (aquifer) का कोई ह्रास नहीं हुआ है क्योंकि अत्यधिक उपयोग असंभव है। • इसका रखरखाव भी कम खर्चीला है। • भारत में पहली करेज प्रणाली कर्नाटक के बीदर शहर में बहमनी सुल्तान अहमद शाह वली (1422-1436) के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, जिन्होंने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया था। **अफ़ग़ानिस्तान और करेज़ को खतरा** • अफगानिस्तान एक अर्ध-शुष्क देश, जलवायु परिवर्तन के कारण अपने उत्तरी और मध्य पर्वतीय हिमनदों को खो रहा है। • ये ग्लेशियर लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल या नहरों, भूमिगत जल या बोरवेल और कानात / करेज के माध्यम से पिघला हुआ पानी प्रदान करते हैं। • करेज़ प्रणाली में अफगानिस्तान के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में पानी की समस्याओं को हल करने की क्षमता है क्योंकि कोई अन्य जल स्रोत नहीं है। • 19 अफगान प्रांतों में लगभग 9,370 करेज़ काम कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदू कुश पहाड़ों के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर केंद्रित हैं। • ये 'पश्तून क्रिसेंट' का हिस्सा हैं, जो पश्तूनों का गढ़ है, तालिबान में मुख्य जातीय समूह और देश की सबसे बड़ी जातीयता है। • दिसंबर 1979 में सोवियत आक्रमण के बाद से अफगानिस्तान में 40 से अधिक वर्षों के युद्ध में कई कारेज़ नष्ट हो गए हैं।
चार और रामसर साइटें	**सुर्खियों में:** भारत के चार और आर्द्रभूमि को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली। • ये साइटें हैं: ○ गुजरात से थोल और वाधवाना। ○ हरियाणा से सुल्तानपुर और भिंडावास। • जबकि हरियाणा को अपना पहला रामसर स्थल मिला, गुजरात को नालसरोवर के बाद तीन और मिले, जिसे 2012 में घोषित किया गया था। • इस वृद्धि के साथ, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है और इन स्थलों से आच्छादित सतह क्षेत्र अब 1,083,322 हेक्टेयर हो गया है। • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन स्थलों का बुद्धिमानी से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करेगा।
राष्ट्रीय जीन बैंक	**समाचारों में:** केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (NBPGR), पूसा, नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया। • जीन बैंक एक प्रकार का बायो रिपोज़िटरी है जो आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है (बीज पौधों, ऊतक संवर्द्धन आदि का संग्रह)। • एक जीन आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) से बने होते हैं। **नेशनल जीन बैंक के बारे में** • नेशनल जीन बैंक की स्थापना वर्ष 1996 में पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के बीजों को भावी पीढ़ियों के लिये संरक्षित करने हेतु की गई थी और इसमें बीजों के रूप में लगभग एक मिलियन जर्मप्लाज़्म को संरक्षित करने की क्षमता है। • एनजीबी के पास बीजों के रूप में लगभग 10 लाख जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। • वर्तमान में यह 4.52 लाख परिग्रहणों की रक्षा कर रहा है, जिनमें से 2.7 लाख भारतीय जनन द्रव्य हैं और

	शेष अन्य देशों से आयात किये गए हैं। • लंबी अवधि तथा मध्यम अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 'राष्ट्रीय जीन बैंक' में मुख्यतः चार प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं- बीज जीन बैंक (-18 डिग्री सेल्सियस), क्रायो जीन बैंक (-170 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस), इन विट्रो जीन बैंक (25 डिग्री सेल्सियस) और फील्ड जीन बैंक। • यह विभिन्न फसल समूहों जैसे- अनाज, बाजरा, औषधीय और सुगंधित पौधों तथा नशीले पदार्थों आदि का भंडारण करता है। **नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (NBPGR) के बारे में** • NBPGR पादप आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए भारत में एक नोडल संगठन है। • यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों में से एक है। • NBPGR देश में दिल्ली मुख्यालय और 10 क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से इन-सीटू और एक्स-सीटू जर्मप्लाज्म संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। **अन्य सुविधाएं:** • नॉर्वे में 'स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट' में दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रह मौजूद है। • भारत का 'सीड वॉल्ट' हिमालय में 'चांग ला' (लद्दाख) में स्थित है। • 'राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो' (NBAGR-करनाल, हरियाणा) में स्थापित 'राष्ट्रीय पशु जीन बैंक' का उद्देश्य स्वदेशी पशुधन जैव विविधता का संरक्षण करना है। ○ NBAGR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में से एक है।
पतला लोरिस (Slender loris)	• स्लेंडर लोरिस एक छोटा, गुप्त निशाचर नरवानर प्राणी होते हैं। • ये जानवर लगभग 25 सेमी लंबे होते हैं और इनकी लंबी, पतली भुजाएं होती हैं। उनकी सबसे प्रमुख विशेषता दो बड़ी, बारीकी से सेट, भूरी आँखों की जोड़ी है। • यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय झाड़ी और पर्णपाती जंगलों के साथ-साथ दक्षिणी भारत और श्रीलंका के खेतों की सीमा से लगे घने वृक्षारोपण में पाया जाता है। • वृक्षीय होने के कारण वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। • वे 12-15 साल के बीच रहते हैं। • पतला लोरिस की दो प्रजातियां हैं: लाल पतला लोरिस (लोरिस टार्डिग्रैडस) और ग्रे पतला लोरिस (एल। लिडेकेरियनस) • वे लैंटाना बेरी के शौकीन होते हैं और कीड़े, छिपकली, छोटे पक्षी, पेड़ मेंढक, कोमल पत्ते और कलियाँ भी खाते हैं। • उन्हें अपने चेहरे और अंगों को मूत्र से धोने की आदत होती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उन जहरीले कीड़ों के डंक से राहत या बचाव करता है जिन्हें वे खाना पसंद करते हैं। • IUCN स्थिति- संकटापन्न और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत लाया गया है।
किगाली संशोधन **सुर्खियों में:** हाल ही में केंद्र सरकार ने जलवायु-हानिकारक रेफ्रिजरेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) को चरणबद्ध तरीके से कम	• 2023 तक सभी उद्योग हितधारकों के साथ आवश्यक परामर्श के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित की जाएगी। नया फाउंडेशन • मौजूदा कानून ढाँचे में संशोधन, किगाली संशोधन के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत के उचित नियंत्रण की अनुमति देने वाले ओज़ोन क्षरण पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम वर्ष 2024 के तहत किये जाएंगे। **किगाली संशोधन:** • मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्ष, किगाली संशोधन के तहत, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को

करने के लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंज़ूरी दी है।	कम कर देंगे, जिसे आमतौर पर एचएफसी के रूप में जाना जाता है। ○ वर्ष 1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक जलवायु समझौता नहीं है। इसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) जैसे ओज़ोन क्षरण पदार्थों से पृथ्वी की रक्षा करना है, जिनका उपयोग पहले एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेंट उद्योग में किया जाता था। ○ HFC को CFC जैसे कि R-12 और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC) जैसे R-21 के गैर-ओजोन क्षयकारी विकल्प के रूप में पेश किया गया था। • जबकि HCFC समताप मंडल की ओजोन परत को कम नहीं करते हैं, उनके पास 12 से 14,000 तक उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है, जिसका जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • अक्तूबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 197 देशों ने किगाली, रवांडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एचएफसी कटौती को चरणबद्ध करने के लिये एक संशोधन को अपनाया। • किगाली संशोधन से पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी संशोधनों और समायोजनों को सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त है। • इसने हस्ताक्षरकर्ता दलों को तीन समूहों में विभाजित किया है- ○ पहले समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों जैसी समृद्ध और विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो 2019 तक एचएफसी को चरणबद्ध करना शुरू कर देंगे और इसे 2036 तक 2012 के स्तर के 15% तक कम कर देंगे। ○ दूसरे समूह में चीन, ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ कुछ अफ्रीकी देश शामिल हैं जो 2024 तक चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे और इसे 2045 तक 2021 के स्तर के 20% तक कम कर देंगे। ○ तीसरे समूह में विकासशील अर्थव्यवस्थाएं और भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसे कुछ सबसे गर्म जलवायु वाले देश शामिल हैं, जो 2028 तक एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करना शुरू करेंगे और इसे 2024 तक 2024-2026 के स्तर के 15% तक कम कर देंगे। • इसमें अनुकूलन और शमन के लिए विकासशील देशों के लिए एक बहुपक्षीय कोष का प्रावधान भी है।
असम संग्रहीत गैंडे के सींगों को नष्ट करेगा	**सुर्खियों में :** असम के पर्यावरण और वन विभाग ने जिले के कोषागारों में संग्रहीत गैंडे के सींग, हाथी दांत (हाथी दांत) और अन्य संरक्षित जानवरों के शरीर के अंगों को नष्ट करने का फैसला किया है। • लगभग 5% नमूनों को शिक्षा, जागरूकता और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाएगा। • सींग और अन्य जानवरों की वस्तुओं को नष्ट करना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की एक प्रासंगिक धारा के अनुरूप होगा। • इस उद्देश्य के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है और जल्द ही एक जनसुनवाई की जाएगी। **पृष्ठभूमि** • असम सरकार ने 2016 में 12 कोषागारों में रखे नमूनों का अध्ययन करने के लिए राइनो हॉर्न सत्यापन समिति का गठन किया था। • यह उपयोग छेड़छाड़ के बारे में सार्वजनिक आशंकाओं को दूर करने के लिए एक बोली थी और आरोप है कि अधिकारी अवैध रूप से मृत गैंडों से एकत्र किए गए सींगों का व्यापार कर रहे थे जो शिकारियों और तस्करों से प्राप्त किए गए थे।
दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य	**खबरों में :** हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य (असम) को पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र/ इको-सेंसिटिव ज़ोन के रूप में अधिसूचित किया है। **दीपोर बील क्या है?** • यह असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित होने के अलावा राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। • यह असम के गुवाहाटी शहर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है। • यह नवंबर 2002 से रामसर कन्वेंशन के तहत एक आर्द्रभूमि है। • यह निचले असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे बड़े बीलों में से एक के रूप में माना जाता है, इसे बर्मा मानसून वन जैव-भौगोलिक क्षेत्र के तहत आर्द्रभूमि प्रकार के प्रतिनिधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

	• यह कई प्रवासी प्रजातियों का निवास करने वाला एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य भी है। **चिंताएं क्या हैं?** • यहाँ दशकों पुराना रेलवे ट्रैक है जिसे बढ़ाकर दोगुना करने के साथ ही विद्युतीकृत भी किया जाना है। इसके दक्षिणी किनारे पर मानव निवास और वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा अतिक्रमण के चलते अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग (Garbage Dump) होती है। • इसका (दीपोर बील) जल विषाक्त हो गया है जिस कारण कई जलीय पौधे जिन्हें हाथियों द्वारा खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता था, समाप्त हो गए हैं।
सीसा युक्त पेट्रोल पर रोक: UNEP	**संदर्भ:** हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme-UNEP) ने घोषणा की है कि वैश्विक स्तर पर सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग समाप्त कर दिया गया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • इंजन के प्रदर्शन में सुधार के लिए 1920 के दशक की शुरुआत में पेट्रोल में सीसा मिलाना शुरू किया गया था। • सीसा युक्त पेट्रोल ने लगभग एक सदी से हवा, मिट्टी और पानी को दूषित किया है। • सीसायुक्त पेट्रोल हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर का कारण बनता है। यह मानव मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित करता है, खासकर बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। • संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण निकाय यूएनईपी ने 2002 से सीसा वाले पेट्रोल के उपयोग को समाप्त करने के लिए सरकारों, निजी कंपनियों और नागरिक समूहों के साथ काम किया है। • अधिकांश उच्च आय वाले देशों ने 1980 के दशक तक ईंधन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जुलाई में ही अल्जीरिया - ईंधन का उपयोग करने वाला अंतिम देश ने अपनी आपूर्ति समाप्त कर दी थी। • सीसा युक्त पेट्रोल के उपयोग को समाप्त करने से हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर से हर साल दस लाख से अधिक अकाल मृत्यु को रोका जा सकेगा और यह उन बच्चों की रक्षा करेगा जिनके आईक्यू सीसा के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

स्वास्थ्य

हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट: FAO-WFP	**सुर्खियों में :** हाल ही में, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने हंगर हॉटस्पॉट्स - अगस्त से नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की।
	• मई 2021 में जारी वर्ष 2021 की ग्लोबल फूड क्राइसिस (Global Food Crises Report) रिपोर्ट में पहले ही तीव्र खाद्य असुरक्षा की चेतावनी दी गई थी, इसके अनुसार खाद्य असुरक्षा अपने पांँच वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंँच गई थी, जिसके कारण वर्ष 2020 में कम-से-कम 155 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा के चक्र में फँस चुके थे।
	• **प्रमुख हंगर हॉटस्पॉट्स:** इथियोपिया, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, उत्तरी नाइजीरिया और यमन उन 23 देशों में शामिल हैं जहांँ अगस्त से नवंबर, 2021 तक खाद्य असुरक्षा की स्थिति तीव्रता से और अधिक खराब जाएगी।
	खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करने वाले कारक
	• **हिंसा:** जनसंख्या का विस्थापन, कृषि भूमि का परित्याग, जन धन और संपत्ति का नुकसान, व्यापार एवं व्यवधान तथा संघर्षों के कारण बाज़ारों तक पहुंँच की हानि खाद्य असुरक्षा की स्थिति को और अधिक बढ़ा सकती है।
	• **महामारी के झटके:** वर्ष 2020 में लगभग सभी निम्न और मध्यम आय वाले देश महामारी से ग्रसित आर्थिक मंदी से प्रभावित थे।
	• प्राकृतिक खतरे
	  ○ मौसम की चरम स्थिति और जलवायु परिवर्तनशीलता की अवधि के दौरान विश्व के कई हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना है।
	  ○ उदाहरण के लिये हैती में मई के मौसम में कम वर्षा से उपज प्रभावित होने की संभावना है। दूसरी ओर औसत से कम बारिश से मुख्य चावल उगाने वाले मौसम के दौरान उपज में कमी आने की संभावना है।

	○ जुलाई 2021 की शुरुआत में हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में रेगिस्तानी टिड्डी का संक्रमण एक बड़ी चिंता थी, जबकि अन्य क्षेत्र इससे अप्रभावित थे। • **खराब मानवीय पहुंच:** मानवीय पहुँच विभिन्न तरीकों से सीमित है, जिसमें प्रशासनिक/नौकरशाही, आंदोलन प्रतिबंध, सुरक्षा प्रतिबंध और पर्यावरण से संबंधित भौतिक बाधाएँ शामिल हैं।
अनुकूली प्रतिक्रिया (Adaptive Response)	**सुर्खियों में :** इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार, डेल्टा संस्करण के खिलाफ परीक्षण किए जाने पर कोवैक्सिन के जवाब में उत्पादित एंटीबॉडी कम हो गए थे; लेकिन सुरक्षात्मक बने रहने के लिए पर्याप्त उच्च बना रहा। **अनुकूली प्रतिक्रिया:** • वायरस से संक्रमित होने पर, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और अन्य कोशिकाओं के रूप में गैर-विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया वायरस को लक्षण पैदा करने से रोकती है। • इसके तुरंत बाद, शरीर वायरस के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी बनाता है जिसे इम्युनोग्लोबुलिन कहा जाता है, जिसे अनुकूली प्रतिक्रिया कहा जाता है। • इसके अलावा, सेलुलर प्रतिरक्षा तब शुरू होती है जब शरीर टी (T) कोशिकाओं का निर्माण करता है जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। • अनुकूली प्रतिक्रिया और सेलुलर प्रतिरक्षा के संयोजन से प्रगति को गंभीर होने से रोका जा सकता है। • टी (T) कोशिकाओं के अलावा, शरीर मेमोरी बी (B) कोशिकाएं भी बनाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर तेजी से एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। यदि वे फिर से वायरस मिलने का अनुभव करते है तो जल्दी से एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। • साथ ही, पहले से मौजूद मेमोरी टी (T) कोशिकाएं केवल COVID-19 की गंभीरता को कम कर सकती हैं, संक्रमण को नहीं रोक सकतीं। • मेमोरी टी (T) कोशिकाएं रोग की गंभीरता को कम करने में कैसे मदद कर सकती हैं? • सक्रिय होने पर क्रॉस-रिएक्टिव मेमोरी टी (T) कोशिकाएं किलर टी (T) कोशिकाओं के विकास में मदद करेंगी जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को मार देंगी। • क्रॉस-रिएक्टिविटी एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक एंटीबॉडी अपने संबंधित एंटीजन के अलावा किसी अन्य पदार्थ पर प्रतिक्रिया करता है। • यह संभवतः रोग की गंभीरता को कम करेगा। **समय के साथ एंटीबॉडी क्यों कम हो जाती हैं?** • एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं और ये किसी भी अन्य प्रोटीन की तरह कुछ महीनों के भीतर स्वाभाविक रूप से टूट कर शरीर से निकाल दिया जाएगा। • एक बार संक्रमण या टीका पूरी तरह से हटा दिए जाने के बाद, मेमोरी बी (B) कोशिकाएं अब प्लाज्मा सेल की आबादी की भरपाई नहीं करती हैं, जो बाद में कम हो जाती है।
ध्यानचंद पुरस्कार हाल ही में सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर "मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार" कर दिया गया।	**मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार** • यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। • यह भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान। • यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो चार साल तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। • इसमें एक पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। • **पहला प्राप्तकर्ता:** विश्वनाथन आनंद • **वर्तमान में पाने वाले :** रोहित शर्मा (क्रिकेट), मनिका बत्रा (टीटी), मरियप्पन थंगावेलु (पैरालंपिक ऊंची कूद), रानी रामपाल (हॉकी (डब्ल्यू))। **मेजर ध्यानचंद के बारे में** • इस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को खेल के इतिहास में सबसे महान माना जाता है। • उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के रूप में मनाया जाता है।

	• **उनके नाम पर दो सर्वोच्च सम्मान:** मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार (जीवन भर की उपलब्धि के लिए)। • इनको वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

मारबर्ग वायरस
 	
समाचारों में : हाल ही में पश्चिम अफ्रीका के गिनी में अत्यंत संक्रामक और घातक 'मारबर्ग वायरस' के पहले मामले की पुष्टि हुई है।
मारबर्ग वायरस रोग (MVD) को पहले मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था।
	• 'मारबर्ग वायरस' रोग एक अत्यधिक विषाणुजनित रोग है, जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, इसका प्रसार चमगादड़ द्वारा किया जाता है और इसमें मृत्यु दर 88% से अधिक है।
	• यह वायरस भी इबोला वायरस परिवार से संबंधित है।
	• वर्ष 1967 में मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) तथा बेलग्रेड (सर्बिया) में एक साथ वायरस के दो बड़े प्रकोप देखे गए थे।
	• ये प्रकोप युगांडा से आयातित अफ्रीकी हरे बंदरों (सर्कोपिथेकस एथियोप्स) के उपयोग संबंधी प्रयोगशाला के कार्य से जुड़े हुए थे।
	• **लक्षण:** सिरदर्द, उल्टी में रक्त आना, मांसपेशियों में दर्द और विभिन्न छिद्रों से रक्तस्राव। इसके लक्षण तीव्र गति से गंभीर रूप ले सकते हैं और इससे पीलिया, अग्न्याशय की सूजन, तीव्र वज़न हास्र, लीवर की विफलता, बड़े पैमाने पर रक्तस्राव तथा बहु-अंग रोग आदि हो सकते हैं। वायरस के तनाव और केस प्रबंधन के आधार पर पिछले प्रकोपों में केस घातक दर 24% से 88% तक भिन्न है।
	• संचरण
	  ○ रोसेटस इजिपियाकस, फ्रूट बैट या मेगाबैट्स, मारबर्ग वायरस के प्राकृतिक मेजबान माने जाते हैं।
	  ○ मारबर्ग वायरस फलों के चमगादड़ों से लोगों में फैलता है और मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है।
	  ○ एक बार जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो मारबर्ग मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से सीधे संपर्क (त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली) द्वारा संक्रमित लोगों के रक्त, स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ और सतहों तथा सामग्रियों के साथ फैल सकता है (जैसे बिस्तर और कपड़े आदि)।
	• **उपचार और टीके:** मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के लिये कोई विशिष्ट उपचार या अनुमोदित टीका नहीं है। इसमें अस्पताल समर्थित चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिये।
	• अस्पताल समर्थित चिकित्सा पद्धति में रोगी के तरल पदार्थ तथा इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करना, ऑक्सीजन की स्थिति और रक्तचाप को बनाए रखना, रक्त की कमी एवं रक्त के थक्के के कारकों को बदलना एवं किसी भी जटिल संक्रमण के लिये उपचार शामिल है।
	• सबसे खराब महामारी 2005 में अंगोला में थी, जिसमें 252 संक्रमण थे और मृत्यु दर 90% थी। यह महामारी स्पष्ट रूप से बाल चिकित्सा वार्ड में दूषित आधान उपकरण के पुन: उपयोग से फैलती है

वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण	हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (GYTS-4) के चौथे चरण की शुरुआत की गई। **प्रमुख बिंदु** ▪ स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़ (IIPS)) द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण का चौथा चरण (GYTS-4) आयोजित किया गया था। ▪ सर्वेक्षण को राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (UT) में 13-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की लैंगिकता, स्कूल के स्थान (ग्रामीण-शहरी) और स्कूल के प्रबंधन (सार्वजनिक-निजी) के बीच तंबाकू के उपयोग का राष्ट्रीय अनुमान तैयार करने के लिये डिज़ाइन किया गया था। ▪ GYTS के पहले तीन चरण 2003, 2006 और 2009 में आयोजित किये गए थे। **सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष** ▪ भारत में 29% से अधिक छात्र सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में थे। ▪ पिछले एक दशक में स्कूल जाने वाले 13-15 वर्ष के बच्चों में तंबाकू के सेवन में 42 प्रतिशत की गिरावट आई है। ▪ किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन लड़कों में अधिक था।

	▪ स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन करने वाले अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में सबसे अधिक तथा हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में सबसे कम थे। ▪ सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले 38 प्रतिशत, बीड़ी का इस्तेमाल करने वाले 47 प्रतिशत और धूम्रपान रहित तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले 52 प्रतिशत ने 10 वर्ष की आयु से पूर्व ही तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
डेल्टा संस्करण के फैलने पर चीन ने पहले मिश्रित वैक्सीन परीक्षण को मंजूरी दी	**सुर्खियों में :** चीन के दवा नियामक ने देश के पहले मिश्रित वैक्सीन परीक्षण को मंजूरी दे दी है, क्योंकि डेल्टा संस्करण का तेजी से प्रसार घरेलू स्तर पर उत्पादित जैब्स के प्रभावों के बारे में चिंता पैदा करता है। • यह परीक्षण चीन के सिनोवैक से "निष्क्रिय" वैक्सीन को अमेरिकी दवा कंपनी इनोवियो द्वारा विकसित डीएनए-आधारित वैक्सीन के संयोजन के प्रभाव का परीक्षण करेगा। • प्रीक्लिनिकल वर्क में पाया गया है कि "दो अलग-अलग वैक्सीन एप्लिकेशन एक और भी मजबूत और अधिक संतुलित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। **क्या आप जानते हैं?** • कई प्रकार के COVID-19 टीके हैं, जिनमें वे शामिल हैं जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए एक निष्क्रिय या क्षीण वायरस का उपयोग करते हैं, और अधिक महत्वपूर्ण RNA या DNA आधारित जैब्स जो एक प्रोटीन बनाने के लिए कोरोनवायरस के आनुवंशिक कोड के इंजीनियर संस्करणों का उपयोग करते हैं जो निश्चित रूप से कारण बनता है एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। • विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह कहने के लिए अभी भी पर्याप्त डेटा नहीं है कि क्या दो अलग-अलग टीकों का एक साथ उपयोग करना सुरक्षित है या प्रतिरक्षा को बढ़ा सकता है।
'ZyCov-D' वैक्सीन	**समाचारों में:** भारत के औषधि महानियंत्रक (Drug Controller General-DCGI) ने कोरोना वैक्सीन ZyCoV-D को आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की। • कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक वी और मॉडर्न के बाद भारत में उपयोग के लिए स्वीकृत होने के बाद यह पांचवां टीका है। **कोरोना वैक्सीन ZyCoV-D के बारे में** • Zycov-D अहमदाबाद स्थित भारतीय कंपनी जायडस कैडिला समूह द्वारा विकसित एक COVID-19 वैक्सीन है और यह भारत में पहला टीका है जिसे वयस्कों के साथ-साथ 12 और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी दिया जा सकता है। • यह दुनिया में एकमात्र डीएनए-आधारित टीका भी है और इसे बिना सुई के प्रशासित किया जा सकता है, कथित तौर पर प्रतिक्रियाओं की संभावना को कम करता है। • इसे फार्माजेट सुई रहित तकनीक (PharmaJet needle free applicator) की मदद से लगाया जाएगा. इसमें सुई की जरूरत नहीं पड़ती. बिना सुई वाले इंजेक्शन में दवा भरी जाती है, फिर उसे एक मशीन में लगाकर बांह पर लगाते हैं। मशीन पर लगे बटन को क्लिक करने से टीका की दवा अंदर शरीर में पहुंच जाती है। • वैक्सीन को 'मिशन COVID सुरक्षा' के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। • एक बार दी जाने वाली तीन-खुराक वाली वैक्सीन SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करती है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। • प्लग-एंड-प्ले तकनीक जिस पर प्लास्मिड DNA प्लेटफॉर्म आधारित है, को वायरस में उत्परिवर्तन से निपटने के लिए आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि पहले से होने वाले उत्परिवर्तन।
बुजुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता सूचकांक **सुर्खियों में:** प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने बुजुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता	• EAC-PM के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा यह सूचकांक तैयार किया गया है, जो ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है जिनका अक्सर बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्याओं में उल्लेख नहीं किया जाता है। • यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों में आयु बढ़ने के क्षेत्रीय पैटर्न की पहचान करने के साथ-साथ देश में आयु बढ़ने की समग्र स्थिति का भी आकलन करती है। • सूचकांक ढांचे में शामिल हैं: ○ **चार स्तंभ:** वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा, और

सूचकांक जारी किया।	○ आठ उप-स्तंभ: आर्थिक सशक्तीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति और रोजगार, सामाजिक स्थिति, शारीरिक सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा पर्यावरण को सक्षम बनाना। **रिपोर्ट से मुख्य विशेषताएं:** • स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ का अखिल भारतीय स्तर पर उच्चतम राष्ट्रीय औसत 66.97 है, जिसके बाद सामाजिक कल्याण स्तंभ का स्कोर 62.34 है। • वित्तीय कल्याण का स्कोर 44.7 है, जो शिक्षा प्राप्ति और रोज़गार स्तंभ में 21 राज्यों के निम्न प्रदर्शन से कम है, यह सुधार की संभावना को प्रदर्शित करता है। • राज्यों ने आय सुरक्षा स्तंभ में विशेष रूप से खराब प्रदर्शन किया है क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का स्कोर राष्ट्रीय औसत से कम है, जो सभी स्तंभों में सबसे कम है। • राजस्थान और हिमाचल प्रदेश क्रमशः वृद्ध और अपेक्षाकृत वृद्ध राज्यों में शीर्ष स्कोरर हैं। चंडीगढ़ और मिज़ोरम केंद्रशासित प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्कोरर हैं। • वृद्ध राज्य 5 मिलियन से अधिक की वृद्ध आबादी वाले राज्यों को संदर्भित करता है, जबकि अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य 5 मिलियन से कम की वृद्ध आबादी वाले राज्यों को संदर्भित करता है। • **महत्व:** ये स्तंभ-वार विश्लेषण राज्यों को बुजुर्ग आबादी की स्थिति का आकलन करने और मौजूदा अंतराल की पहचान करने में मदद करते हैं जो उनके विकास में बाधा डालते हैं।
देश का पहला mRNA बेस्ड टीका	**सुर्खियों में:** जेनोवा कंपनी द्वारा विकसित राष्ट्र का पहला mRNA-आधारित टीका सुरक्षित पाया गया है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCG (I) ने इसके चरण II / III परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। **जेनोवा के mRNA-आधारित कोविड-19 वैक्सीन विकास कार्यक्रम के बारे में** • जेनोवा के एमआरएनए-आधारित कोविड-19 वैक्सीन विकास कार्यक्रम को आंशिक रूप से जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। • बाद में, DBT ने मिशन COVID सुरक्षा- भारतीय COVID-19 वैक्सीन विकास मिशन, BIRAC द्वारा कार्यान्वित के तहत कार्यक्रम का समर्थन किया। **मिशन COVID सुरक्षा के बारे में** • यह कोरोनावायरस के लिए लगभग 5-6 टीकों के विकास में तेजी लाने के लिए एक मिशन है। • हालांकि, अब तक कुल 10 वैक्सीन उम्मीदवारों को DBT द्वारा समर्थित किया गया है। • इस मिशन के तहत वैक्सीन के प्रीक्लिनिकल और क्लिनिकल विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना है, ताकि देश में नोवेल कोरोनावायरस के किसी भी तरह के प्रसार को तुरंत जारी किया जा सके और इसे प्रतिबंधित किया जा सके। **DBT BIRAC (Biotechnology Industry Research Assistance Council) के बारे में** • जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) एक गैर-लाभकारी धारा 8, अनुसूची B, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT), भारत सरकार द्वारा उभरते बायोटेक को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। • BIRAC एक उद्योग-अकादमिक इंटरफेस है और प्रभाव पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से अपने जनादेश को लागू करता है, चाहे वह लक्षित वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, IP प्रबंधन और हैंडहोल्डिंग योजनाओं के माध्यम से जोखिम पूंजी तक पहुंच प्रदान करना हो जो बायोटेक फर्मों के लिए नवाचार उत्कृष्टता लाने में मदद और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी करता है।
चिकनगुनिया वैक्सीन **सुर्खियों में :** इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट (IVI) ने घोषणा की है कि भारत बायोटेक के चिकनगुनिया वैक्सीन उम्मीदवार	**वैक्सीन के बारे में:** • BBV87 एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है, जो Covaxin के समान है। • निष्क्रिय टीकों में वायरस होते हैं जिनकी आनुवंशिक सामग्री गर्मी, रसायनों या विकिरण से नष्ट हो गई है, इसलिए वे कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। • भारत बायोटेक के चिकनगुनिया वैक्सीन उम्मीदवार को इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट (IVI) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। • चिकनगुनिया वैक्सीन का विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक पहल है, जो ग्लोबल

(BBV87) ने दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में प्रवेश किया है। वर्तमान में कोई वाणिज्यिक चिकनगुनिया टीका नहीं है।	चिकनगुनिया वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम (GCCDP) के हिस्से के रूप में है। • इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के Ind-CEPI मिशन के महामारी की तैयारी में नवाचारों हेतु गठबंधन (CEPI) के द्वारा वित्तपोषित किया गया था। **चिकनगुनिया क्या है?** • चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है जिसके पहचान पहली बार वर्ष 1952 में दक्षिणी तंजानिया में इसके संक्रमण के दौरान की गई थी। • यह नाम स्थानीय किमाकोंडे भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है "विकृत हो जाना" तथा इस बीमारी के कारण होने वाले जोड़ों के तीव्र दर्द से पीड़ित रोगियों की अवस्था का वर्णन करना। • **संचरण:** यह संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। ○ यह अक्सर एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों द्वारा लोगों में फैलता है। ये वही मच्छर हैं जो डेंगू वायरस फैलाते हैं। ○ मच्छर संक्रमित मनुष्यों या जानवरों को काटने से संक्रमण प्राप्त करते हैं। ○ मौसम की स्थिति भी उनके प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करती है। ○ **लक्षण:** गंभीर जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, मतली, थकान और चकत्ते शामिल हैं। ○ **उपचार:** वर्तमान में चिकनगुनिया के इलाज के लिये कोई टीका या एंटीवायरल दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं और उपचार केवल संक्रमण से जुड़े लक्षणों पर केंद्रित है। • **मामलों में वृद्धि का कारण:** शहरी, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में वेक्टर जनित रोग की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसका कारण है: ○ अव्यवस्थित शहरीकरण। ○ पानी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के कारण मच्छरों के प्रजनन स्थलों का प्रसार। ○ विशिष्ट एंटीवायरल दवा या टीके का अभाव।
हवाना सिंड्रोम	**सुर्खियों में:** हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सिंगापुर से वियतनाम यात्रा हवाना सिंड्रोम के कारण विलंबित (delayed) हो गई थी। **इस सिंड्रोम के बारे में:** • 2016 के उत्तरार्द्ध में हवाना (क्यूबा) में तैनात संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनयिकों और उनके कर्मचारियों ने कुछ सामान्य लक्षणों की सूचना दी थी। • जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और चीन सहित अन्य देशों में सेवारत अमेरिकियों द्वारा इन "अस्पष्टीकृत स्वास्थ्य बीमारियों" की सूचना दी गई है। • हवाना सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिनमें मतली, सुनने की क्षमता में कमी, याददाश्त कम होना, चक्कर आना और टिनिटस शामिल हैं। • उन सभी ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनने और अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करने के बाद इस बीमारी को महसूस किया। • जब कुछ प्रभावित लोगों के मस्तिष्क को स्कैन किया गया, तो क्लीनिकल में कार दुर्घटना या बम विस्फोट के समान ऊतक क्षति का पता चला। • हवाना सिंड्रोम के वास्तविक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। • दिसंबर 2020 में, एक रिपोर्ट से पता चला कि निर्देशित और स्पंदित रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा इस सिंड्रोम के लिए सबसे "प्रशंसनीय (plausible)" कारण है। • कुछ शोधकर्ताओं ने माइक्रोवेव हथियारों को सिंड्रोम के लिए "एक मुख्य संदिग्ध" माना है।
न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन **सुर्खियों में:** हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य	• इससे पहले दिसंबर 2020 में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 'न्यूमोसिल' को लॉन्च किया गया था। **इस वैक्सीन के बारे में** • यह न्यूमोकोकल रोग से सुरक्षा प्रदान करती है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को न्यूमोकोकल रोग से बचा सकती है।

में शिशुओं के लिये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine-PCV) टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।	• यह वैक्सीन न्यूमोकोकी कुल (Pneumococci Family) के कई जीवाणुओं के मिश्रण से तैयार की गई है, जिन्हें निमोनिया का कारण माना जाता है, इसलिये वैक्सीन के नाम में 'कॉन्जुगेट' शामिल है। • कॉन्जुगेट वैक्सीन को दो अलग-अलग घटकों का उपयोग करके बनाया जाता है। **न्यूमोकोकल रोग क्या है?** • स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को न्यूमोकोकल रोग के नाम से जाना जाता है। • ज़्यादातर लोगों के नाक और गले में न्यूमोकोकस जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि जीवाणु के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। हालाँकि कभी-कभी बैक्टीरिया/जीवाणु बढ़कर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं और तब लोग बीमार हो जाते हैं। • निमोनिया के अलावा, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया भी पैदा कर सकता है: कान में संक्रमण, साइनस संक्रमण, मेनिन्जाइटिस (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाले ऊतक का संक्रमण) और बैक्टेरिमिया (रक्त का संक्रमण)।
बीसीजी वैक्सीन: 100 साल और गिनती	**संदर्भ:** मनुष्यों में तपेदिक (tuberculosis-TB) के खिलाफ टीका बीसीजी (बैसिलस कैलमेट-गुएरिन) के पहले उपयोग का शताब्दी समारोह। **टीबी के बारे में** • टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है। • मनुष्यों में टीबी सबसे अधिक फेफड़ों (फुफ्फुसीय टीबी) को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। • यह अति प्राचीन रोग होने के बावजूद (3000BC में जो मिस्र में मौजूद), इसे काफी हद तक मिटाया या नियंत्रित नहीं किया गया है। • WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में 1.4 मिलियन मौतों के साथ 10 मिलियन लोगों ने टीबी उत्पन्न हुआ। भारत में इन मामलों का 27% हिस्सा है। **बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (Bacillus Calmette-Guerin-BCG) के बारे में** • बीसीजी को दो फ्रांसीसी, अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुएरिन द्वारा विकसित किया गया था। • उन्होंने माइकोबैक्टीरियम बोविस (जो मवेशियों में टीबी का कारण बनता है) के एक स्ट्रेन को तब तक संशोधित किया जब तक कि यह रोग पैदा करने की अपनी क्षमता खो नहीं देता और प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखता है। यह पहली बार 1921 में मनुष्यों में प्रयोग किया गया था। • टीबी के विपरीत टीके के रूप में इसके प्राथमिक उपयोग के अलावा, बीसीजी नवजात शिशुओं के श्वसन और जीवाणु संक्रमण और कुष्ठ तथा बुरुली के अल्सर जैसे अन्य माइकोबैक्टीरियल रोगों से भी बचाता है। • भारत में बीसीजी को पहली बार 1948 में सीमित पैमाने पर लाया गया था जो वर्ष 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया। • बीसीजी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह कुछ भौगोलिक स्थानों में अच्छा काम करता है और दूसरों में इतना अच्छा नहीं। आम तौर पर कोई देश भूमध्य रेखा से जितना दूर होता है, उसकी प्रभावशीलता उतनी ही अधिक होती है। ○ यूके, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में इसका उच्च प्रभाव है; और भारत, केन्या और मलावी जैसे भूमध्य रेखा पर या उसके आस-पास के देशों में बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं है, जहां टीबी रोग अधिक है। • वर्तमान में बीसीजी टीबी की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र मान्यता प्राप्त टीका है। • पिछले दस वर्षों में टीबी के लिए 14 नए टीके विकसित किए गए हैं और क्लीनिकल परीक्षणों में हैं।
वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण	**संदर्भ:** हाल ही में रूस ने इस शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस (WNV) के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी थी क्योंकि हल्के तापमान और भारी वर्षा इसे ले जाने वाले मच्छरों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। • यह फ्लैविवायरस जीनस का सदस्य है और फ्लैविविरिडे परिवार के जापानी इंसेफेलाइटिस एंटीजेनिक

	कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। • WNV को पहली बार वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में पाया गया था। • वर्ष 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई थी। 1997 से पहले, WNV को पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता था। • कई देशों में WNV के कारण होने वाले मानव संक्रमणों की रिपोर्ट ५० से अधिक वर्षों से है। WNV आमतौर पर अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया में पाया जाता है। • WNV एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। यह संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है। यह मनुष्यों में एक घातक स्नायविक रोग का कारण बन सकता है। • **लक्षण:** ○ संक्रमित लोगों में आमतौर पर कोई लक्षण या हल्के लक्षण नहीं होते हैं। ○ इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और सूजी हुई लसीका ग्रंथियां शामिल हैं। वे कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक ये रहते हैं, और आमतौर पर अपने आप चले जाते हैं। ○ यदि वेस्ट नाइल वायरस मस्तिष्क में प्रवेश करता है, तो जानलेवा हो सकता है। यह मस्तिष्क की सूजन का कारण हो सकता है, जिसे एन्सेफलाइटिस कहा जाता है, या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले ऊतक की सूजन, जिसे मेनिन्जाइटिस कहा जाता है। • **इलाज:** ○ मानव WNV रोग के लिए कोई विशिष्ट टीके या उपचार नहीं हैं। ○ WNV से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों के काटने से बचाव।

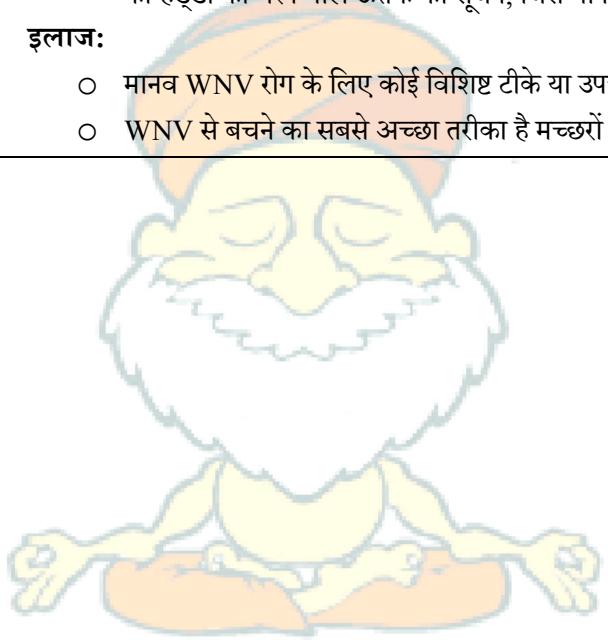

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC Preparation

Our 2020 Toppers

Jagrati Awasthi
AIR 2, 2020

Arth Jain
AIR 16, 2020

Podishetty Srija
AIR 20, 2020

Vaishali Jain
AIR 21, 2020

Pulkit Singh
AIR-26, 2020

1445+ Ranks From The Website, 475+ Ranks From ILP/TLP Alone In The Last 5 Years, The Most Trusted Institution For UPSC Preparation Is Now Back With Amazing Programs For Your UPSC Preparation

The Smartest Way To Get Into IAS/ IPS

Baba's Foundation Course - 2022

The Most Comprehensive CLASSROOM Program for Fresher's

- Mentorship By Subjectwise Experts
- Integrated Program (Prelims+Mains+Interview)
- Live Doubt Clearing Session (Online) & Direct Interaction With Mentors (Offline)
- Focus On Fundamentals Through Strategy Classes
- Sessions By Experts & Toppers
- Value Add Notes
- Hybrid Model Of Classes
- Prelims & Mains Test Series

8 Fold Path

New Batch Starts From October 25th

at Delhi

Admissions Open

SCAN QR/
Visit Website

www.iasbaba.com | support@iasbaba.com | +919169191888

भारतीय विरासत संस्थान	**खबरों में:** जुलाई, 2021 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नोएडा (उ.प्र.) में देश में अपनी तरह के पहले भारतीय विरासत संस्थान (Indian Institute of Heritage) को स्थापित करने की घोषणा की। **मुख्य तथ्य:** • सरकार ने नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में 'भारतीय विरासत संस्थान' स्थापित करने का निर्णय लिया है। • यह एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा जो विरासत से जुड़े ज्ञान के अनुसंधान, विकास और प्रसार की पेशकश करते हुए भारत की समृद्ध मूर्त विरासत में संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। • यह कला, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण, पुरालेख और मुद्राशास्त्र, पांडुलिपि विज्ञान आदि के इतिहास में परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को संरक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करेगा। • यह देश में अपनी तरह का एक अकेला संस्थान होगा और समृद्ध भारतीय विरासत तथा इसके संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मदुर मैट	**सुर्ख़ियों में :** हाल ही में पश्चिम बंगाल की दो महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान, 'मदुर फ्लोर मैट' (Madur Floor Mats) के निर्माण के लिये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। • बंगाली जीवनशैली का एक आंतरिक हिस्सा, मदुर मैट या मधुरकथी प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं। • लगभग 74% बुनकर हाथ से बुने हुए चटाइयां बनाते हैं और शेष करघा आधारित उत्पाद विकसित करते हैं। • पारंपरिक चटाई बनाने वाले परिवारों में से कुछ अभी भी स्थानीय रूप से मसलैंड या मातरंची के रूप में जानी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की चटाई की बुनाई की जानकारी रखते हैं। • WBKVIB (पश्चिम बंगाल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड) ने मदुरकाठी कारीगरों के कौशल, क्षमता और संस्थानों को विकसित करने, उनकी कमाई बढ़ाने के लिए बाजार से जुड़ाव की सुविधा प्रदान करने और पुरबा तथा पश्चिम मेदिनीपुर में ढांचागत सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल की है। • घर की महिलाएं इस खूबसूरत शिल्प को बुनने में शामिल हैं। **मसलैंड (Masland) के बारे में** • मसलैंड एक अच्छी गुणवत्ता वाली मदुर चटाई है, जिसे बुनने में हफ्तों का समय लगता है। • अठारहवीं शताब्दी के दौरान, शाही संरक्षण में मसलैंड चटाई फली-फूली। • 1744 में नवाब अलीबर्दी खान ने इस संबंध में जागीरदार को एक चार्टर जारी किया और परिणामस्वरूप, कलेक्ट्रेट में उपयोग के लिए मसलैंड मैट की आपूर्ति करना अनिवार्य था।
उत्तराखंड के नारायणकोटि मंदिर को केंद्र की 'धरोहर गोद लें' (Adopt a Heritage) परियोजना	**'धरोहर गोद लें' (Adopt a Heritage) परियोजना:** • इस परियोजना को 27 सितंबर, 2017 (विश्व पर्यटन दिवस) पर शुरू किया गया था, यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का एक समन्वित प्रयास है। • **उद्देश्य:** संपूर्ण देश में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करना ताकि उन्हें पर्यटन के अनुकूल, योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके। • **कार्यान्वयन:** स्थलों/स्मारकों का चयन पर्यटकों की संख्या और दृश्यता के आधार पर किया जाता है तथा इसे पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिये निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जा सकता है जिन्हें स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। • स्मारक मित्रों का चयन 'निगरानी और दृष्टि समिति' (Oversight and Vision Committee) द्वारा किया जाता है, जिसकी सह-अध्यक्षता पर्यटन सचिव और संस्कृति सचिव द्वारा विरासत स्थल पर सभी सुविधाओं के विकास हेतु बोली लगाने वाले के विज़न के आधार पर की जाती है। • बोली में कोई वित्तीय आधार शामिल नहीं है। • कॉर्पोरेट क्षेत्र से साइट के रखरखाव के लिये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है। **नारायणकोटि मंदिर के बारे में:**

	• यह प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, जो रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राजमार्ग पर गुप्तकाशी से लगभग 2 किमी. दूर अवस्थित है। • यह देश का एकमात्र स्थान (नारायणकोटि) है जहां नौ ग्रहों के मंदिर एक समूह में स्थित हैं जो "नौ ग्रहों का प्रतीक" है। • यह लक्ष्मी नारायण को समर्पित है जो पांडवों से संबंधित है। • ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था।
सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा	**समाचारों में :** एक नए शोध पत्र ने सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) की भाषाई संस्कृति पर कुछ नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। • इससे पहले एक अध्ययन में पाया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें बीफ का व्यापक सेवन भी शामिल था। • जुलाई 2021 में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। **मुख्य निष्कर्ष** • सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) की भाषा की जड़ें प्रोटो-द्रविड़ियन में हैं, जो सभी आधुनिक द्रविड़ भाषाओं की पैतृक भाषा है। • पैतृक द्रविड़ भाषाओं के बोलने वालों की सिंधु घाटी क्षेत्र सहित उत्तरी भारत में अधिक ऐतिहासिक उपस्थिति थी, जहां से वे प्रवास करते थे। • सिंधु घाटी क्षेत्र में बोली जाने वाली कई भाषाओं में प्रोटो-द्रविड़ियन भाषा थी। • शोध का दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के एक या एक से अधिक समूह थे।
श्री नारायण गुरु **सुर्ख़ियों में:** प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती (23 अगस्त) पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।	**श्री नारायण गुरु के बारे में** • श्री नारायण गुरु केरल के एक उत्प्रेरक और नेता थे, जिन्होंने उस समय समाज में प्रचलित दमनकारी जाति व्यवस्था में सुधार किया, जिसका दर्शन हमेशा सामाजिक समानता, सभी के लिए शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान की सिफारिश करता था। • एझावा जाति में जन्में नारायण गुरु ने समाज की उच्च जाति से भेदभाव का अनुभव किया था। • मलयालम में उनकी एक प्रसिद्ध कहावत थी 'एक जाति, एक धर्म, सभी के लिए एक ईश्वर।' • 1888 में, उन्होंने अरव्विपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर निर्मित करवाया जो उस समय के जाति-आधारित प्रतिबंधों के विरुद्ध था। • बाद में, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (एसएनडीपी योगम) की स्थापना: यह एक आध्यात्मिक संगठन था, जिसकी स्थापना औपचारिक रूप से डॉ. पद्मनाभन पालपू ने 1903 में श्री नारायण गुरु के मार्गदर्शन में की थी। • एसएनडीपी योगम का मुख्य उद्देश्य एझवा/तिय्यर समुदायों के लोगों का आध्यात्मिक उत्थान करना था। • जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ प्रसिद्ध 'वाइकोम सत्याग्रह' विरोध आंदोलन ने अस्पृश्यता और असमानता को समाप्त कर दिया। इसलिए यह दिन केरल में काफी महत्वपूर्ण है और इसे सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। • शिवगिरि तीर्थ की स्थापना 1924 में स्वच्छता, शिक्षा, भक्ति, कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार के गुणों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। • उनका दर्शन और शिक्षा केरल के लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका है। • 20 सितंबर, 1928 को उनका निधन हो गया।

स्वदेशी विमानवाहक पोत 'विक्रांत'	**सुर्खियों में:** हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने स्वदेशी विमानवाहक पोत (IAC) 'विक्रांत' के समुद्री परीक्षण शुरू करने की प्रशंसा की है। • यह भारत का सबसे जटिल युद्धपोत है जिसे भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। • कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा शिपयार्ड और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एकमात्र शिपयार्ड है। **इसके के बारे में** • अगस्त 2013 में कोचीन शिपयार्ड के बिल्डिंग डॉक से स्वदेशी विमानवाहक पोत की शुरूआत ने राष्ट्र को एक विमान वाहक डिजाइन का निर्माण करने में सक्षम देशों की सूची में ला खड़ा किया। • देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विमानवाहक पोत के आकार का जहाज पूरी तरह से 3डी में तैयार किया गया है और 3डी मॉडल से प्रोडक्शन ड्रॉइंग निकाला गया है। • स्वदेशी विमानवाहक पोत देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसमें लगभग 40,000 टन विस्थापन की सुविधा है। • एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटा तैरता हुआ शहर है, जिसमें एक फ्लाइट डेक का इलाका है जो दो फुटबॉल मैदानों के आकार को कवर करता है। • आईएनएस विक्रांत के वर्ष 2022 में चालू होने की संभावना है। • वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमानवाहक पोत है, रूसी मूल का आईएनएस विक्रमादित्य। • नौसेना के सेवामुक्त पहले कैरियर के नाम पर इसका नाम विक्रांत रखा गया है। • इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक होगा, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों के अलावा मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 हवाई पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर और जल्द ही शामिल किए जाने वाले MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर शामिल होंगे।
अवैध प्रवासियों पर नीति	सभी विदेशी नागरिक, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करते हैं या अपनी वीज़ा अवधि की वैधता से अधिक समय तक रुकते हैं, इसमें निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं: • विदेशी अधिनियम, 1946 • विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 • पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 • नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियम और आदेश। • मामला-दर-मामला आधार पर पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों से छूट दी गई है।
विदेशियों के न्यायाधिकरण	**समाचारों में :** असम सरकार के राजनीतिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य पुलिस की सीमा शाखा को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत गोरखाओं के खिलाफ विदेशियों के न्यायाधिकरण को कोई मामला नहीं भेजने का आदेश दिया है। • बॉर्डर विंग को संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल - एक अर्ध-न्यायिक प्रतिष्ठान - के अधिग्रहण के लिए नोटिस देने का काम सौंपा गया है। **राज्य में कितने गोरखा हैं?** • 2011 की जनगणना के अनुसार, असम में 5 लाख से अधिक गोरखा हैं, जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश प्रशासन के अधीन सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में आए थे। • लगभग 22,000 गोरखा 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मसौदे से बाहर हैं। • असम में 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में से कुछ में 2,500 गोरखाओं के मामले लंबित हैं। सरकार के एक निर्देश में कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों को वापस लिया जाना है। **घोषित विदेशी कौन है?** • घोषित विदेशी, या DF एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विदेशियों के ट्रिब्यूनल (FT) द्वारा कथित रूप से अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहने के लिए राज्य पुलिस की सीमा विंग द्वारा उसे अवैध अप्रवासी के

	रूप में चिह्नित किया गया है। **एक विदेशी न्यायाधिकरण क्या है?** • फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर, 1964 और फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के अनुसार स्थापित किया गया है। • गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 1964 में संशोधन किया है, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को यह तय करने के लिए विदेशी ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया है कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं। • **संरचना:** अधिवक्ता जो कम से कम 7 साल के अभ्यास के साथ 35 वर्ष से कम आयु के न हों (या) असम न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी (या) ACS अधिकारियों के सेवानिवृत्त IAS (सचिव/अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) अर्ध-न्यायिक कार्यों में अनुभव होना। **कौन संपर्क कर सकता है?** • पहले केवल राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध के खिलाफ अधिकरण में जा सकता था। • संशोधित आदेश (विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 2019) अब व्यक्तियों को ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार देता है।
असम के दीमा हसाओ में उग्रवाद	**संदर्भ:** असम के दीमा हसाओ पहाड़ी जिले में एक संदिग्ध आतंकवादी हमले में पांच ट्रक चालक मारे गए। खुफिया इनपुट से पता चलता है कि हमले के पीछे डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) नामक एक संगठन का हाथ था। **दीमा हसाओ में आतंकवाद का इतिहास क्या है?** • असम के पहाड़ी जिलों - कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ (पहले उत्तरी कछार हिल्स) - का कार्बी और दिमासा समूहों द्वारा विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है, जो 1990 के दशक के मध्य में चरम पर था और राज्य की मुख्य मांग में निहित था। • दोनों जिले अब संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षित हैं और पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और विकेन्द्रीकृत शासन की अनुमति देते हैं। • वे क्रमशः उत्तरी कछार हिल्स और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद द्वारा चलाए जाते हैं। • दीमा हसाओ में अविभाजित असम के अन्य आदिवासी वर्गों के साथ, 1960 के दशक में राज्य की मांग शुरू हुई। एक पूर्ण राज्य, 'दीमराजी' की मांग ने जोर पकड़ लिया और सशस्त्र समूहों के गठन के माध्यम से उग्रवाद की शुरुआत हुई। **दिमासा कौन हैं?** • दीमास (या दिमासा-कचारी) असम के सबसे पहले ज्ञात शासक और बसने वाले हैं, तथा अब मध्य और दक्षिणी असम के दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, कछार, होजई और नागांव जिलों के साथ-साथ नागालैंड के कुछ हिस्सों में रहते हैं। • अहोम शासन से पहले दीमासा राजाओं - जिन्हें प्राचीन कामरूप साम्राज्य के शासकों का वंशज माना जाता था - उन्होंने 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर असम के बड़े भाग पर शासन किया। • उनकी प्राचीनतम ऐतिहासिक राजधानी दीमापुर (अब नागालैंड में) और बाद में उत्तरी कछार पहाड़ियों में माईबांग थी।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF)-2021 **सुर्खियों में :** भारत अपने देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा।	**आईआईजी फोरम के बारे में-** • इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (Internet Governance Forum) के लांच की घोषणा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीईओ और समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने की। • अक्टूबर में मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों और युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से प्री-इवेंट आयोजित किए जाएंगे। • IIGF 2021 का आयोजन "Inclusive Internet for Digital India" थीम के तहत किया जाएगा। • IIGF का अर्थ India Internet Governance Forum है, यह एक इंटरनेट गवर्नेंस नीति चर्चा मंच है। IIGF संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का एक भारतीय संस्करण है। • यह फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। • **महत्व:** चूंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाला देश है और यहां प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह सबसे अधिक डेटा खपत भी है, आईआईजीएफ के साथ, भारतीयों की आकांक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण और हितधारक चर्चा में परिलक्षित होंगी। **संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) के बारे में** • इंटरनेट गवर्नेंस के मुद्दों पर नीतिगत संवाद के लिए IGF एक बहु-हितधारक शासन समूह है। • IGF की स्थापना की घोषणा जुलाई 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की गई थी। उसके बाद पहली बैठक अक्टूबर-नवंबर 2006 में ग्रीस के एथेंस में हुई। • विभिन्न हितधारक समूह सूचनाओं का आदान-प्रदान करने तथा इंटरनेट और प्रौद्योगिकियों से संबंधित अच्छी नीतियों और प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। • यह सामान्य समझ और ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है कि कैसे इंटरनेट के अवसरों को अधिकतम तथा जोखिमों और चुनौतियों का समाधान किया जाए।

असाइन किए गए नाम और नंबर के लिए इंटरनेट कॉर्पोरेशन (ICANN)	• इंटरनेट पर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में एक पता टाइप करना होगा - एक नाम या एक नंबर। वह पता अद्वितीय होना चाहिए ताकि कंप्यूटर जान सकें कि एक दूसरे को कहां खोजना है। ICANN दुनिया भर में इन विशिष्ट पहचानकर्ताओं का समन्वय करता है। उस समन्वय के बिना हमारे पास एक वैश्विक इंटरनेट नहीं होता।
	• ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित, गैर-लाभकारी निगम है जिसका मुख्यालय लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में है, जिसके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP एड्रेस) गणितीय संख्या, प्रोटोकॉल पहचानकर्ता असाइनमेंट, जेनेरिक और देश कोड शीर्ष-स्तरीय डोमेन नाम सिस्टम (जैसे . com, .info, आदि) प्रबंधन और रूट सर्वर सिस्टम प्रबंधन कार्य।
	• ICANN इंटरनेट पर सामग्री को नियंत्रित नहीं करता है। यह स्पैम को रोक नहीं सकता है और यह इंटरनेट तक पहुंच से संबंधित नहीं है। लेकिन इंटरनेट की नामकरण प्रणाली की समन्वय भूमिका के माध्यम से, इंटरनेट के विस्तार और विकास पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
	• दुनिया भर के लोगों की निजी-सार्वजनिक भागीदारी के रूप में, ICANN समर्पित है
	  ○ इंटरनेट की परिचालन स्थिरता को बनाए रखने के लिए
	  ○ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए;
	  ○ वैश्विक इंटरनेट समुदायों का व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना;
	  ○ बॉटम-अप, सर्वसम्मति-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मिशन के लिए उपयुक्त नीति विकसित करना।

जापान का 2029 तक मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने वापस लाने का लक्ष्य	**सुर्खियों में:** जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने 2024 में मंगल ग्रह के चंद्रमा 'फोबोस' से 10 ग्राम (0.35 औंस) मिट्टी इकट्ठा करने और साल 2029 में (संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से आगे) इसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए एक अन्वेषक यान भेजने की योजना बनाई है।

	मुख्य विवरण • फोबोस पर मिट्टी, चंद्रमा से सामग्री और मंगल ग्रह से सामग्री का मिश्रण होने की संभावना है, जो रेतीले तूफान से फैल गई थी। • **महत्व:** यह मंगल ग्रह में जीवन की संभावना का पता लगाने का एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। वैज्ञानिकों को भी मंगल ग्रह के जीवमंडल के विकास के बारे में जानने की उम्मीद है। **क्या आप जानते हैं?** • नासा का पर्सेवेरेंस रोवर एक मंगल क्रेटर में उतरा है, जहां उसे 31 नमूने एकत्र करने हैं, जिन्हें 2031 तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से पृथ्वी पर लौटाया जाना है। • मई 2021 में चीन मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान को उतारने और संचालित करने वाला दूसरा देश बन गया। और इसके 2030 के आसपास नमूने वापस लाने की योजना है। **पहले के मिशन** • नासा के दो अन्य लैंडर भी मंगल पर काम कर रहे हैं - 2018 का इनसाइट और 2012 का क्यूरियोसिटी रोवर। • वर्तमान में, निम्नलिखित मिशन मंगल की खोज कर रहे हैं: ○ यू.एस. से तीन - ओडिसी, मावेन, मार्स टोही ऑर्बिटर, मार्स 2020 (प्रिजर्वेंस रोवर और इंजेनुइटी हेलीकाप्टर) ○ यूरोप से दो - एक्सो मार्स, मार्स एक्सप्रेस ○ भारत से एक – मंगलयान ○ चीन से एक - तियानवेन-1 (ऑर्बिटर और रोवर) ○ संयुक्त अरब अमीरात से एक - अमीरात मंगल मिशन, आशा अंतरिक्ष यान
युक्तधारा पोर्टल **सुर्ख़ियों में:** हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस-आधारित जानकारी (GIS-based information) का उपयोग करके नई मनरेगा (MGNREGA) परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए भुवन (Bhuvan) के तहत "युक्तधारा (Yuktdhara)" नामक एक नया भू-स्थानिक योजना पोर्टल (Geospatial Planning Portal) लॉन्च किया।	• यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप (Per Drop More Crop) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों (जियोटैग) के भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है। • दिया गया नाम बहुत उपयुक्त है क्योंकि 'युक्त' शब्द योजनाम (Yojanam) से लिया गया है, योजना और 'धारा' प्रवाह को इंगित करता है। • यह इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है, जो विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के समर्थन में ग्रामीण योजनाओं हेतु गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) सेवा को साकार करने के लिये किया गया है। • यह पोर्टल विश्लेषण उपकरणों के साथ विभिन्न प्रकार की विषयगत परतों (thematic layers), मल्टी-टेम्परल उच्च रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन डेटा (multi-temporal high resolution earth observation data) को एकीकृत करता है। • योजनाकारों (Planners) द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछली परिसंपत्तियों का विश्लेषण किया जाएगा और वे ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से नए कार्यों की पहचान करने हेतु सुविधा प्रदान करेंगे। • राज्य के विभागों के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। • इसके माध्यम से योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी और वर्षों से सृजित किए गए परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक निगरानी संभव हो सकेगी।
दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टॉवर	**सुर्ख़ियों में :** मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में एक 'स्मॉग टॉवर' का उद्घाटन किया और कहा कि वर्तमान पायलट परियोजना के परिणाम संतोषजनक होने पर पूरे शहर में इसी तरह के टॉवर बनाए जाएंगे। • जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार को अप्रैल, 2020 तक कनॉट प्लेस में 'स्मॉग टॉवर' बनाने का आदेश दिया था। **स्मॉग टॉवर क्या है?** • स्मॉग टावर 24 मीटर ऊंची संरचना है जिसमें पंखे और एयर फिल्टर लगे हैं। यह दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए है।

	• यह ऊपर से प्रदूषित हवा खींचेगा और किनारों पर लगे पंखे के माध्यम से जमीन के पास फ़िल्टर की गई हवा को छोड़ेगा। • इस टावर में हवा को साफ करने के लिए 40 बड़े पंखे और 5,000 फिल्टर हैं। • ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फिल्टर हैं जो परियोजना विवरण के अनुसार, धुएं, घरेलू धूल और पराग का गठन करने वाले माइक्रोपार्टिकल्स को फ़िल्टर करते हैं। • डेटा एकत्र करने और इसके कामकाज की निगरानी के लिए टावर में एक पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) प्रणाली स्थापित की गई है। • इस टावर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है • यह टावर एक किलोमीटर के दायरे में हवा को साफ करने में मदद कर सकता है।यह प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा। अनुमान है कि इस स्मॉग टॉवर के कारण क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा।

क्यूसिम टूलकिट (QSim Toolkit)
सुर्ख़ियों में: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्यू-सिम अर्थात 'क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट' (QSim) को लॉन्च किया है।
	• QSim अपनी तरह का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टूलकिट है जो क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग के व्यावहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद करता है।
	• यह 'क्वांटम कंप्यूटर टूलकिट (सिम्युलेटर, कार्यक्षेत्र) तथा क्षमता निर्माण के डिज़ाइन व विकास' परियोजना का परिणाम है।
	• यह शोधकर्ताओं और छात्रों को लागत प्रभावी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान करने में सक्षम बनाता है।
	• इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से आई.आई.एस.सी. बैंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की तथा सी-डेक द्वारा समन्वयात्मक रूप से निष्पादित किया जा रहा है।
	• विशेषताएं - क्यूसिम ग्राफिक यूजर इंटरफेस (GUI) आधारित वर्कबेंच के साथ एकीकृत एक क्यूसी सिम्युलेटर प्रदान करता है जिससे लोग क्वांटम प्रोग्राम बना सकते हैं।
	• **सिम्युलेट नॉइजी क्वांटम लॉजिक सर्किट :** यह क्वांटम सर्किट, विभिन्न एल्गोरिदम अपूर्ण क्वांटम घटकों के साथ कितने बेहतर तरीके से कार्य करता है, इसका परीक्षण करता है।
	• **प्री-लोडेड क्वांटम एल्गोरिदम :** क्वांटम प्रोग्राम्स एवं एल्गोरिदम से संपन्न यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को एक शुरुआती मार्ग प्रदान करती है।
	• QSim - पेशकश मॉडल
	  ○ PARAM SHAVAK QSim - एक बॉक्स में क्वांटम सिम्युलेटर के साथ स्टैंडअलोन सिस्टम
	  ○ PARAM QSim Cloud - HPC अवसंरचना का उपयोग करके क्लाउड पर उपलब्ध है PARAM SIDDHI AI (NSM प्रोग्राम के तहत विकसित)।

भारत ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की	• हाल ही में भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता ग्रहण की। • सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह की भारत की पहली अध्यक्षता होगी। • • भारत ने जनवरी 2021 में UNSC के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना दो वर्ष का कार्यकाल शुरू किया। • UNSC में यह भारत का आठवाँ कार्यकाल है। • यह दिसंबर 2022 में फिर से परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा। • अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत तीन प्रमुख क्षेत्रों में उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करेगा: ○ समुद्री सुरक्षा ○ शांति स्थापना और ○ आतंकवाद विरोधी **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में** • UNSC संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है • इस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का चार्ज (maintenance) है। • इसकी शक्तियों में शांति अभियानों की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई का प्राधिकरण शामिल है। • यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों को बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। • सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य होते हैं। • स्थायी सदस्य (P5): रूस, यूके, फ्रांस, चीन और यूएसए • ये स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के किसी भी मूल प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, जिसमें नए सदस्य राज्यों के प्रवेश या महासचिव के लिए उम्मीदवारों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। • सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। • परिषद की अध्यक्षता प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है।
गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देगा पाकिस्तान 	**सुर्खियों में :** हाल ही में पाकिस्तानी अधिकारियों ने रणनीतिक रूप से स्थित गिलगित-बाल्टिस्तान को अनंतिम प्रांतीय दर्जा देने के लिए एक कानून को अंतिम रूप दिया है। • प्रस्तावित कानून के अंतर्गत गिलगित-बाल्टिस्तान के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय (SAC) को समाप्त किया जा सकता है और इस क्षेत्र के चुनाव आयोग का पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) में विलय होने की संभावना है। • गिलगित-बाल्टिस्तान अब एक स्वायत्त क्षेत्र है और विधेयक पारित होने के बाद यह देश का 5वाँ प्रांत बन जाएगा। • वर्तमान समय में पाकिस्तान में चार प्रांत हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। • वर्तमान में यह अधिकांशतः कार्यकारी आदेशों द्वारा शासित है। **भारत का रुख** • भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश, जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान के क्षेत्र भी शामिल हैं, पूरी तरह से कानूनी व अपरिवर्तनीय परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग हैं। • भारत का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध रूप से उसके द्वारा जबरन कब्ज़ा किये गए क्षेत्रों पर (1948 के युद्ध के दौरान) कोई अधिकार नहीं है।
व्यायाम तावीज़ कृपाण (Exercise Talisman	• व्यायाम तावीज़ सेबर ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है।

Sabre) **सुर्खियों में:** ऑस्ट्रेलिया उत्सुक है कि भारत 2023 में अपने सबसे बड़े युद्ध खेल 'एक्सरसाइज टैलिसमैन सेबर' में शामिल हो।	• इस अभ्यास का नेतृत्व प्रत्येक 2 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच बदल जाता है। • यह अभ्यास संकट-कार्रवाई की योजना और आकस्मिक प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, जो क्षेत्रीय आकस्मिकताओं और आतंकवाद पर युद्ध से निपटने के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता है। • यह अभ्यास ऐतिहासिक रूप से वर्ष 2005 से शुरू होने वाले विषम-संख्या वाले वर्षों में आयोजित किया जाता है, जिसका नौवां पुनरावृत्ति 2021 में होता है। • तावीज़ सेबर 2021 में सात देशों के लगभग 17,000 सैन्य कर्मियों ने भूमि, वायु और समुद्र में भाग लिया। अन्य देशों में कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यू.के. है।
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन	**सुर्खियों में:** श्रीलंका ने वर्चुअल रूप में आयोजित 'कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन' के तहत पहली उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (DNSA) स्तर के सम्मेलन की मेजबानी की। **CSC का विकास** • यह त्रिपक्षीय ढाँचा वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था। • कॉन्क्लेव की स्थापना का उद्देश्य तीन हिंद महासागर देशों के बीच समुद्री और सुरक्षा मामलों पर घनिष्ठ सहयोग बनाना था। • सैन्य और सुरक्षा सहयोग पर आधारित यह पहल भारत द्वारा श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा की जाने वाली वर्तमान भू-रणनीतिक गतिशीलता के मद्देनज़र इस क्षेत्र में महत्त्व रखती है। • इस मंच को नवंबर 2020 में पुनर्जीवित किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के स्तर पर इसकी पहली बैठक हुई। • महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसे तीन पर्यवेक्षकों, बांग्लादेश, मॉरीशस और सेशेल्स को CSC के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है जो इस संघ को पश्चिमी हिंद महासागर में एक व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ देता है। • उनके बीच संयुक्त अभ्यास की संभावना जल्द ही शुरू होने वाली है। • समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर सभी CSC देशों का भारत के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है।
अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच	**सुर्खियों में :** हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। **अफ्रीकी मूल के लोगों के संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के बारे में-** • यह "अफ्रीकी मूल के लोगों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता तथा आजीविका में सुधार के लिये एक मंच" एवं उन समाजों में उनके पूर्ण समावेश के रूप में काम करेगा, जहाँ वे रहते हैं। • यह फोरम नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने के लिए मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को विशेषज्ञ सलाह और सिफारिशें प्रदान करेगा। • फोरम का पहला सत्र 2022 में होगा। • फोरम में 10 सदस्य होंगे - पांच सभी क्षेत्रों से महासभा द्वारा चुने जाएंगे और पांच अफ्रीकी मूल के लोगों के क्षेत्रीय समूहों और संगठनों के साथ परामर्श के बाद मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। • प्रस्ताव में फोरम की गतिविधियों पर विधानसभा और परिषद को वार्षिक रिपोर्ट और मानवाधिकार परिषद द्वारा मूल्यांकन के आधार पर चार सत्रों के बाद महासभा द्वारा इसके संचालन के मूल्यांकन की भी मांग की गई है।

लोकतंत्र शिखर सम्मेलन	**सुर्खियों में :** संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन 9 से 10 दिसंबर को वस्तुतः 'लोकतंत्र शिखर सम्मेलन' की मेजबानी करेंगे।
	इस शिखर के बारे में-
	• यह लगभग तीन विषयों पर आयोजित किया जाएगा:
	  ○ सत्तावाद के विरुद्ध बचाव,
	  ○ भ्रष्टाचार से लड़ना,
	  ○ मानव अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना।
	• यह शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों, नागरिक समाज, परोपकार और निजी क्षेत्र के प्रमुखों को एकत्रित करेगा।
	• इस शिखर सम्मेलन को बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के एक तरीके (one way) के रूप में देखा

	जाता है। • पहले शिखर सम्मेलन में देशवार प्रतिबद्धताएं की जाएंगी। • दूसरा शिखर सम्मेलन जो व्यक्तिगत रूप से वर्ष 2022 में होगा। • परामर्श, समन्वय और कार्रवाई के एक वर्ष के बाद राष्ट्रपति बाइडेन विश्व नेताओं को अपनी प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध की गई प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एक बार फिर एकत्रित होने के लिए आमंत्रित करेंगे।
अल - मोहम्मद अल – हिंदी	**सुर्खियों में:** भारत और सऊदी अरब के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'अल - मोहम्मद अल - हिंदी' 12 अगस्त को अल जुबैल के तट पर शुरू हुआ। • इसने देखा कि दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए असममित खतरे, समुद्री प्रक्रियाओं में पुनःपूर्ति, समुद्री डकैती और बोर्डिंग ऑपरेशन, हथियार लक्ष्यीकरण अभ्यास आदि के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की।
कांग्रेस का स्वर्ण पदक	**सुर्खियों में:** हाल ही में अहिंसा के तरीकों के माध्यम से किए गए योगदान के लिए महात्मा गांधी को मरणोपरांत कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया गया। • यदि पुरस्कार दिया जाता है तो महात्मा गांधी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, जो अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। • महात्मा गांधी अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। **इस पुरस्कार के बारे में** • अमेरिकी कांग्रेस (विधायिका) ने विशिष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए राष्ट्रीय प्रशंसा की अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में स्वर्ण पदकों को कमीशन किया है। • कुछ अन्य क्षेत्रों में अग्रदूतों के बीच अभिनेताओं, लेखकों, मनोरंजनकर्ताओं, संगीतकारों, खोजकर्ताओं, एथलीटों, मानवतावादियों और विदेशी प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार किया गया था। • यह पुरस्कार 1980 की अमेरिकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टीम, रॉबर्ट एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला और जॉर्ज वाशिंगटन सहित कई अन्य लोगों को दिया गया है।
'यूनाइट अवेयर' प्लेटफॉर्म	**समाचार में :** विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र - 'यूनाइट अवेयर' के साथ साझेदारी में एक स्थितिजन्य जागरूकता मंच के रोलआउट की घोषणा की है। • हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर खुली बहस के दौरान इसकी घोषणा की गई। **यूनाइट अवेयर क्या है?** • UNITE AWARE, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्रदान करने और उनकी सुरक्षा पूरी करने में सहायता के लिए , भारत द्वारा विकसित Mobile Platform है। इसे संयुक्त राष्ट्र के "शांति अभियान विभाग और परिचालन सहायता विभाग" के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। • भारत ने इस परियोजना के लिए 1.64 मिलियन अमरीकी डालर खर्च किए हैं। • इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वास्तविक समय के आधार पर शांति अभियान की परिकल्पना, समन्वय और निगरानी की जा सकती है। **शांति व्यवस्था क्या है?** • संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान युद्धग्रस्त राष्ट्रों में व्यवस्था और स्थिरता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए पुलिस और शांति निर्माण कार्य हैं। • प्रत्येक शांति मिशन सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत है। • **संयोजन:** ○ सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर शांति स्थापना बलों का योगदान दिया जाता है। ○ संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों (जिन्हें अक्सर उनके हल्के नीले रंग की बेरी या हेलमेट के कारण ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट कहा जाता है) में सैनिक, पुलिस अधिकारी और नागरिक कर्मी शामिल हो सकते हैं।

	○ शांति अभियानों के असैनिक कर्मचारी अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवक हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा भर्ती और तैनात किया जाता है। • संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना तीन बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है: ○ पार्टियों की सहमति। ○ निष्पक्षता। ○ आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग न करना।
फतह-1 (Fatah-1)	• पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, फतह -1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। • फतह-1 हथियार प्रणाली में सटीक लक्ष्य निर्धारण की क्षमता है। • रॉकेट पारंपरिक आयुध पहुंचाने में सक्षम था। • जनवरी में पहली बार लॉन्च होने के बाद यह फतह-1 की दूसरी उड़ान थी। • फतह -1 हथियार प्रणाली 140 किमी की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है।
KAZIND-21	**सुर्खियों में:** भारत-कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण, "KAZIND-21" कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। • KAZIND-21 के बारे में: ○ यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण है। ○ इसमें सेनाओं के बीच पेशेवर आतंकवाद विरोधी माहौल में अभियानों की योजना और उनके क्रियान्वयन तथा आतंकवाद तथा उग्रवाद संबंधी अभियानों के अनुभवों को साझा किया जाएगा। ○ इस सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। ○ इसके साथ ही मौजूद बेहतर ट्रेंड को अपनाने में सक्षम होने का भी अवसर मिलेगा। • **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** प्रबल दोस्तिक।
बाल-केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक : यूनिसेफ	हाल ही में यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) ने 'क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस: इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट' को फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया है। **बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक क्या है?** • यह बच्चे के दृष्टिकोण से जलवायु जोखिम का पहला व्यापक विश्लेषण है। • यह आवश्यक सेवाओं तक उनके अभिगम के आधार पर बच्चों के जलवायु एवं पर्यावरणीय आघात, जैसे चक्रवात एवं उष्ण लहरों के साथ-साथ उन आघातों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर देशों का श्रेणीकरण करता है। • पाकिस्तान (14वां), बांग्लादेश (15वां), अफगानिस्तान (25वां) और भारत (26वां) उन चार दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हैं जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का अत्यधिक जोखिम है। **भारतीय परिदृश्य:** • भारत उन चार दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है। • यह अनुमान है कि आने वाले वर्षों में 600 मिलियन से अधिक भारतीयों को 'तीव्र पानी की कमी' का सामना करना पड़ेगा, जबकि साथ ही वैश्विक तापमान में 2 सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि के बाद भारत के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। • वर्ष 2020 में सबसे प्रदूषित हवा वाले दुनिया के 30 शहरों में से 21 शहर भारत में थे।

ई-आरयूपीआई (e-RUPI)

सुर्खियों में: हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-आरयूपीआई (e-RUPI), एक ई-वाउचर-आधारित (e-voucher-based) डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च करेंगे।

- इस प्लेटफॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है।

ई-आरयूपीआई कैसे काम करेगा?

- ई-आरयूपीआई (e-RUPI) डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस (cashless) और संपर्क रहित (contactless) साधन है। यह क्यूआर कोड (QR code) या एसएमएस स्ट्रिंग (SMS string) के आधार पर ई-वाउचर (e-voucher) के रूप में कार्य करता है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाता है।
- उदाहरण के लिए यदि सरकार किसी निर्दिष्ट अस्पताल में किसी कर्मचारी के विशेष उपचार को कवर करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए एक ई-आरयूपीआई वाउचर जारी कर सकती है। कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्ट फोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जा सकता है और सेवाओं का लाभ उठा सकता है और अपने फोन पर प्राप्त ई-आरयूपीआई वाउचर के माध्यम से भुगतान कर सकता है।
- ई-आरयूपीआई सेवाओं के प्रायोजकों (सरकार) को लाभार्थियों (बीपीएल कार्ड धारक) और सेवा प्रदाताओं (अस्पतालों) के साथ बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से जोड़ेगा।
- ई-आरयूपीआई का एकमुश्त भुगतान तंत्र उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदाता पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने की अनुमति देगा।

ये वाउचर कैसे जारी किए जाएंगे?

- सिस्टम NPCI द्वारा अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, और इसमें बैंकों को शामिल किया गया है जो जारीकर्ता संस्थाएं होंगी।
- किसी भी कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसी को विशिष्ट व्यक्तियों के ब्योरे और जिस उद्देश्य के लिए भुगतान किया जाना है, उसके विवरण के साथ साझेदार बैंकों से संपर्क करना होगा, जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के ऋणदाता हैं।
- लाभार्थियों की पहचान उनके मोबाइल नंबर का उपयोग करके की जाएगी और बैंक द्वारा किसी दिए गए व्यक्ति के नाम पर सेवा प्रदाता को आवंटित वाउचर केवल उस व्यक्ति को दिया जाएगा।

टीकाकरण में ई-आरयूपीआई का अनुप्रयोग

- इसका तात्कालिक और पहला उपयोग पेड कोविड टीकाकरण केंद्रों (CVC) पर कैशलेस सेवा की सुविधा के लिए हो सकता है।
- उदाहरण के लिए कॉरपोरेट्स और परोपकारी लोग, कर्मचारियों और जरूरतमंदों का टीकाकरण करने के लिए थोक में सेवाएं खरीद सकते हैं।
- इच्छुक लाभार्थियों को उनके फीचर/स्मार्टफोन पर एक एसएमएस या क्यूआर कोड प्राप्त होगा, जिसे भाग लेने वाले केंद्रों पर कैशलेस टीकाकरण के लिए भुनाया जा सकता है।

PDS में ई-आरयूपीआई का आवेदन

- कार्यक्रम की अक्षमता उच्च ओवरहेड लागत, रिसाव, बहिष्करण और अक्षमताओं में निहित है।
- खाद्य-विशिष्ट ई-आरयूपीआई वाउचर लाभार्थियों को अपनी पसंद के आउटलेट से राशन खरीदने की अनुमति देगा।
- ई-आरयूपीआई PDS कार्यक्रम को अधिक कुशल बना सकता है।
- वन नेशन, वन राशन कार्ड में PDS नेटवर्क के भीतर और बाहर व्यापारियों द्वारा वाउचर को बाजार मूल्य पर भुनाने की क्षमता है।

शिक्षा में e-RUPI का अनुप्रयोग

- पहचान किए गए छात्रों को स्कूल की फीस और खर्च का भुगतान करने के लिए उनकी पसंद के सार्वजनिक और निजी संस्थानों में वाउचर प्राप्त होते हैं, जो पूर्ण शुल्क देने वाले छात्रों को प्राप्त करने के लिए होड़ (competition) करते हैं।
- परिणामी विकल्प और होड़ (competition) से छात्रों और स्कूलों को लाभ होता है जबकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

आयुष्मान भारत हेल्थकेयर पहल में ई-आरयूपीआई का अनुप्रयोग

- पहचाने गए लाभार्थियों को सूचीबद्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्धारित मूल्य के ई-आरयूपीआई वाउचर प्राप्त होंगे, जो उन्हें सुवाह्यता और सुविधा विकल्प प्रदान करेंगे।
- सेवा प्रदाता को तत्काल भुगतान से लाभ होगा।

ई-आरयूपीआई का महत्व

- **उपभोक्ताओं को लाभ:** ई-आरयूपीआई के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान रूपों की तुलना में एक प्रमुख विशिष्ट विशेषता है। यह एक आसान, संपर्क रहित दो-चरणीय मोचन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

- एक अन्य लाभ यह है कि ई-आरयूपीआई बुनियादी फोन पर भी संचालित होता है और इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।
- **प्रायोजकों को लाभ:** प्रत्यक्ष-लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने और इसे अधिक पारदर्शी बनाने में ई-आरयूपीआई एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। चूंकि वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ लागत बचत भी होगी।
- **सेवा प्रदाता को लाभ:** प्रीपेड वाउचर होने के कारण ई-आरयूपीआई सेवा प्रदाता को रीयल टाइम भुगतान का आश्वासन देगा।
- **अधिक क्षमता:** यूपीआई प्लेटफॉर्म पर निर्मित, ई-आरयूपीआई जारीकर्ता द्वारा स्केल करना आसान है। आने वाले दिनों में ई-आरयूपीआई का उपयोगकर्ता आधार व्यापक होने की उम्मीद है, यहां तक कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग कर्मचारियों को डिजिटल लाभ देने और केंद्रित सीएसआर कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए करेंगी। MSME इसे Business to Business (B2B) लेनदेन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बाद में लोग इसे उपहार देने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे।
- **शासन वितरण की दक्षता बढ़ाता है:** यह सरकारी कल्याणकारी उपायों के लिए यूपीआई की सहजता और सरलता ला सकता है। एक-सेअधिक भुगतान सुविधा के रूप में, यह सरकार को लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों को तेज करने में मदद करेगा।

आगे की राह

- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में ई-आरयूपीआई को अपनाने से इन कार्यक्रमों में व्यावसायिक दक्षता, सरलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- ई-आरयूपीआई प्रोत्साहन-संगत के वितरण और स्वीकृति की सिफारिश की जाती है, जैसा कि कई शासन पहलों के लिए आधार के लोकप्रियकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है।
- लाइट रेगुलेशन और ई-आरयूपीआई को होड़ के लिए खोलने से नवाचार और अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। सभी बैंक, छोटे और बड़े, एनबीएफसी, गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता और दूरसंचार कंपनियों को बाद में इसे जारी करने की अनुमति दी जा सकती है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

संदर्भ: उपरोक्त विधेयक जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करना चाहता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम) 2015 की मुख्य विशेषताएं

- **नामकरण में परिवर्तन:** यह अधिनियम किशोर से बच्चे या 'कानून के उल्लंघन में बच्चे' के नामकरण में परिवर्तन करता है। साथ ही यह "किशोर" शब्द से जुड़े नकारात्मक अर्थ को भी हटा देता है।
- 16-18 वर्ष की आयु के लिए विशेष प्रावधान: यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16-18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
- **किशोर न्याय बोर्ड:** अपराध की प्रकृति और क्या किशोर पर नाबालिग या बच्चे के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, यह एक किशोर न्याय बोर्ड (प्रत्येक जिले में स्थापित) द्वारा निर्धारित किया जाना था। साथ ही प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाना चाहिए। दोनों में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए।
- **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण :** अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) को वैधानिक निकाय बनाता है यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- **नए अपराधों को शामिल करना:** अधिनियम में बच्चों के खिलाफ किए गए कई नए अपराध शामिल हैं (जैसे-अवैध दत्तक ग्रहण, उग्रवादी समूहों द्वारा बच्चे का उपयोग, विकलांग बच्चों के विरुद्ध अपराध आदि) जो किसी अन्य कानून के तहत पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं।

2021 संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं

1. गंभीर अपराधों को फिर से परिभाषित करता है

- "गंभीर अपराध" में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए सजा
- भारतीय दंड संहिता या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत है,
- न्यूनतम कारावास तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष से अधिक नहीं; या
- सात साल से अधिक की अवधि के लिए अधिकतम कारावास लेकिन सात साल से कम की न्यूनतम कारावास प्रदान नहीं किया जाता है।
- 2015 के अधिनियम के तहत किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को जघन्य अपराध, गंभीर अपराध और छोटे अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- "गंभीर अपराध" की परिभाषा पर अस्पष्टता थी इसलिए संशोधन इसे परिभाषित करने का प्रयास करता है।
- जघन्य अपराध वे हैं जिनमें अधिकतम सात साल या उससे अधिक की सजा हो, लेकिन न्यूनतम सात साल की सजा भी हो।

2. अपराधों का वर्गीकरण

- 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
    - संज्ञेय - जहां बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति है।
- 3-7 साल के कारावास से दंडनीय अपराध गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। इससे पहले, ऐसे अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होते थे।
- 3 साल से कम के कारावास से दंडनीय अपराध असंज्ञेय और जमानती होंगे

3. नामित न्यायालय

- विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि CrPC या POCSO अधिनियम, या बाल अधिकार अधिनियम में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, JJ अधिनियम के तहत सभी अपराधों की सुनवाई बाल न्यायालय में की जाए।
- वर्तमान में केवल ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक कारावास की सजा है, बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अन्य अपराध (7 वर्ष से कम कारावास के साथ दंडनीय) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।

4. दत्तक ग्रहण

- वर्तमान में गोद लेने की प्रक्रिया में सिविल कोर्ट द्वारा अनुमोदन की मुहर शामिल है, जो अंतिम गोद लेने का आदेश पारित करती है।
- बिल में प्रावधान है कि अदालत के बजाय, जिला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित) ऐसे गोद लेने के आदेश जारी करेगा।

5. अपील

- बिल में प्रावधान है कि ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गोद लेने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश के पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- ऐसी अपीलों को 4 सप्ताह के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा

6. ज़िला मजिस्ट्रेट के अन्य कार्य

- अतिरिक्त डीएम सहित डीएम JJ एक्ट के तहत विभिन्न एजेंसियों के कार्यों की निगरानी करेंगे।
- इसमें बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयां और विशेष किशोर संरक्षण इकाइयां शामिल हैं।
- डीएम की मंजूरी के बिना कोई भी नया बाल गृह नहीं खोला जा सकता है।
- डीएम अब यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि उनके जिले में आने वाले बाल देखभाल संस्थान सभी मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।(पहले प्रक्रिया में ढील दी गई थी और प्रभावी निरीक्षण की कमी थी)

7. बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी): बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी): यह प्रावधान करती है कि कोई ऐसा व्यक्ति सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा यदि वह-

- मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का दोषी है,
- नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है,
- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है,
- एक ज़िले में एक बाल देखभाल संस्थान के प्रबंधन का हिस्सा है।

सदस्यों को हटाना: समिति के किसी भी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जाँच के बाद समाप्त कर दी जाएगी यदि वह बिना किसी वैध कारण के लगातार तीन महीने तक सीडब्ल्यूसी की कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहता है या यदि एक वर्ष में तीन-चौथाई से कम बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है।

संशोधन विधेयक का महत्वपूर्ण विश्लेषण:

- यह बिल बच्चों के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों पर डालता है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि डीएम पूरे जिले और अन्य विविध कर्तव्यों के प्रभार के साथ अधिक बोझ वाला (over-burdened) अधिकारी होता हैं।
- एक प्राधिकरण (डीएम) में बच्चों के पुनर्वास के संबंध में सभी शक्तियों को केंद्रीकृत करने से देरी हो सकती है, और बाल कल्याण पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
- अधिनियम के तहत शिकायत निवारण शक्तियां न्यायपालिका से हटाकर कार्यपालिका को दे दी गई हैं। यह उन न्यायाधीशों की भूमिका को हटाने का प्रयास करता है जो कानून की बारीकियों से निपटने में विशेषज्ञ अधिकारी हैं। इसका शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा

संदर्भ: इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education- AICTE) ने देश भर के 14 कॉलेजों को हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, असमिया, पंजाबी और उड़िया सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं में चुनिंदा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की पेशकश की अनुमति दी है।

क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लाभ

- **समाज के दलित वर्गों को लाभ:** शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा में उच्च शिक्षा गरीब, ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के छात्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करेगी।

- **छात्रों की मांग:** एआईसीटीई के एक सर्वेक्षण में लगभग 44% छात्रों ने तकनीकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पक्ष में मतदान किया।
- **सीखने के परिणामों में सुधार और संज्ञानात्मक संकायों का निर्माण करता है:** कई अध्ययनों ने साबित किया है कि जो छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, वे विदेशी भाषा में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- **आत्म-सम्मान और आत्म-पहचान बनाता है:** यूनेस्को और अन्य संगठन इस तथ्य पर जोर दे रहे हैं कि मातृभाषा में सीखना आत्म-सम्मान और आत्म-पहचान के निर्माण के साथ-साथ छात्र के समग्र विकास के लिए भी जरूरी है।
- **शिक्षा क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण:** भारत उच्च शिक्षा (आईआईटी, एनआईटी) के छोटे द्वीप बनाने के लिए बदनाम था जो केवल अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करते थे इसने हमारे छात्रों के विशाल बहुमत की प्रगति को बाधित करते हुए, अकादमिक बाधाओं का निर्माण किया। देशी भाषाओं में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने से उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास:** G20 के बीच अधिकांश देशों में अत्याधुनिक विश्वविद्यालय हैं, जहां उनके लोगों की प्रमुख भाषा में शिक्षण दिया जाता है।
- **संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण:** यदि हम किसी भाषा की उपेक्षा करते हैं, तो हम न केवल ज्ञान का एक अमूल्य भंडार खो देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों और कीमती सामाजिक तथा भाषाई विरासत से वंचित करने का जोखिम भी उठाते हैं।

आगे की राह

- **पहल का विस्तार करना :** हमें प्राथमिक शिक्षा (कम से कम 5वीं कक्षा तक) छात्र को मातृभाषा के साथ शुरू करके इसे धीरे-धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। जबकि 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों की पहल सराहनीय है, हमें पूरे देश में इस तरह के और प्रयासों की आवश्यकता है।
- **मूल भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें:** तकनीकी पाठ्यक्रमों में देशी भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों का अभाव है। यह अधिक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा लेने के लिए बाधा उत्पन्न करता है इसलिए इसे तत्काल बताने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम में सामग्री अंग्रेजी की ओर बहुत अधिक झुकी है, जिसमें हमारे अधिकांश बच्चे शामिल नहीं हैं इसलिए इसे सही करना होगा।
- **गैर-बहिष्कारवादी दृष्टिकोण:** शैक्षणिक संस्थानों को 'मातृभाषा बनाम अंग्रेजी' नहीं, बल्कि 'मातृभाषा और अंग्रेज़ी के योग' दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आज के युग में जुड़ी हुई दुनिया विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता एक व्यापक दुनिया के लिए नए रास्ते खोलती है।

निष्कर्ष

भारत अतुलनीय प्रतिभाओं का देश है। हमें अपने युवाओं की पूरी क्षमता को उजागर करना चाहिए बिना उनकी विदेशी भाषा बोलने में उनकी अक्षमता को उनकी प्रगति में बाधा डाले।

बिजली संशोधन बिल 2021

संदर्भ: केंद्र सरकार को संसद में पेश होने से पहले ही बिजली संशोधन विधेयक 2021 के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि विधेयक को "जनविरोधी (anti-people)" होने का दावा करते हुए संसद के सामने नहीं लाया जाए, यह क्रोनी कैपिटलिज्म (crony capitalism) को बढ़ावा देगा।

विद्युत अधिनियम में वे कौन से प्रमुख परिवर्तन हैं जिन्हें संशोधन लाने का प्रयास किया गया है?

- इस बिल से सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए निजी खिलाड़ियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करने के लिए बिजली वितरण को रद्द करने का प्रयास किया गया है, जो अंततः उपभोक्ताओं को कई सेवा प्रदाताओं में से एक चुनने में सक्षम करेगा।
- यह कदम उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनियों के बीच चयन करने की अनुमति देगा।
- वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि सरकार उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनियों के बीच चयन करने की अनुमति देने के लिए एक ढांचा लाएगी।
- वर्तमान में देश के अधिकांश हिस्सों में बिजली वितरण राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद सहित कुछ शहर अपवाद हैं जहां निजी खिलाड़ी बिजली वितरण का संचालन करते हैं।
- बिजली वितरण कम्पनिया (डिस्कॉम) हालांकि उच्च स्तर के नुकसान और कर्ज से जूझ रहे हैं।

बिजली वितरण का लाइसेंस रद्द करने पर क्या आपत्तियां हैं?

- राज्यों ने चिंताओं को उजागर किया है कि निजी खिलाड़ियों के प्रवेश की अनुमति देने से "चेरी-पिकिंग (cherry-picking)" हो सकती है, निजी खिलाड़ी केवल वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करते हैं न कि आवासीय और कृषि उपभोक्ताओं को।
- वर्तमान में बिजली शुल्क भारत में व्यापक रूप से भिन्न हैं, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता बहुत अधिक शुल्क

देकर ग्रामीण आवासीय और कृषि उपभोक्ताओं की बिजली की खपत को कम कर देते हैं।

- इस बात का डर है किइस बिल से "निजी, लाभ-केंद्रित उपयोगिता खिलाड़ियों का केंद्रीकरण आकर्षक शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों में हो जाएगा, जबकि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉम्स के भरोसे छोड़ दिया जाएगा।"
- इससे मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉम के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा यदि उनके सभी औद्योगिक विज्ञापनों को निजी क्षेत्र द्वारा ले लिया जाता है।
- इसके अलावा निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को पेश करने की पहले की योजनाओं में भी क्रॉस-सब्सिडी स्तरों में धीरे-धीरे कमी की परिकल्पना की गई थी जो कि अमल में नहीं आई है।
- अन्य प्रमुख चिंताएं जो राज्यों ने उठाई हैं, वे हैं अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों (RPOs) को पूरा करने में विफलता के लिए उच्च दंड।
- साथ ही राज्य इस आवश्यकता का विरोध कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भार और राज्य भार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के निर्देशों का पालन करें। इस प्रस्तावित बिल की संघवाद की भावना के रूप में आलोचना की जाती है

आगे की राह

- एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व जिसमें किसी भी निजी खिलाड़ी को आवासीय और कृषि उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता होगी, क्रॉस-सब्सिडी के मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता है।
- निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों द्वारा कवर किए जाने वाले न्यूनतम क्षेत्र को एक शहरी ग्रामीण मिश्रण, एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व और उच्चतम टैरिफ में क्रॉस-सब्सिडी के तत्वों को शामिल करने के लिए परिभाषित करने की आवश्यकता है।

एक नारीवादी लेंस (lens) के माध्यम से झूठी खबर

संदर्भ: ऑनलाइन दुनिया भौतिक दुनिया (physical world) के सामाजिक मानदंडों को बढ़ाती है। महिलाओं को इंटरनेट पर क्रोधी और आक्रामक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें प्रोफेशनली रूप से कमजोर, बदनाम और चुप कराने के लिए बनाया किया है।

सोशल मीडिया पर नारीवाद और गलत सूचना

- **पद कोई मायने नहीं रखता:** महिला की सत्ता की स्थिति उसे अशिष्ट (vulgar) गलत सूचनाओं से नहीं बचाती है। 724 में से 95 महिला राजनेताओं को मार्च और मई, 2021 के बीच ट्विटर पर लगभग दस लाख घृणित उल्लेख मिले (एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट)।
- **अंतर-अनुभागीय चुनौतियां:** संगठित दुष्प्रचार और लैंगिगता, मुखर महिलाओं (vocal women) को धमकाने के लिए इस्लामोफोबिया, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और भेदभाव के अन्य रूपों के साथ प्रतिच्छेद करते हैं।
- **महिलाओं पर जिम्मेदारी:** उत्पीड़न इतना व्यापक है कि अक्सर महिलाओं से कहा जाता है कि वे या तो दुर्व्यवहार करने वालों को अनदेखा करें या ऐसे हैंडल को ब्लॉक करें। हमेशा की तरह पुरुषों से व्यवहार करने के लिए कहने के बजाय महिलाओं से एहतियाती उपाय करने की अपेक्षा की जाती है।
- **लैंगिकता का दुरूपयोग:** एक ओर जहां महिलाओं को सेक्सिस्ट हमलों का निशाना बनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उनकी कामुकता का उपयोग गलत सूचना देने के लिए किया जाता है। कई फर्जी फेसबुक अकाउंट एक महिला के रूप में प्रस्तुत कर "भड़काऊ टिप्पणियां पोस्ट कर रहे हैं जो सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता हैं"।
- **नारीवादी आवाज़ों को चुप कराने का राजनीतिक प्रयास:** महिला पत्रकारों के ऑनलाइन उत्पीड़न पर यूनेस्को की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक कलाकार महिला पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा अभियानों को भड़काकर उन्हें बढ़ावा देते हैं।
- **गलत सूचना और लिंगभेद का एक सहजीवी संबंध है:** झूठी खबर मुखर महिलाओं को बदनाम करने के लिए लिंगवाद पर गुंडागर्दी करती है और लिंगभेद पितृसत्तात्मक मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिए गलत सूचना का उपयोग करता है।
- **लैंगिक गलत सूचना से लोकतंत्र को खतरा है:** एक स्वस्थ लोकतंत्र सहभागी होता है और लैंगिक समावेश को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

- जहां सोशल मीडिया महिलाओं को मुद्दे उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, वहीं बार-बार दुर्व्यवहार उस स्वतंत्रता को छीन लेता है। सोशल मीडिया जिस जगह #MeToo आंदोलन को बल मिला, वही जगह महिलाओं को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का पेटेंट

सुर्ख़ियों में: विश्व में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्या है?

- यह उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिए ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी तकनीकें शामिल हैं
- AI में जटिल चीजें शामिल होती हैं जैसे मशीन में किसी विशेष डेटा को फीड करना और इसे विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना। यह मूल रूप से सेल्फ-लर्निंग पैटर्न बनाने के बारे में है जहां मशीन कभी जवाब न देने वाले सवालों के जवाब दे सकती है जैसे कि एक इंसान कभी करेगा।
- AI हार्डवेयर चालित रोबोटिक ऑटोमेशन से अलग है। मैन्युअल कार्यों को स्वचालित करने के बजाय, AI लगातार उच्च मात्रा वाले कम्प्यूटरीकृत कार्यों को मज़बूती से करता है।

AI के लाभ और क्षमता

- **बहु-क्षेत्रीय अनुप्रयोग:** पहले से ही AI ने फसल की पैदावार बढ़ाने, व्यावसायिक उत्पादकता बढ़ाने, ऋण तक बेहतर पहुंच और कैंसर का पता लगाने को तेज और अधिक सटीक बनाने में मदद की है।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है:** यह वर्ष 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्था में $15 ट्रिलियन से अधिक का योगदान कर सकता है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 14% जोड़ सकता है। गूगल ने विश्वभर में "एआई फॉर गुड" के 2,600 से अधिक उपयोग मामलों की पहचान की है।
- **एसजीडी के लिए एनबलर (Enabler for SGDs):** नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर AI के प्रभाव की समीक्षा करते हुए पाया गया कि SDGs सभी SDGs लक्ष्यों के 134 या 79% पर एक एनबलर के रूप में कार्य कर सकता है।

दक्षिण अफ्रीका को पेटेंट देने में क्या समस्या है?

- दक्षिण अफ्रीका (South Africa) DABUS नामक "फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर (food container based on fractal geometry)" से संबंधित हाल ही में दिया गया दक्षिण अफ्रीकी पेटेंट काफी सांसारिक लगता है।
- विचाराधीन नवाचार में इंटरलॉकिंग खाद्य कंटेनर शामिल हैं जो रोबोट के लिए समझने और ढेर करने में आसान हैं।
- बारीकी से निरीक्षण करने परहम देखते हैं कि आविष्कारक एक इंसान नहीं है - यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली है जिसे "एकीकृत भावना के स्वायत्त बूटस्ट्रैपिंग के लिए उपकरण (device for the autonomous bootstrapping of unified sentience-DABUS) कहा जाता है। आविष्कार पूरी तरह से DABUS द्वारा तैयार किया गया था।
- DABUS को आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध करने वाला पेटेंट आवेदन अमेरिका (U.S.), यूरोप (Europe), ऑस्ट्रेलिया (Australia) और दक्षिण अफ्रीका (South Africa) सहित दुनिया भर के पेटेंट कार्यालयों में दायर किया गया था। लेकिन केवल दक्षिण अफ्रीका (South Africa) ने पेटेंट दिया (अदालत के फैसले के आगे बढ़ने के कुछ दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने सूट का पालन किया)।
    - यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय तथा यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने औपचारिक परीक्षा चरण में इन आवेदनों को खारिज कर दिया।

DABUS क्या है?

- DABUS का अर्थ "एकीकृत भावना के स्वायत्त बूटस्ट्रैपिंग के लिए उपकरण" है।
- यह AI और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में अग्रणी स्टीफन थेलर द्वारा बनाई गई एक एआई प्रणाली है।
- यह प्रणाली मानव मंथन (human brainstorming) का अनुकरण करती है और नए आविष्कार करती है।
- DABUS एक विशेष प्रकार का AI है, जिसे अक्सर "रचनात्मकता मशीन (creativity machines)" कहा जाता है क्योंकि वे स्वतंत्र और जटिल कार्य करने में सक्षम होते हैं।
- DABUS से पहले थेलर ने एक अन्य एआई का निर्माण किया था जिसने नोवेल शीट म्यूजिक और 'क्रॉस ब्रिसल' टूथ ब्रश के डिजाइन का अविष्कार किया था।

कुछ विशेषज्ञ इस कदम का विरोध क्यों कर रहे हैं?

- पेटेंट कानून में अंग्रेजी के 'हिम' (उसका) और 'हर' (उसकी) शब्द प्रयोग किये जाते हैं जो किसी एआई के लिए नहीं किये जा सकते।
- दूसरे, पेटेंट के उद्देश्य के लिए जो विचार आते हैं वह मानव मस्तिष्क में ही आ सकते हैं।
- तीसरी बात यह कि पेटेंट जिसे दिया जाता है उसे अधिकार मिलते हैं जो एआई नहीं ले सकता।
- आलोचकों ने तर्क दिया कि यह कानून में गलत निर्णय था, क्योंकि AI के पास आविष्कारक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कानूनी स्थिति का अभाव है।
- आलोचकों का मानना है कि यदि दक्षिण अफ्रीका में इसके बजाय एक वास्तविक खोज और परीक्षा प्रणाली होती, तो DABUS पेटेंट आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया होता।

निष्कर्ष

- नीतिगत माहौल और AI की विशाल क्षमता को देखते हुए, पेटेंट देना समझ में आता है। शायद यह दक्षिण अफ्रीकी कार्यालय द्वारा एक रणनीतिक मास्टरक्लास साबित हो जो एक और अधिक नवीन राष्ट्र की ओर ले जाएगा।

शहरी नौकरियों का सुरक्षा जाल

सुर्ख़ियों में : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.3% की कमी आई है। यू.एस., ब्राजील, जापान, कनाडा और यूरो क्षेत्र में संकुचन 3.5% -7% की सीमा में था। भारत की जीडीपी में 8% की गिरावट आई है।

- इसके विपरीत, चीन ने 2.3% की वृद्धि दर्ज की।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 95 मिलियन लोग अत्यधिक गरीब वर्ग की श्रेणी में आ गए हैं।

बेरोजगारी और महामारी

- यूरो क्षेत्र, यू.एस. और कनाडा में बेरोजगारी दर क्रमश: 7.1%, 8.1% और 9.6% तक बढ़ गई।
- स्पेन, ग्रीस, तुर्की, फिलीपींस, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया और पेरू समेत अन्य देश बेरोजगारी दर से दो अंकों में जूझ रहे हैं।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुमानों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर अप्रैल 2020 में 23.5% तक पहुंच गई, जो फरवरी 2021 में गिरकर 6.9% हो गई।
- आर्थिक मंदी के मद्देनजर आजीविका के नुकसान को कम करने की चुनौती है। समकालीन वास्तविकताओं को देखते हुए, दो कारणों से इसे ग्रामीण-शहरी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।
- सबसे पहले जब कोई आर्थिक आघात होता है, तो लोगों को आजीविका सुरक्षा जाल तक औपचारिक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है।
- आजीविका सुरक्षा जाल का दायरा व्यापक होना चाहिये। इस प्रकार का सुरक्षा जाल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन उसका लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है।

क्या शहरी रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है?

- हालाँकि, भारत सरकार 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' का संचालन करती है, जो कौशल उन्नयन और बैंकों के सहयोग से क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से स्वरोज़गार पर केंद्रित है, लेकिन इस योजना में गारंटीकृत श्रमिक रोज़गार प्रावधान नहीं हैं, जैसा मनरेगा (MGNREGA) में प्रदान किया जाता है।
- पिछले साल की प्रवास त्रासदी और आर्थिक मंदी ने शहरी भारत में मनरेगा प्रकार के सुरक्षा जाल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- कुछ राज्यों ने मजदूरी रोजगार आधारित शहरी आजीविका योजना के साथ प्रयोग किया है।

हिमाचल प्रदेश (HP) से अंतर्दृष्टि

- हिमाचल प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में शहरी क्षेत्र में न्यूनतम मज़दूरी पर प्रत्येक परिवार के लिये 120 दिनों की गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार प्रदान कर आजीविका सुरक्षा के विस्तार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (MMSAGY) शुरू की है।
- शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले और नगर पालिका द्वारा प्रदान की जा रही परियोजनाओं में अकुशल कार्य में संलग्न होने के इच्छुक 65 वर्ष से कम आयु के परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य योजना के तहत पंजीकरण कर सकता है।
- पंजीकरण के सात दिनों के भीतर लाभार्थी को जॉब कार्ड जारी कर एक पखवाड़े के भीतर रोजगार प्रदान किया जाता है। अन्यथा लाभार्थी 75 रुपए प्रति दिन की दर से मुआवजा पाने का पात्र है।
- वित्त पोषण राज्य और केंद्रीय वित्त आयोगों के तहत शहरी स्थानीय निकायों को पहले से उपलब्ध अनुदानों से था।
- **उत्पादन:** इसके संचालन के एक वर्ष में, एक चौथाई मिलियन मानव-दिवस, हिमाचल प्रदेश में कुल शहरी परिवारों के लगभग 3% को लाभान्वित करते हुए, उत्पन्न हुए।

हिमाचल प्रदेश के अनुभव ने कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

- **वित्तीय रूप से संभव:** पहला, मौजूदा वित्तीय क्षेत्र में शहरी आजीविका योजना शुरू की जा सकती है। यदि नहीं, तो संघ और राज्य मिलकर संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं।
- **प्रवास पर अंकुश:** दो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग न्यूनतम मज़दूरी की घोषणा शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को प्रेरित नहीं करती क्योंकि शहरी क्षेत्रों में निवास की उच्च लागत एक समायोजी प्रभाव (Offsetting Effect) उत्पन्न करती है।
- अर्थव्यवस्था को अपना ध्यान परिसंपत्ति निर्माण से सेवा आपूर्ति की ओर स्थानांतरित करना चाहिये। शहरी क्षेत्रों में इसे परिसंपत्ति निर्माण या मज़दूरी-सामग्री अनुपात (Wage-material ratios) तक सीमित करना उप-इष्टतम हो सकता है। नगरनिकाय सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- **राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने की जरूरत:** ऐसी योजना एक 'आर्थिक टीका' की तरह है और लोगों को बेरोजगारी से बचाएगी। इसे राज्य स्तर के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित किया जाना चाहिए।

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021

सुर्ख़ियों में: एक लंबे अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवाद के बाद, वर्तमान सरकार ने एक सुधारात्मक कदम उठाया है, कराधान कानून [संशोधन] अधिनियम, 2021 को पेश करना और पारित करना।

यह अधिनियम वोडाफोन और केयर्न एनर्जी के खिलाफ सरकार द्वारा उठाई गई कर मांग को पूर्ववत करने के लिए है।

पूर्वव्यापी कर मुद्दे की पृष्ठभूमि:

- वोडाफोन समूह की डच शाखा ने वर्ष 2007 में एक केमैन (Cayman) आइलैंड्स-आधारित कंपनी खरीदी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय फर्म हचिसन एस्सार लिमिटेड (Hutchison Essar Ltd) में बहुमत हिस्सेदारी रखी, बाद में इसका नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया (11 बिलियन डॉलर में) कर दिया गया।
- इसलिए, सौदा भारत में नहीं हुआ था और लेन-देन भारतीय अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ था, कंपनियों ने पूंजीगत लाभ कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था।
- सितंबर में जब सरकार ने देखा कि भारतीय संपत्ति पर पूंजीगत लाभ कर से बचने के लिए इतना बड़ा लेन-देन अपतटीय किया गया तब भारत के आयकर विभाग ने वोडाफोन पर हचिसन को भुगतान की गई राशि से स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहने के लिए एक नोटिस जारी किया। पूंजीगत लाभ कर के एवज में यह तर्क दिया गया कि विक्रेता हचिसन के लिए उत्तरदायी था।
- मामला अदालत में गया और जनवरी 2012 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन का समर्थन करते हुए फैसला सुनाया कि एक गैर-भारतीय कंपनी को शेयरों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर भारत में कर नहीं लगेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्तमान कानून भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर पूंजीगत लाभ कर लगाने की अनुमति नहीं देता है, भले ही अंतर्निहित संपत्ति भारत में स्थित हो।
- 2012 के केंद्रीय बजट में, तत्कालीन वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ कर में पूर्वव्यापी संशोधन पेश किया, जो यह कहा कि 1962 में या उसके बाद से, कोई भी पूंजीगत लाभ जो लेनदेन से उत्पन्न होता है, भले ही वह प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय हो, लेकिन यदि संपत्ति भारत में स्थित है, तो संस्थाओं को केंद्र सरकार को पूंजीगत लाभ कर प्रदान करना होगा।

कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2021

- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2012 में संशोधन करने और विवादास्पद पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान को वापस लेने का प्रयास करता है।
- भारत द्वारा केयर्न एनर्जी पीएलसी और वोडाफोन के खिलाफ पूर्वव्यापी कर मांग के मामले हारने के बाद इसे पेश किया गया था।
- बिल में कहा गया है कि 17 मामलों में मांग उठाई गई थी और कर निश्चितता के सिद्धांत के खिलाफ होने के कारण रेट्रो टैक्स (retro tax) की आलोचना की गई थी और एक आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। संभावित निवेशकों के लिए यह दुख की बात थी।
- बिल में यह भी कहा गया है कि मई 2012 से पूर्व भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिये लगाया गया कर "निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर शून्य" होगा, जैसे- लंबित मुकदमे की वापसी तथा एक उपक्रम के कोई नुकसान का दावा दायर नहीं किया जाएगा।

कराधान कानूनों का प्रभाव (संशोधन) विधेयक 2021

- सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह कदम निवेशक समुदाय को सकारात्मक संदेश देने के लिए है क्योंकि यह कंपनियों को इस मुद्दे को हल करने का एक उचित अवसर प्रदान करता है।
- एक निष्पक्ष और पूर्वानुमेय शासन के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बहाल करने के अलावा, यह एक निवेश-अनुकूल कारोबारी माहौल स्थापित करेगा, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर सरकार के लिए समय के साथ अधिक राजस्व जुटाने में मदद करेगा।
- यह विदेशी निवेशकों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, और इसका सीधा परिणाम व्यापार करने की सुगमता में सुधार करके अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में होगा।
- इस कदम से वोडाफोन और केयर्न सहित 17 कंपनियों के साथ मुकदमेबाजी समाप्त होने की उम्मीद है, इसके अलावा अनिश्चितता के बारे में आलोचना को दूर करने, उन्हें पिछले सभी विवादों को बंद करने और भविष्य की मुकदमेबाजी लागतों से बचने का एक अच्छा अवसर मिलेगा।

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर एंटी-ट्रस्ट जांच

सुर्खियों में: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon और Flipkart को उनके कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवसाय प्रथाओं के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जांच का सामना करना पड़ेगा।

- इससे पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट ने CCI की जांच के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दोनों कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

Amazon और Flipkart जांच के दायरे में क्यों हैं?

- CCI ने 2020 में Amazon और Flipkart के खिलाफ अपनी जांच दिल्ली व्यापार महासंघ (DVM) द्वारा दायर एक शिकायत के बाद शुरू की, जो छोटे व्यापारियों के हितों को बढ़ावा देने वाली एक लॉबी है।
- **गैर-तटस्थ प्लेटफॉर्म:** शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ई-कॉमर्स दिग्गजों ने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ विक्रेताओं को रियायती शुल्क और वरीयता सूची की पेशकश करके उनका पक्ष लिया।

- प्लेटफार्मों द्वारा दी जाने वाली शुल्क छूट कुछ विक्रेताओं को दूसरों की तुलना में कम कीमतों की पेशकश करने में मदद कर सकती है।
- वरीयता सूची एक ऐसी प्रथा है जहां कुछ विक्रेताओं द्वारा पेश किए गए उत्पाद अन्य विक्रेताओं द्वारा पेश किए गए उत्पादों की तुलना में अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं।

- **प्रतिस्पर्धी विरोधी व्यवहार:** जांच दिल्ली व्यापार महासंघ (DVM) ने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के मोबाइल फोन निर्माताओं के साथ उनके प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से फोन बेचने के लिए गठजोड़ करने के बारे में भी चिंता जताई।
  - व्यापारी संघ ने तर्क दिया कि यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार था क्योंकि छोटे व्यापारी इन उपकरणों को खरीद और बेच नहीं सकते थे।
  - ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जाने वाली फ्लैश बिक्री और विशेष छूट पर भी चिंता व्यक्त की गई थी, जो छोटे व्यापारियों द्वारा मेल नहीं होती थी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) जांच के पक्ष में तर्क

- सीसीआई जांच के समर्थकों का मानना है कि अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट दोनों की बढ़ती बाजार शक्ति को देखते हुए जांच उचित है।
- उनका तर्क है कि ये कंपनियां बेहद सस्ती कीमत निर्धारण प्रथाओं (कम कीमत, गहरी छूट) में संलग्न हैं, जिसने पहले ही हजारों छोटे व्यापारियों को व्यवसाय से बाहर कर दिया है।
  - कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2019 में, कोरोनावायरस महामारी से ठीक पहले, 50,000 से अधिक मोबाइल फोन खुदरा विक्रेताओं और 25,000 किराना स्टोरों को बड़ी ई-कॉमर्स फर्मों द्वारा व्यवसाय से बाहर कर दिया गया था।
- कहा जाता है कि ई-कॉमर्स दिग्गज कई तरह से कानून को बार-बार तोड़ते हैं।
  - इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ ऐसा ही एक आरोप यह है कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म (ई-कॉमर्स नियमों के अनुसार अनुमति नहीं) के बावजूद अपने स्वयं के सामान बेचने का एक पिछले दरवाजे (backdoor) का रास्ता खोज लिया है।
  - ऐसी रिपोर्टें हैं कि अमेज़ॅन के पास मुट्ठी भर विक्रेताओं में अप्रत्यक्ष स्वामित्व हिस्सेदारी थी जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाली बिक्री में बड़ा योगदान दिया।
- यह ध्यान देने योग्य है कि भारत विदेशी कंपनियों को खुदरा क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट (वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले) को कानूनी रूप से केवल तटस्थ प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने की अनुमति है जो शुल्क के लिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और खरीदारों के बीच लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) जांच के विरुद्ध तर्क

- सीसीआई जांच के विरोधी इसे उपभोक्ताओं के हितों के बजाय छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रयास के रूप में देखते हैं।
- उनका तर्क है कि अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट से प्रतिस्पर्धा उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान है जो अब कम कीमतों पर बेहतर उत्पादों का आनंद ले सकते हैं।
- हालांकि ये कंपनियां सरल तरीकों से कानून को दरकिनार (bypassing) कर सकती हैं, आलोचकों का तर्क है कि ऐसे कानून पहले स्थान पर अनावश्यक और प्रतिस्पर्धा-विरोधी हैं क्योंकि वे उपभोक्ताओं के बजाय छोटे व्यापारियों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं।
- जांच के आलोचकों का यह भी मानना है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी व्यवसाय हैं और उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों को कैसे सूचीबद्ध किया जाए।
- उनका तर्क है कि कुछ उत्पादों को प्रमुखता से सूचीबद्ध करने की प्रथा केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है; यहां तक कि सुपरमार्केट भी यह तय करने की शक्ति रखते हैं कि विभिन्न उत्पादों को अपनी अलमारियों पर कैसे प्रदर्शित किया जाए।
- वास्तव में, कुछ उत्पादों की वरीयता सूची अपरिहार्य हो सकती है क्योंकि सभी उत्पादों को समान महत्व देना असंभव है।
- अंत में सीसीआई जांच के आलोचक भी बेहद सस्ती कीमत , विशेष आपूर्ति अनुबंधों और बाजार के प्रभुत्व के बारे में चिंताओं को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये लंबे समय में तब तक मायने नहीं रखते जब तक कि नए प्रतिस्पर्धियों को बाजार में प्रवेश करने से नहीं रोका जाता।

आगे की राह

- विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर नियामक बोझ आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है क्योंकि सरकार अपनी आत्मनिर्भर परियोजना के हिस्से के रूप में घरेलू कंपनियों का पक्ष लेने की कोशिश कर रही है।
- वाणिज्य मंत्री ने, अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर इशारा करते हुए "भारत छोड़ो" वाक्यांश का आह्वान किया।
- अन्य विदेशी कंपनियां जैसे मास्टरकार्ड को भी हाल के दिनों में घरेलू नियमों का पालन करने के लिए भारतीय नियामकों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
- इस तरह के उपाय, विदेशी व्यापार समूहों पर घरेलू व्यापार समूहों का पक्ष लेते हैं, और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी लाकर भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)

सुर्खियों में : हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) लॉन्च की, जिसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में (वित्त वर्ष 22-25 तक) राज्य के स्वामित्व वाली बुनियादी ढांचा संपत्ति को पट्टे पर देकर 81 बिलियन डॉलर जुटाना है।

संपत्ति मुद्रीकरण क्या है?

- परिसंपत्ति मुद्रीकरण में मौजूदा अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करके राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण शामिल है।
- कई सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का उप-इष्टतम उपयोग करके उचित रूप से मुद्रीकृत किया जा सकता है।
- संपत्ति से बेहतर मूल्य बनाने के लिए निजी क्षेत्र (पट्टे पर या बिक्री) को शामिल करके।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना की मुख्य विशेषताएं

- NMP का रोडमैप नीति आयोग ने केंद्रीय बजट 2021-22 के 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण' जनादेश के तहत बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया है।
- नीति आयोग के पास एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रकोष्ठ है और मुद्रीकरण रोडमैप को आगे बढ़ाने में किसी भी मंत्रालय को किसी भी सहायता के लिए उसे संभालने के लिए लेनदेन सलाहकारों को नियुक्त किया है।
- सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की संपत्ति में मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66% से अधिक शामिल होगा, इसके अलावा इसमें दूरसंचार, खनन, विमानन, बंदरगाह, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, गोदाम और स्टेडियम भी शामिल हैं।
- अभी के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) की संपत्तियां केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में काम कर रही हैं।
- विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को NMP में शामिल नहीं किया गया है।
- इनमें प्रत्यक्ष संविदात्मक लिखत जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी रियायतें और पूंजी बाजार लिखत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट) शामिल हैं।
    - उदाहरण के लिए: इस योजना के तहत, निजी फर्म इनविट रूट का उपयोग करके एक निश्चित रिटर्न के लिए परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं और साथ ही सरकारी एजेंसी को वापस स्थानांतरित करने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए परिसंपत्तियों का संचालन और विकास कर सकती हैं।
    - साधन का चुनाव क्षेत्र, परिसंपत्ति की प्रकृति आदि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- एनएमपी का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति के मालिकों के लिए कार्यक्रम का एक मध्यम अवधि का रोडमैप प्रदान करना है; निजी क्षेत्र के लिए संभावित संपत्तियों पर दृश्यता के साथ।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (NIP) के साथ-साथ क्रियान्वित की जाएगी।
- संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम को लागू और निगरानी करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। संपत्ति मुद्रीकरण (सीजीएएम) पर सचिवों के कोर ग्रुप की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे।
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी की जाएगी। सरकार वार्षिक लक्ष्यों और एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मासिक समीक्षा के साथ एनएमपी की प्रगति की बारीकी से निगरानी करेगी।
- शीर्ष 5 क्षेत्र (अनुमानित मूल्य के अनुसार) कुल पाइपलाइन मूल्य का ~83% हिस्सा लेते हैं। इनमें शामिल हैं: सड़कें (27%), रेलवे (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) तथा दूरसंचार (6%) हैं।

एनएमपी के NMP

- **संसाधन संसाधन क्षमता:** इससे सरकारी संपत्तियों का इष्टतम उपयोग होता है
- **राजकोषीय सावधानी:** इन परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने से अर्जित राजस्व सरकारी वित्त पर दबाव डाले बिना नए पूंजीगत व्यय को निधि देने में मदद करेगा।
- **प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकार ने अंततः इसे बास्केट में व्यवस्थित कर लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तथा बाधाओं की पहचान की है और एक ढांचा तैयार किया है।
- **निजी पूंजी जुटाना:** चूंकि परिसंपत्तियां जोखिममुक्त होती हैं क्योंकि यह ब्राउनफील्ड परियोजनाएं हैं, इससे निजी पूंजी (घरेलू और विदेशी दोनों) जुटाने में मदद मिलेगी। वैश्विक निवेशकों ने खुलासा किया है कि वे पारदर्शी/प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से मुद्रीकृत होने वाली परियोजनाओं में भाग लेने के इच्छुक हैं।
- **कम प्रतिरोध:** इस योजना में स्वामित्व को हस्तांतरित किए बिना निजी क्षेत्र को पट्टे पर देना शामिल है। इसलिए इसे विपक्ष के कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा
- **सहकारी संघवाद:** राज्यों को मुद्रीकरण के प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही प्रोत्साहन के रूप में 5,000 करोड़ रुपये अलग कर दिए हैं।
- यदि कोई राज्य सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो केंद्र राज्य को विनिवेश का 100 प्रतिशत मिलान मूल्य प्रदान करेगा।

- यदि कोई राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करता है, तो केंद्र सरकार उसे सूचीबद्धता के माध्यम से जुटाई गई राशि का 50 प्रतिशत देगी।
- अगर कोई राज्य किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करता है, तो उसे केंद्र से मुद्रीकरण से जुटाई गई राशि का 33 प्राप्त होगा।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** एनएमपी का अंतिम उद्देश्य 'मुद्रीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण' को सक्षम करना है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहयोग करते हैं, प्रत्येक अपनी क्षमता के मुख्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट है, ताकि देश के नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता प्रदान की जा सके।

एनएमपी के लिए संभावित बाधाएं

- एनएमपी रोडमैप को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:
- विभिन्न परिसंपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव।
- गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का अपर्याप्त स्तर।
- विवाद समाधान तंत्र का अभाव।
- विद्युत क्षेत्र की आस्तियों में विनियमित टैरिफ।
- फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेशकों की दिलचस्पी कम।
- स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामकों का अभाव।

निष्कर्ष

- मूल्य के आधार पर वार्षिक चरणबद्धता के संदर्भ में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में 88,000 करोड़ रुपये के सांकेतिक मूल्य के साथ 15 प्रतिशत संपत्ति को रोल आउट करने की परिकल्पना की गई है।
- 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति को खोलना एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन बाधाओं को दूर करने से निवेशकों के आने की उम्मीद है।

फेसिअल रिकग्निशन (Facial Recognition)

सुर्खियों में : सरकार चेहरे की पहचान तकनीक की संभावना तलाश रही है।

- AFRS एक बड़े डेटाबेस को बनाए रखता है जिसमें लोगों के चेहरे की तस्वीरें और वीडियो होते हैं। फिर, एक अज्ञात व्यक्ति की एक नई छवि – जिसे अक्सर सीसीटीवी फुटेज से लिया जाता है – की तुलना मौजूदा डेटाबेस से व्यक्ति की पहचान करने के लिए की जाती है।

NAFRS (आटोमेटेड फेस रिकग्निशन सिस्टम) के बारे में

- सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पुलिस को सशक्त बनाने के लिए, भारत ने राष्ट्रीय स्वचालित चेहरे की पहचान प्रणाली (NAFRS) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
- यह चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करके एक राष्ट्रीय स्तर के खोज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा: अपराध की जांच की सुविधा के लिए या चेहरे के मुखौटे, मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी, दाढ़ी या बालों के विस्तार की परवाह किए बिना व्यक्ति (उदाहरण के लिए, एक अपराधी) की पहचान करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- अमेरिका में, FBI और राज्य विभाग चेहरे की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली में से एक का संचालन करते हैं।
- उइगर मुसलमानों को ट्रैक करने, फाइलिंग और सामूहिक निगरानी के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करता है।

NAFRS की आलोचना

- **गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है:** चूंकि NAFRS संवेदनशील निजी जानकारी एकत्र, संसाधित और संग्रहीत करेगा: लंबी अवधि के लिए चेहरे की बायोमेट्रिक्स; यदि स्थायी रूप से नहीं - यह निजता के अधिकार को प्रभावित करेगा।
- **100% सही नहीं :** चेहरे की पहचान एक निश्चित परिणाम नहीं होती है यह केवल संभावनाओं में 'पहचान' या 'सत्यापित' करती है (उदाहरण के लिए, 70% संभावना)। हालांकि आधुनिक मशीन के कारण चेहरे की पहचान की सटीकता में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है- एल्गोरिदम सीखना, त्रुटि और पूर्वाग्रह का जोखिम अभी भी मौजूद है।
- **पक्षपात और पूर्वधारणा:** शोध से पता चलता है कि चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल पर आधारित है। इसलिए यदि प्रशिक्षण डेटासेट में कुछ प्रकार के चेहरों (जैसे महिला, बच्चे, जातीय अल्पसंख्यक) का प्रतिनिधित्व कम किया जाता है, तो यह पूर्वाग्रह इसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- **प्रोफाइलिंग का डर :** त्रुटि और पूर्वाग्रह के तत्व के साथ, चेहरे की पहचान के परिणामस्वरूप आपराधिक न्याय प्रणाली में कुछ अधिक प्रतिनिधित्व वाले समूहों (जैसे दलितों और अल्पसंख्यकों) की प्रोफाइलिंग हो सकती है।
- **वैधानिक स्पष्टता का अभाव:** NAFRS के दुरुपयोग की संभावना है, खासकर जब इसकी तैनाती के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव और व्यापक डेटा संरक्षण विधेयक की कमी है।
- **नागरिक स्वतंत्रता पर द्रुतशीतन प्रभाव:** चेहरे की पहचान तकनीक के अनियंत्रित उपयोग से स्वतंत्र पत्रकारिता या नागरिक समाज की किसी भी तरह की सक्रियता को बढ़ावा मिलेगा।

- **संघीय चुनौतियाँ:** पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, कुछ भारतीय राज्यों ने इसमें शामिल खतरों की पूरी तरह से सराहना किए बिना नई तकनीकों का उपयोग शुरू कर दिया है।

निष्कर्ष

- सरकार को NAFRS के वैधानिक प्राधिकरण और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए तैनाती के दिशा-निर्देशों के अलावा एक मजबूत और सार्थक डेटा संरक्षण कानून बनाना चाहिए।

जाति जनगणना

संदर्भ: जाति व्यवस्था भारत की नियति है और इसने देश को अपनी अपार क्षमता को साकार करने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कला, खेल एवं आर्थिक समृद्धि के विषय में एक महान राष्ट्र में परिणत हो सकने की संभावना को अवरुद्ध कर रखा है।

- एक भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी, जो दलित थी, को जाति के अपमान का सामना करना पड़ा, और उसके परिवार को टोक्यो ओलंपिक में टीम की हार के बाद उच्च जाति के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

जाति से जुड़े मुद्दे

- जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है: जाति भारतीय सामाजिक अस्तित्व में सबसे आगे रही है और जीवन को नियंत्रित करती है - जन्म से मृत्यु तक, रीति-रिवाजों, आवास, व्यवसायों, विकास योजना और यहां तक कि मतदान वरीयताओं को भी।
- व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करना: अध्ययनों से पता चलता है कि 90% नौकरशाही के काम वंचित जातियों द्वारा किए जाते हैं, जबकि सफेदपोश नौकरियों में यह आंकड़ा उलट है।
- **गोल्ड कॉलर जॉब्स में असमानता:** मीडिया, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, नौकरशाही या कॉर्पोरेट क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से निर्णय लेने के स्तर पर, जाति विविधता का यह परम अभाव इन संस्थानों और उनके प्रदर्शन को कमज़ोर कर रहा है।

जाति जनगणना के लिए तर्क

- एक जाति आधारित जनगणना (जो विस्तृत आँकड़े सृजित करेगी), नीति निर्माताओं को बेहतर नीतियों और कार्यान्वयन रणनीतियों को विकसित करने का अवसर देगी और इसके साथ ही संवेदनशील मुद्दों पर अधिक तर्कसंगत बहस को भी सक्षम करेगी।
- भारत को आँकड़ों के माध्यम से जाति के प्रश्न से निपटने के लिये उसी प्रकार साहसिक और निर्णयात्मक होने की आवश्यकता है, जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका नस्ल, वर्ग, भाषा, अंतर-नस्लीय विवाह आदि के आँकड़े एकत्र कर नस्ल की समस्या से निपटता है।
- हमारा संविधान भी जाति आधारित जनगणना आयोजित कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिये और सरकारों द्वारा इस दिशा में किये जा सकने वाले उपायों की सिफारिशें करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- ओबीसी समुदायों के उप-वर्गीकरण को देखने के लिए 2017 में जस्टिस रोहिणी समिति की नियुक्ति की गई थी; हालाँकि डेटा के अभाव में, कोई डेटा-बैंक या कोई उचित उप-वर्गीकरण नहीं हो सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार सरकारों से जातियों से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराने को कहा है; लेकिन इस तरह के आँकड़े की अनुपलब्धता के कारण यह संभव नहीं हो पाया है।
- परिणामस्वरूप, हमारा राष्ट्रीय जीवन विभिन्न जातियों के बीच आपसी अविश्वास और गलत धारणाओं से ग्रस्त है।
- विभिन्न आयोगों को पिछली जाति आधारित जनगणना (1931) के आँकड़ों पर निर्भर रहना पड़ा है।
- जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धर्म और भाषाई प्रोफाइल के लिए जनगणना के आंकड़े एकत्र किए गए हैं, 1931 के बाद से भारत में सभी जातियों की कोई प्रोफाइलिंग नहीं की गई है।

निष्कर्ष

- यदि भारत को एक आत्मविश्वासी और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरना है, तो उसे जाति से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक जनगणना आयोजित करने में अपनी झिझक और शुतुरमुर्ग जैसे पलायनवाद को छोड़ना होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत करेगा जो अंततः जाति व्यवस्था को एक भारतीय से दूर ले जाएगी।

'क्रीमी लेयर' और आरक्षण

अब तक की कहानी: लगभग 30 वर्षों से, सुप्रीम कोर्ट अपने सिद्धांत पर दृढ़ता से खड़ा है कि केवल आर्थिक मानदंड पिछड़े वर्ग के सदस्य को "क्रीमी लेयर" के रूप में पहचानने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। सामाजिक उन्नति, शिक्षा, रोजगार जैसे अन्य कारक भी मायने रखते हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की ओर से साल 2016 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया है जिसमें छह लाख से अधिक सलाना आय वाले लोगों को 'क्रीमी लेयर' करार

दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से दूर कर दिया गया था।

- इसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के वर्ग जिनके परिवार 3 लाख रुपए से कम कमाते हैं, उन्हें उनके समकक्षों की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी जो 3 लाख रुपए से अधिक लेकिन 6 लाख रुपए से कम कमाते हैं।
- इन अधिसूचनाओं को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर के बहिष्कार का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अधिनियम के "घोर उल्लंघन" के रूप में अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया और कहा कि कानून की धारा 5 (2) कहती है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और अन्य किसी आधार पर विचार करते हुए क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर करने की अधिसूचना जारी करेगी।

क्या है क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट?

- क्रीमी लेयर की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के फैसले में पेश की गई थी, जिसे 16 नवंबर, 1992 को नौ-न्यायाधीशों की बेंच ने दिया था।
- यद्यपि इसने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन अदालत ने पिछड़े वर्गों के उन वर्गों की पहचान करना आवश्यक पाया जो पहले से ही "सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से अत्यधिक उन्नत" थे।
- अदालत का मानना था कि ये धनी, उन्नत सदस्य उनमें से "क्रीमी लेयर" होते हैं
- फैसले ने राज्य सरकारों को "क्रीमी लेयर" की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने का निर्देश दिया।

क्रीमी लेयर की पहचान की जरूरत

- जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता, 2018 मामले में, न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि जब तक क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है, तब तक जो वास्तव में आरक्षण के पात्र हैं, वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- उन्होंने आगे कहा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत समानता के मौलिक अधिकार पर आधारित था।

क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे होता है?

- केरल जैसे कुछ राज्यों ने उपरोक्त SC निर्देश (क्रीमी लेयर की पहचान करना और उन्हें छोड़कर) को तुरंत लागू नहीं किया। इसने 2000 में रिपोर्ट किए गए इंद्रा साहनी-द्वितीय मामले की अगली कड़ी का नेतृत्व किया।
- यहाँ अदालत पिछड़े वर्गों के बीच "क्रीमी लेयर" का निर्धारण करने के लिए कितने हद तक चला गया।
- निर्णय में कहा गया कि आईएएस, आईपीएस और अखिल भारतीय सेवाओं जैसी उच्च सेवाओं के पदों पर रहने वाले वर्गों के व्यक्ति सामाजिक उन्नति और आर्थिक स्थिति के उच्च स्तर पर थे इसलिए ये पिछड़े के रूप में व्यवहार करने के हकदार नहीं थे। ऐसे व्यक्तियों को बिना किसी पूछताछ के "क्रीमी लेयर" के रूप में माना जाना था।
- इसी तरह, पर्याप्त आय वाले लोग जो दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में थे, उन्हें भी एक उच्च सामाजिक स्थिति में ले जाना चाहिए और उन्हें "पिछड़े वर्ग से बाहर" माना जाना चाहिए।
- अन्य श्रेणियों में उच्च कृषि जोत वाले व्यक्ति या संपत्ति से आय आदि शामिल हैं।
- इस प्रकार, इंद्रा साहनी के निर्णयों को पढ़ने से पता चलता है कि शिक्षा और रोजगार सहित सामाजिक उन्नति, न कि केवल धन, "क्रीमी लेयर" की पहचान करने की कुंजी थी।
- सिर्फ आर्थिक कसौटी पर क्रीमी लेयर की पहचान संभव क्यों नहीं है?
- पहचान एक कांटेदार मुद्दा रहा है। यहां मूल प्रश्न यह है कि आरक्षण से बहिष्करण को आमंत्रित करने के लिए पिछड़े वर्ग के वर्ग को कितना समृद्ध या उन्नत होना चाहिए।
- दूसरे शब्दों में, यह सवाल है कि योग्य और क्रीमी लेयर के बीच "कैसे और कहाँ रेखा खींचना है" चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब आर्थिक मानदंड ही पहचान का एकमात्र आधार होता है।
- जस्टिस रेड्डी ने इंद्रा साहनी फैसले में केवल आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान करने के नुकसान पर प्रकाश डाला।
    - उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो 36,000 रुपए प्रति माह कमाता है वह ग्रामीण भारत में आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। हालाँकि, एक महानगरीय शहर में समान वेतन की गणना अधिक नहीं की जा सकती है।
    - पिछड़े वर्ग का एक सदस्य, बढ़ई जाति का एक सदस्य, मध्य पूर्व जाता है और वहां बढ़ई का काम करता है। अगर हम उसकी वार्षिक आय रुपये में लें, तो यह भारतीय मानक से काफी अधिक होगी। दुविधा है कि क्या उसे पिछड़े वर्ग से बाहर किया जाए जब केवल आर्थिक मानदंड पर विचार किया जाए।
- पिछड़ा वर्ग का बढ़ई जाति का एक सदस्य, मध्य पूर्व में जाता है और वहां बढ़ई के रूप में काम करता है। यदि हम उसकी वार्षिक आय के रुपये में लें, तो यह भारतीय मानक से काफी अधिक होगी। दुविधा यह है कि क्या उसे पिछड़ा वर्ग से बाहर किया जाए जब केवल उसके आर्थिक मानदंड पर विचार किया जाए।
- न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने कहा, "बहिष्करण का आधार केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि निश्चित रूप से, आर्थिक उन्नति इतनी अधिक न हो कि इसका अर्थ सामाजिक उन्नति हो।"

भूल जाने का अधिकार

संदर्भ: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल के एक मामले में, इस विचार को बरकरार रखा कि "निजता के अधिकार" में "भूलने का अधिकार" और "अकेले रहने का अधिकार" शामिल है।

ये अधिकार क्या हैं?

- 'भूल जाने का अधिकार' इंटरनेट, सर्च , डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है।
- अकेले रहने का अधिकार - राज्य या समाज किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष कानून द्वारा आवश्यक होने पर ही राज्य में घुसपैठ की अनुमति दी जाती है

क्या है हाई कोर्ट केस?

- एक बंगाली अभिनेत्री ने इंटरनेट पर प्रसारित वेब श्रृंखला के अपने ऑडिशन/डेमो वीडियो को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
- वीडियो को इस तरह से चित्रित किया जा रहा है जिससे उसकी निजता का उल्लंघन होता है।
- भले ही परियोजना विफल हो गई, उसने वीडियो के निर्माता को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी थी।
- इसी तरह, 2008 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस और एमटीवी रोडीज़ 5.0 जीतने वाले आशुतोष कौशिक ने 'भूल जाने के अधिकार' के तहत दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र और गूगल को निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा गया है कि उनके कुछ वीडियो, फोटो और लेख तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाए जाएं क्योंकि इसका उनके जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव है।

क्या हैं कोर्ट की टिप्पणी?

- न्यायालय पहले ही कह चुका है कि "निजता के अधिकार" में भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने के अधिकार को "अंतर्निहित पहलू" के रूप में शामिल किया गया है।
- अदालत ने माना कि प्रसारित किए जा रहे स्पष्ट वीडियो का वीडियो में देखे गए व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर स्पष्ट और तत्काल प्रभाव पड़ता है।
- इस प्रकार अदालत ने वीडियो के ऐसे प्रकाशन/प्रसारण के कारण वादी को उसकी निजता के हनन से बचाने का आह्वान किया।

क्या आप जानते हैं?

- भूल जाने का अधिकार किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है, जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक द्वारा शासित होता है जिसे संसद द्वारा पारित किया जाना बाकी है।
- 2017 के के.एस.पुट्टास्वामी मामले में, निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इसने माना कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक हिस्से के रूप में संरक्षित है।

वैवाहिक बलात्कार: महिलाओं के लिए एक अपमान

प्रसंग: पत्नी के आरोपों के आधार पर, एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पति पर आरोप तय किए गए थे।

- धारा 376 (बलात्कार),
- धारा 377 (अप्राकृतिक शारीरिक संभोग)
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता)।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धारा 498A और धारा 377 के तहत तय आरोपों को तो बरकरार रखा लेकिन धारा 376 के आरोप से पति को इस आधार पर मुक्त कर दिया

- **कारण:** धारा 375 (बलात्कार की परिभाषा) के अपवाद 2 के अनुरूप एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी (यदि वह 18 वर्ष से अधिक आयु की है) के साथ संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।

मुद्दे

1. असंगत प्रावधान

- अन्य यौन अपराधों में शादी के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है।
- इस प्रकार, एक पति पर किसी अन्य पुरुष की तरह ही यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, ताक-झांक (voyeurism) और जबरन कपड़े उतारने (forcible disrobing) जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
- एक पति पर धारा 377 (नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, 2018 से पहले, धारा 377 के लिए प्रासंगिक नहीं था, लेकिन यह अब है)।

2. पितृसत्तात्मक धारणाएँ

- वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों में निहित व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्यों का तिरस्कार है।
- वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना एक सदृश पितृसत्तात्मक धारणा की पुष्टि है कि विवाह के बाद एक पत्नी की व्यक्तिगत एवं यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और मानवीय गरिमा का अधिकार आत्मसमर्पित हो जाता है।
- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यभिचार का अपराध (offence of adultery) असंवैधानिक था क्योंकि यह इस सिद्धांत पर

आधारित था कि एक स्त्री विवाह के बाद अपने पति की संपत्ति है।

वैवाहिक बलात्कार को छूट प्रदान करने के लिए तर्क

- **वैवाहिक बलात्कार के बचाव में प्राय**: यह तर्क दिया जाता है कि यदि वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में मान्यता दी गई तो यह 'विवाह की संस्था को नष्ट कर देगा'। यह बात 'स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ' (2017) में सरकार द्वारा कही गई थी।
- वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के खिलाफ अक्सर एक और तर्क दिया जाता है कि चूँकि विवाह एक यौन संबंध है, इसलिये वैवाहिक बलात्कार के आरोपों की वैधता का निर्धारण करना मुश्किल होगा।

निष्कर्ष

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपवाद की पुनर्व्याख्या की थी ताकि अपनी नाबालिग (18 वर्ष की आयु से कम) पत्नियों से बलात्कार करने वाले पति इस अपवाद के आधार पर बच न सकें। यह उपयुक्त समय है कि वयस्क महिलाओं को भी विवाह में इसी प्रकार की सुरक्षा और गरिमा प्रदान की जाए।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना- उद्यमियों के लिए वरदान

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) योजना 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु / सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सही लाभार्थियों को यह ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी को शामिल किया गया है।

- सरकार ने कहा है कि अप्रैल, 2015 में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15 लाख 97 हजार करोड़ रुपये के 30 करोड़ रुपये से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

मुद्रा योजना का महत्व और उद्देश्य:

- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत, मुद्रा योजना व्यवसायों को ₹ 10,00,000/- तक ऋण प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और आय में वृद्धि करना है।
- यह योजना देश में "लाखों गैर-वित्तपोषित सूक्ष्म इकाइयों" को संपार्श्विक मुक्त और सस्ते ऋण प्रदान करके उद्यमशीलता संस्कृति का विकास और सुधार करती है, जो अन्यथा धन की उपलब्धता की कमी के कारण स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
- मुद्रा योजना ने धन की कमी के अंतर को भर दिया।
- यह "पहली पीढ़ी के उद्यमियों" के मनोबल को उनके व्यवसायों को स्थापित करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके भी बढ़ाता है।

मुद्रा ऋण के लाभ

- **संपार्श्विक मुक्त:** यदि आप ऋण चुकाने में असमर्थ हैं तो आप व्यक्तिगत या व्यावसायिक संपत्ति को खोने का जोखिम नहीं उठाते हैं।
- **महंगा न होना:** 8.40 - 12.45% ब्याज की दरें बहुत ही उचित हैं। यदि आप एक महिला उद्यमी हैं, तो आपको कम ब्याज दरों का लाभ मिलता है।
- **ओवरड्राफ्ट:** ऋण के अलावा, आप 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- **डेबिट कार्ड:** आप मुद्रा डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसका उपयोग किसी भी एटीएम में आपकी ऋण राशि तक पहुंचने के लिए किया जाता है।
- **ऋण अवधि में नम्यता:** आप ऋण की अवधि को 7 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं या आप इसे कम अवधि के भीतर चुका सकते हैं।
- **सीमित प्रसंस्करण शुल्क:** ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क नाममात्र है। यदि आप शिशु श्रेणी के तहत आवेदन करते हैं, तो आपको कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं देना होगा।
- **ब्याज दर:** ब्याज दर लोगों के लिए वहन करने योग्य है।

मुद्रा ऋण के तहत ऋण शामिल हैं 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण'।

- **शिशु:** व्यवसाय के शुरुआती चरणों के लिए या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए - ऋण ₹ 50,000/- तक।
- **किशोर:** उन लोगों के लिए जिन्हें अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता है - ऋण 50,000/- से लेकर 5,00,000/- रुपये तक।
- **तरुण:** उनके लिए जिनके पास एक स्थापित व्यवसाय है और जो आगे विकास या विविधीकरण की तलाश में हैं - ऋण 5,00,000/- से लेकर 10,00,000/- रुपये तक।

इंडो-पैसिफिक में व्यापार में वापस आना

संदर्भ: अमेरिका अफगानिस्तान और इराक से 20 वर्षों के बाद समुद्रतटवर्ती एशिया की ओर रणनीतिक रूप से पुनः ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां COVID-19, जलवायु परिवर्तन और चीन की मजबूत चुनौतियां हैं।

- हाल ही में अमेरिका के शीर्ष तीन अधिकारियों की भारत-प्रशांत क्षेत्र में की गई यात्राएं अमेरिकी कूटनीति के इस व्यापक परिवर्तन को दर्शाती हैं-
  - राज्य के उप सचिव (आर. शेरमेन)

- रक्षा सचिव (लॉयड जे. ऑस्टिन III)
- राज्य सचिव (एंटनी जे. ब्लिंकन)

राज्य के उप सचिव (आर. शेरमेन) की यात्रा विश्लेषण

- इस यात्रा में न केवल जापान, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया बल्कि चीन भी शामिल था।
- अमेरिका ने शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करने और चीन के व्यवहार में महत्वपूर्ण कोड वर्ड 'नियम-आधारित आदेश' को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय बैठक भी हुई थी, शायद यह बैठक दो पूर्वी एशियाई पड़ोसी देशो के तनाव को कम करने के लिए।
- चीन की यात्रा का मतलब यह था कि अमेरिका ने प्रतिस्पर्धा का स्वागत किया लेकिन चीन के साथ टकराव की मांग नहीं की। अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों की निराशाजनक स्थिति पर भी खुलकर चर्चा की।

रक्षा सचिव की यात्रा का विश्लेषण (लॉयड जे. ऑस्टिन III)

- ASEAN के तीन महत्वपूर्ण सदस्य देशों - सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस - की उनकी यात्रा इस वजह से सबसे अधिक उपयोगी साबित हुई कि इसने इस क्षेत्र में U.S. सैन्य उपस्थिति की आवश्यकता को दोहराया।
- उन्होंने चीन की अन्य आपत्तिजनक कार्रवाइयों को सूचीबद्ध किया, जिसमें "भारत के खिलाफ आक्रामकता" शामिल है। और फिर उन्होंने बीजिंग को मुख्य संकेत भेजा: "जब हमारे हितों को खतरा होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी हम टकराव नहीं चाहते।"
- अमेरिका ने जोर देकर कहा "दक्षिण चीन सागर के विशाल बहुमत पर बीजिंग के दावे का अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है"

राज्य सचिव की यात्रा का विश्लेषण (एंटनी जे. ब्लिंकन)

- दिल्ली और कुवैत की उनकी यात्रा (26-29 जुलाई) ने इसके सकारात्मक परिणामों के लिए ध्यान आकर्षित किया।
- भारत की यात्रा एक परामर्शी, पुष्टिकरण संवाद की प्रकृति में अधिक थी, न कि नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप थी।
- अमेरिका ने दोहराया कि भारत के साथ दोस्ती अमेरिका के सबसे करीबी में से एक है और दोनों देशों के बीच अभिसरण के क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है जबकि विचलन के क्षेत्र का अंतर घट रहा हैं।
- यह स्पष्ट करते हुए कि क्वाड "एक सैन्य गठबंधन" नहीं था, श्री ब्लिंकन ने क्वाड को चार समान विचारधारा वाले देशों के रूप में परिभाषित किया "एक साथ काम करने के लिए ... क्षेत्रीय चुनौतियों पर, अंतरराष्ट्रीय नियमों और मूल्यों को मजबूत करते हुए"।

इसके महत्वपूर्ण भाग

- **चीन और इंडो-पैसिफिक के प्रति नीति आपस में जुड़ी हुई है:** पहला, कि अमेरिका की चीन नीति और शेष भारत-प्रशांत नीति, श्री बिडेन द्वारा सुनिश्चित की गई आंतरिक स्थिरता के साथ मिलकर चलेगी।
- **चीन के प्रति गैर-टकरावादी दृष्टिकोण:** दूसरा, वाशिंगटन बीजिंग के प्रति सख्त रवैया रखता है, लेकिन वह वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखना चाहता है। चीन के साथ संबंध तीन विशेषताओं - प्रतिकूल, प्रतिस्पर्धी और सहकारी - द्वारा चिह्नित हैं और इसके इसी तरह बने रहने की संभावना है।
- **एकीकृत प्रतिरोध:** तीसरा, अमेरिका दृढ़ता से इस क्षेत्र के समान विचारधारा वाले राज्यों के पूर्ण जुड़ाव और योगदान के साथ चीन का विरोध करने और उसका सामना करने के लिए तैयार है।
- **अमेरिका ने अपनी नेतृत्व की भूमिका फिर से शुरू की:** अमेरिका वापस आकर नेतृत्व करने के लिए तैयार है - लेकिन इस क्षेत्र को भी गंभीरता से कदम उठाना होगा और शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।

नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य पर्याप्त नहीं हो सकता है

संदर्भ: हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट (टाइटनिंग द नेट) के अनुसार, नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट की घोषणा करना कार्बन उत्सर्जन में कटौती की प्राथमिकता से एक खतरनाक भटकाव हो सकता है।

हाल ही में किन देशों ने शुद्ध-शून्य लक्ष्यों की घोषणा की है?

- 2019 में, न्यूजीलैंड सरकार ने नेट ज़ीरो कार्बन अधिनियम पारित किया, जिसने देश को 2050 या उससे पहले ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध किया।
- 2019 में, यूके की संसद ने कानून पारित किया जिसमें सरकार को वर्ष 2050 तक यूके के ग्रीनहाउस गैसों के शुद्ध उत्सर्जन को 1990 के स्तर के सापेक्ष 100 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता थी।
- हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि देश वर्ष 2030 तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से कम से कम 50 प्रतिशत कम कर देगा।
- यह यूरोपीय संघ की एक योजना है, जिसे कार्बन तटस्थता लक्ष्य प्रदान करने के लिये "फिट फॉर 55" कहा जाता है, यूरोपीय आयोग ने अपने सभी 27 सदस्य देशों को 2030 तक 1990 के स्तर से 55 प्रतिशत कम उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कहा है।

- चीन ने यह भी घोषणा की कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य स्थिति प्राप्त लेगा और साथ ही अपने उत्सर्जन को 2030 के स्तर से अधिक नहीं होने देगा।

नेट-जीरो गोल क्या है?

- नेट ज़ीरो यानी कार्बन तटस्थता राज्य वह है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की खपत वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन से होती है।
- इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। यह ग्रॉस ज़ीरो होगा, जिसका अर्थ है कि ऐसे राज्य में पहुँचाना जहाँ बिल्कुल भी उत्सर्जन न हो अर्थात् एक ऐसा परिदृश्य जिसे सुलझाना मुश्किल है।
- यह कार्बन सिंक बनाने का एक तरीका है जिसके द्वारा कार्बन को अवशोषित किया जा सकता है। इस तरह किसी देश के लिये नकारात्मक उत्सर्जन होना भी संभव है, अगर अवशोषण और निष्कासन वास्तविक उत्सर्जन से अधिक हो।
- कुछ समय पूर्व तक दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन, जो दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन हैं, कार्बन सिंक थे। लेकिन इन जंगलों के पूर्वी हिस्सों के महत्त्वपूर्ण वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप इन्होंने कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने के बजाय CO_2 का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है।
- भूटान पहले से ही कार्बन नकारात्मक देश है अर्थात् यह CO_2 के उत्सर्जन की तुलना में अधिक अवशोषण करता है।
- यह तर्क दिया जा रहा है कि 2050 तक वैश्विक कार्बन तटस्थता ही पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, जिसमें पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में ग्रह के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकना है।

ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में क्या चिंता व्यक्त की गई है?

- रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि परिवर्तन की चुनौती का समाधान केवल अधिक-से-अधिक पेड़ लगाकर किया जाता है, तो वर्ष 2050 तक दुनिया से अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को दूर करने के लिये लगभग 1.6 बिलियन हेक्टेयर नए वनों की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर से नीचे सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने हेतु वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से प्रयास किया जाना चाहिये तथा सबसे बड़े उत्सर्जकों द्वारा तेज़ी के साथ वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को वर्ष 2010 के स्तर से 45% की कटौती करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- वर्तमान में उत्सर्जन में कटौती करने की देशों की योजना से वर्ष 2030 तक केवल 1% की कमी आएगी।
- गौरतलब है कि अगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये केवल भूमि आधारित तरीकों (वनीकरण) का इस्तेमाल किया जाए तो खाद्य संकट और भी बढ़ने की आशंका है। ऑक्सफैम का अनुमान है कि यह वर्ष 2050 तक 80% तक बढ़ सकता है।
- ऑक्सफैम की रिपोर्ट से पता चलता है कि यदि संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र जिसका उत्सर्जन बढ़ता रहता है- समान 'शुद्ध शून्य' लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसे दुनिया भर में सभी कृषि भूमि के एक-तिहाई के बराबर अमेज़न वर्षावन के आकार की भूमि की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

- ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि उत्सर्जन में कमी को उत्सर्जन में कटौती का विकल्प नहीं मानकर बल्कि इन्हें अलग से गिना जाना चाहिए।

जीवाश्म ईंधन और नीतिगत दुविधा

संदर्भ: हाल की अत्यधिक मौसम की घटनाएं

- चीन के हेनान प्रांत में 1.2 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे, जिसे "1,000 साल की बारिश में एक बार" के रूप में रिपोर्ट किया गया था।
- रूस में, साइबेरियाई शहर याकुत्स्क, जो अपने शून्य से कम सर्दियों के तापमान के लिए जाना जाता है, को आसपास के 200 जंगल की आग के धुएं के कारण "सबसे खराब वायु प्रदूषण" का सामना करना पड़ा।
- यूरोप में, जर्मनी और बेल्जियम में अचानक आई बाढ़ ने लगभग 200 लोगों की जान ले ली। और उत्तरी अमेरिका में, शहर दर शहर अभूतपूर्व रूप से उच्च तापमान से झुलस गया।
- जलवायु परिवर्तन के कारण हुए विनाश की इस पृष्ठभूमि में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक नीतिगत दुविधा का सामना करना पड़ रहा है - जब लगभग 85% जीवाश्म ईंधन अभी भी आयात किया जाता है, तो आत्म निर्भर की अनिवार्यता के सामने आपूर्ति-पक्ष की प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित कैसे किया जाए।

तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र को परेशान करने वाले मुद्दे

1. भारत में अन्वेषण और उत्पादन (EP) एक उच्च जोखिम वाली गतिविधि है

- हालांकि भारत के पास पर्याप्त हाइड्रोकार्बन भंडार है, जैसा कि हमारे पेट्रोलियम वैज्ञानिकों ने दावा किया है, इन भंडारों का पता लगाना आसान नहीं है और यहां तक कि होने पर भी वाणिज्यिक आधार पर विकसित करना और उत्पादन करना मुश्किल है।
- हाल ही में खोजे गए भंडारों में से अधिकांश जटिल भूगर्भीय संरचनाओं और कठोर भूभाग (हिमालयी तलहटी या गहरे पानी के अपतटीय) में हैं।

- पेट्रोलियम बाजार की लंबी अवधि की संरचनात्मक नरमी के कारण ईपी का जोखिम अधिक है (अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम बाजार में कीमतों में गिरावट)।

2. खराब उत्पादकता

- भारत में औसत तेल वसूली दर लगभग 28 प्रतिशत थी। अर्थात खोजे गए प्रत्येक 100 अणुओं में से केवल 28 का मुद्रीकरण किया गया था।
- तुलनीय भूविज्ञान के क्षेत्रों के लिए यह संख्या लगभग 45 प्रतिशत के वैश्विक औसत के साथ अच्छी तरह से तुलना नहीं करती है।
- यह कठिन भूविज्ञान, अक्षम सार्वजनिक उपक्रमों और आधुनिक तकनीकों की कमी जैसे कारकों के कारण है।

3. बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील

- तेल और प्राकृतिक गैस को अप्रत्याशित आपूर्ति व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है।
- पूर्व-कोविड, भारत ने लगभग 4.5 मिलियन बैरल तेल का आयात किया, जिसमें से 50 प्रतिशत या तो मध्य पूर्व मुख्य रूप से सऊदी अरब, इराक और ईरान से आया था।
- यह क्षेत्र गहरे राजनीतिक और सामाजिक दोषों का सामना करता है और यह नहीं पता कि हमारी आपूर्ति लाइनें कब टूट सकती हैं।

4. अनेक सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति

- अपस्ट्रीम क्षेत्र में ओएनजीसी बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल और गेल जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा की "परिहार्य" लागतों और "उप-स्तरीय" के संचालन की अक्षमताओं को कम करेगा।

आगे की राह

- संवर्धित तेल वसूली (EOR) तकनीक का उपयोग करना जो घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला मार्ग प्रदान करती है।
- लगभग 35 दिनों (वर्तमान में 12 दिन) के बफर स्टॉक जैसे आकस्मिक सुरक्षा उपायों का निर्माण करना ताकि अंतरराष्ट्रीय झटकों को कम किया जा सके। यह जामनगर में एक गुफा का निर्माण करके किया जाना चाहिए, जो कि भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 60% प्राप्त करता है और टैंकों तथा पाइपलाइनों के माध्यम से भीतरी इलाकों की रिफाइनरियों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों का पुनर्गठन और अपस्ट्रीम परिसंपत्तियों को ओएनजीसी के तहत समेकित किया जाना चाहिए (बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल और गेल की अपस्ट्रीम परिसंपत्तियां ओएनजीसी को हस्तांतरित होनी चाहिए) और गेल को एक सार्वजनिक उपयोगिता गैस पाइपलाइन कंपनी में विभाजित किया जाना चाहिए। इसके बाद कंपनियों को "ऊर्जा" उद्यम बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन से परे देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

फ्लोरिडा में लाल ज्वार

संदर्भ: फ्लोरिडा की खाड़ी में हाल ही में एक लाल ज्वार जीव, 'करेनिया ब्रेविस' (Karenia Brevis) शैवाल का खिलना देखा गया।

हाल के ब्लूम के बारे में

- यह बताया गया है कि इस साल की शुरुआत में टैंपा खाड़ी में 215 मिलियन गैलन दूषित पानी छोड़े जाने के कारण फ्लोरिडा के मैक्सिको तट की खाड़ी में अल्गल खिलने की समस्या बढ़ गई है।
- मार्च और अप्रैल 2021 में सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास एक निष्क्रिय फॉस्फेट अपशिष्ट जल संयंत्र से पानी छोड़ा गया था, ताकि इसके पतन को रोका जा सके।
- करेनिया ब्रेविस, एक प्रकार का शैवाल जिसे आमतौर पर 'रेड टाइड' के रूप में जाना जाता है, ने फ्लोरिडा के मैक्सिको तट की खाड़ी को बहा दिया है, जिससे अकेले टैंपा खाड़ी और उसके आसपास 1,400 टन मछलियाँ मर गई हैं।
- मछली के अलावा, इस शैवाल खिलने से समुद्र तट पर कछुए, मानेतीस और डॉल्फ़िन भी मारे गए हैं।
- इसकी उत्पत्ति पिछले साल दिसंबर में एक और लाल ज्वार से हुई है।

फ्लोरिडा के लाल ज्वार के बारे में

- अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध HABs की घटना फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर लगभग हर गर्मियों में घटित होती है।
- हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन (HABs) की प्रक्रिया तब होती है जब शैवाल समूह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और व्यक्तियों, मछलियों, शंख, समुद्री स्तनधारियों तथा पक्षियों पर विषाक्त या हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं।
- विषाक्त पदार्थ आसपास की हवा को सांस लेने में भी मुश्किल बना सकते हैं।

लाल ज्वार क्या है?

- लाल ज्वार समुद्र की सतह के मलिनकिरण की एक घटना है।
- राइड टाइड फ़ाइटोप्लांकटन द्वारा बनाए गए खिलने का एक सामान्य नाम है करेनिया ब्रेविसा, एक प्रजाति जो ब्रेवेटॉक्सिन नामक एक न्यूरोटॉक्सिन छोड़ती है जो तंत्रिका कोशिकाओं की फायरिंग को बाधित कर सकती है,
- यह तटीय क्षेत्रों में होने वाले हानिकारक शैवालीय प्रस्फुटन का एक सामान्य नाम है, जो जलीय सूक्ष्मजीवों, जैसे

प्रोटोजोवा और एककोशिकीय शैवाल (जैसे डाइनोफ्लैगलेट्स और डायटम) की बड़ी सांद्रता के परिणामस्वरूप होते हैं।

- हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन (HABs) की प्रक्रिया तब होती है जब शैवाल समूह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और व्यक्तियों, मछलियों, शंख, समुद्री स्तनधारियों तथा पक्षियों पर विषाक्त या हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं।
- लेकिन सभी शैवाल खिलना हानिकारक नहीं होते हैं। अधिकांश फूल, वास्तव में, फायदेमंद होते हैं क्योंकि छोटे पौधे समुद्र में जानवरों के लिए भोजन होते हैं। वास्तव में वे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं जो समुद्री खाद्य जाल को ईंधन देते हैं।
- लाल ज्वार में पाए जाने वाले गोनौलैक्स जैसे फाइटोप्लांकटन और डाइनोफ्लैगलेट्स की कुछ प्रजातियों में प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं जो भूरे से लाल रंग में भिन्न होते हैं।
- इन जीवों में इतनी तेजी से वृद्धि होती है कि वे समुद्र को लाल कर देते हैं।

HABs को क्या प्रेरित करता है?

- स्थलीय अपवाह जिसमें उर्वरक, सीवेज और पशुधन अपशिष्ट प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों को समुद्री जल में ले जाते हैं और ब्लूम की घटनाओं को प्रेरित करते हैं।
- इस तरह नदी में आई बाढ़ के रूप में या प्राकृतिक कारणों, उमड़ने से पोषक तत्वों का समुद्र तल, अक्सर बड़े पैमाने पर तूफानों के बाद, पोषक तत्व प्रदान करते हैं और ब्लूम की घटनाओं को भी ट्रिगर करते हैं।
- बढ़ते तटीय विकास और जलकृषि भी लाल ज्वार की घटना में योगदान करते हैं।
- शैवाल के खिलने की वृद्धि और दृढ़ता हवा की दिशा और ताकत, तापमान, पोषक तत्वों और लवणता पर निर्भर करती है।

लाल ज्वार/HABs का प्रभाव

- प्राकृतिक विषाक्त पदार्थों जैसे ब्रेवेटोक्सिन और इचिथियोटॉक्सिन विषाक्त पदार्थों का उत्पादन समुद्री जीवन के लिए हानिकारक हैं।
- हालांकि, शैवाल का एक छोटा भाग शक्तिशाली विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है जो मछली, शंख, स्तनधारियों और पक्षियों को मार सकता है और लोगों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमारी का कारण बन सकता है।
- एचएबी में गैर-विषैले प्रजातियों के फूल भी शामिल हैं जिनका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
- उदाहरण के लिए जब शैवाल के समूह मर कर विघटित हो जाते हैं, तो सड़ने के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि जानवर या तो क्षेत्र छोड़ देते हैं या मर जाते हैं।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर प्रगति

संदर्भ: भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की प्रगति धीमी है।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता क्या है?

- अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता या भारत-अमेरिका परमाणु समझौता या भारत सरकार 123 समझौते (या यू.एस.-भारत असैनिक परमाणु समझौते) पर 2005 में हस्ताक्षर करने के लिये सहमत हुई।
- इस समझौते के अंतर्गत, भारत अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु गतिविधियों को अलग करने पर सहमत हुआ।
- यह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (Atomic Energy Agency-IAEA)) द्वारा निरीक्षण के लिए नागरिक हिस्से को खोलने पर भी सहमत हुआ।
- रक्षोपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असैन्य उद्देश्यों के लिए लाई गई परमाणु सामग्री या प्रौद्योगिकी को सैन्य उपयोग के लिए मोड़ा नहीं गया है। भारत अपनी 22 प्रचालनरत/निर्माणाधीन परमाणु सुविधाओं में से 14 को आईएईए सुरक्षा के तहत रखेगा।
- समझौते को अंतिम रूप देने में तीन साल लगे, जिसके दौरान यह कठिन चरणों की एक श्रृंखला से गुजरा जिसमें शामिल थे
  - यू.एस. घरेलू कानून का संशोधन।
  - भारत में असैन्य-सैन्य परमाणु पृथक्करण योजना तैयार करना।
  - भारत-IAEA सुरक्षा उपाय (निरीक्षण) समझौता।
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा भारत के लिए छूट प्रदान करना।
- इसके बदले में अमेरिका ने भारत के साथ पूर्ण परमाणु व्यापार अर्थात रिएक्टरों की बिक्री, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यूरेनियम की बिक्री आदि को पुनः शुरू करने की पेशकश की।
- इसके अलावा यह समझौता भारत के रणनीतिक कार्यक्रम में "गैर-हस्तक्षेप" के खंड को भी निर्धारित करता है।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- विखंडनीय सामग्री: परमाणु ईंधन के रणनीतिक भंडार के विकास में बेहतर पहुंच और सहायता।

भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा

- अमेरिका और विकसित देशो से बेहतर तकनीकों तक पहुंच।
- भारत को एक वास्तविक परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देना है।
- **संबंधों का डी-हाइफ़नेशन (De-hyphenation):** इस्लामाबाद में असैन्य परमाणु पहल का विस्तार करने से इनकार करते हुए, वाशिंगटन ने दिल्ली और इस्लामाबाद के

साथ अपने संबंधों में हाइफ़न हटा दिया। वर्ष 2005 के बाद से, खासकर कश्मीर के सवाल पर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के विचार को खारिज कर दिया।

- सौदे (Deal) का इस्तेमाल भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के लिए लॉन्चपैड के रूप में किया गया था।
- अमेरिका भारत के हथियारों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है।
- पिछले एक दशक में आतंकवाद का मुकाबला करने और खुफिया सूचनाओं को साझा करने पर सहयोग का तेजी से विस्तार हुआ है।
- अमेरिका वस्तुओं और सेवाओं में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, और दोनों पक्षों ने भविष्य के व्यापार के लिए आधा ट्रिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- लोगों के बीच संपर्क की गहनता और अमेरिका में 30 लाख मजबूत भारतीय डायस्पोरा की उपस्थिति से बढ़ते हुए वाणिज्यिक जुड़ाव को मजबूती मिली है।
- वर्ष 2008 के समझौते के बाद से अमेरिका द्वारा भारत को परमाणु रिएक्टरों की बिक्री पर चर्चा की जा रही है, इसके बाद के दो समझौतों पर केवल वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किये गए थे।

1. तटीय आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में परमाणु ऊर्जा परियोजना

- वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी (WEC) के सहयोग से छह रिएक्टर स्थापित करने के लिये एक परियोजना प्रस्ताव की घोषणा की गई है, लेकिन अभी काम शुरू होना बाकी है।
- इस समावेश में 1208 मेगावाट (मेगावाट इलेक्ट्रिक) क्षमता की छह रिएक्टर इकाइयां शामिल होंगी।
- ये हल्के जल रिएक्टर हैं जहां पानी का उपयोग शीतलक और मॉडरेटर दोनों के रूप में किया जाता है। (तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र में इसी तरह की तकनीक रूस के सहयोग से निर्मित है)।
- हालांकि वर्ष 2017 के मध्य में WEC द्वारा दिवालिएपन के लिए दायर किए जाने के बाद यह परियोजना एक समस्या तले नीचे आ गई, क्योंकि अमेरिका में रिएक्टरों की लागत बढ़ गई थी।
- परिणामस्वरूप, कोवावाड़ा परियोजना में बमुश्किल कोई प्रगति हुई है।

2. परमाणु ऊर्जा परियोजना जैतापुर (महाराष्ट्र)

- फ्राँसीसी राज्य के स्वामित्व वाली ऑपरेटर अरेवा (Areva) से जुड़ी एक अन्य बड़ी परियोजना, जिसे बाद में फ्राँसीसी बिजली उपयोगिता EDF ने अधिग्रहण कर लिया था, में भी देरी हो रही है।
- इसने जैतापुर, महाराष्ट्र में छह रिएक्टरों के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग अध्ययन और उपकरणों की आपूर्ति के लिये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- पता चला है कि EDF ने NPCIL के तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया है जो आने वाले महीनों में एक बाध्यकारी ढांचे के समझौते के उद्देश्य से चर्चा को प्रभावी ढंग से सक्षम करेगा।

क्या आप जानते हैं?

भारत ने 14 अन्य देशों: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका, ब्रिटेन और वियतनाम के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए अंतर सरकारी समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

भारत-नेपाल बाढ़ प्रबंधन

संदर्भ: उत्तर बिहार (मिथिलांचल क्षेत्र) और नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बाढ़।

बाढ़ के भूवैज्ञानिक कारण

- नेपाल से लगे उत्तरी बिहार का एक बड़ा हिस्सा, खड़ी और भूगर्भीय रूप से नवनिर्मित हिमालय में कई नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहता है।
- नेपाल से उत्पन्न, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, महानंदा और अधवारा समूह में उच्च निर्वहन और तलछट खेप ने नेपाल के तराई और बिहार के मैदानी इलाकों में कहर बरपाया।
- पत्थरों, रेत, गाद और तलछट के जमा होने से नदी तल ऊपर उठकर मार्ग बदल रहे हैं और काफी नुकसान हो रहा है। कहा जाता है कि 18वीं सदी और 20वीं सदी के मध्य में कोसी 100 किलोमीटर से अधिक पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानव विस्थापन हुआ।

राजनीतिक कारण

- 1954 की कोसी संधि, जिसके तहत नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रखरखाव किया गया था, भविष्यवादी नहीं थी और तटबंधों के रखरखाव और नदियों के मार्ग को बदलने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं करती थी।
- साथ ही हाल के वर्षों में बाढ़ और जल प्रबंधन के मामलों में नेपाल द्वारा दिखाई गई उदासीनता ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

- परिणामस्वरूप, जलविद्युत उत्पादन के लिए जल संसाधनों के उपयोग को छोड़कर बहुत कुछ नहीं हुआ है।

आगे की राह

- **द्विपक्षीय समझौता:** भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से एक समर्पित अंतर-सरकारी पैनल के गठन की आवश्यकता है, जो बदले में इस साझा संकट का अध्ययन, आकलन और समाधान प्रस्तुत कर सके।
- **जलवायु के प्रति जागरूक विकास:** जलवायु असंतुलन और सतत विकास पर अधिक सुग्राही बनाने की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि वही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सूखे और डूबते जल स्तर के मुद्दे का भी सामना करते हैं।

भारत के स्कूली बच्चों को उनके बचपन की जरूरत है

संदर्भ: भारतीय स्कूलों को 16 महीने के लिए बंद कर दिया गया है और उच्च ग्रेड के छात्रों के लिए छिटपुट रूप से खुलने के अलावा गिनती की जा रही है।

स्कूल बंद का प्रभाव

- व्यक्तिगत रूप से स्कूली शिक्षा बच्चों को साझा करना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, बातचीत करना और समझौता करना सिखाती है; सामाजिक संपर्क से वंचित करके बच्चे आवश्यक शिक्षा और विकास से वंचित रह जाते हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, स्कूल पोषण का एक प्रमुख स्रोत हैं (मध्याह्न भोजन योजना)। स्कूलों को बंद करने का अर्थ है पोषण की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव।
- कुछ के लिए, स्कूल अपने घरों की अव्यवस्था से सुरक्षित स्थान के रूप में काम करते हैं। स्कूलों के बिना वे दूसरों से दुर्व्यवहार और असामाजिक गतिविधियों में फंसने के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- कई बच्चों के लिए, विशेष रूप से जिनके पास शिक्षित माता-पिता नहीं हैं या वे होम ट्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते हैं, शिक्षा से वंचित होने से सीखने की हानि होती है और अंततः, आजीविका कमाने के अवसर से वंचित होना पड़ता है।
- स्कूल बंद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चों में सेरो निगरानी (Sero surveillance) (<18 वर्ष) से पता चलता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के 50% से अधिक बच्चों में एंटीबॉडी थे। इसका मतलब है कि वे पहले से ही संक्रमित होकर एंटीबॉडी विकसित कर चुके थे।
- उन क्षेत्रों में स्कूल शुरू करने के बारे में सोचना संभव है जहां संक्रमण का सामुदायिक स्तर कम है। पूरे भारत में एक आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण काम नहीं करेगा।

तत्काल उपायों के रूप में, सरकारों को चाहिए:

- **टीकाकरण:** स्कूल स्टाफ की सूची मंगवाएं और उनके लिए पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करें।
- **टीके के अंतर को कम करें:** वैज्ञानिकों को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या खुराक के बीच के अंतर को स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समान स्कूल के कर्मचारियों के लिए कम किया जा सकता है।
- **जागरूकता अभियान:** स्कूलों में संचरण के कम जोखिम और बच्चों में कम गंभीरता के बारे में स्कूल के कर्मचारियों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक अभियान चलाने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञों को शामिल करें।
- प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना - उदाहरण के लिए, वैकल्पिक दिनों या हफ्तों में 50% उपस्थिति या छात्रों के छोटे समूह;
- **हाइब्रिड सिस्टम:** सीखने की एक हाइब्रिड प्रणाली की सुविधा के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करें जहां माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनके पास ऑनलाइन सीखने का विकल्प हो।
- स्कूलों द्वारा अपनाए जाने वाले COVID-19 प्रोटोकॉल पर मार्गदर्शन तैयार कर जारी करना - जहाँ तक संभव हो, बाहरी कक्षाओं में मौसम की अनुमति, मास्किंग, हाथ की स्वच्छता और उचित वेंटिलेशन आदि।
- संक्रमण के स्थानीय स्तर पर नज़र रखने के लिए बाल चिकित्सा सुविधाओं में अधिक निवेश और प्रणालियों का कार्यान्वयन।

निष्कर्ष

यूनिसेफ के शिक्षा निदेशक ने कहा, "ऐसे कई देश हैं जहां माता-पिता बाहर जा सकते हैं और एक अच्छा स्टेक डिनर कर सकते हैं, लेकिन उनका सात साल का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। "हमें उस समस्या को ठीक करने और अपने छोटे बच्चों को उनका बचपन वापस देने के लिए एक साथ आने की जरूरत है।

अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट

संदर्भ: नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) अपनी स्थिरता खो रहा है और 21वीं सदी में इसके कम होने की संभावना है।

AMOC क्या है?

- यह महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है।

- यह महासागरीय कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन (THC) की अटलांटिक शाखा है और दुनिया भर की महासागरीय घाटियों में ऊष्मा तथा पोषक तत्त्व वितरित करती है।
- AMOC उष्ण कटिबंध से उत्तरी गोलार्द्ध की ओर गर्म सतही जल ले जाता है, जहाँ यह ठंडा होकर समाहित हो जाता है।
- यह फिर उष्णकटिबंधीय और उसके बाद दक्षिण अटलांटिक में नीचे की धारा के रूप में वापस आता है।
- वहाँ से इसे अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट के माध्यम से सभी महासागरीय घाटियों में वितरित किया जाता है।
    - अंटार्कटिक सर्कम्पोलर धारा (Antarctic Circumpolar Current) दक्षिणी महासागर की सबसे महत्त्वपूर्ण धारा है, यह एकमात्र धारा है जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है।

AMOC की गिरावट के निहितार्थ:

- गल्फ स्ट्रीम (गर्म धारा), AMOC का एक हिस्सा, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ-साथ यूरोप की जलवायु के लिये एक ज़िम्मेदार कारक है। AMOC और गल्फ स्ट्रीम के कमज़ोर पड़ने से यूरोप को भीषण ठंड का सामना करना होगा।
- AMOC के कमज़ोर होने से उत्तरी गोलार्द्ध ठंडा हो जाएगा तथा यूरोप में वर्षा कम होगी।
- इसका प्रभाव अल नीनो पर भी पड़ सकता है।
    - अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है।
- यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी मानसून को स्थानांतरित कर सकता है।
- ग्रीनलैंड-आइसलैंड-नार्वेजियन समुद्रों और ग्रीनलैंड के दक्षिण में समुद्री बर्फ में वृद्धि होगी और उष्णकटिबंधीय अटलांटिक में दक्षिण की ओर वर्षा-बेल्ट प्रवासन होगा।
- पिछले मॉडलों ने AMOC की स्थिरता को कम करके आंका था क्योंकि यह मीठे पानी के प्रभाव को नहीं देखता था। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों और आर्कटिक क्षेत्र के पिघलने से ताजा पानी परिसंचरण को कमजोर बना सकता है क्योंकि यह खारे पानी की तरह घना नहीं है और नीचे तक नहीं डूबता है।

क्या AMOC पहले कमजोर हुई है?

- AMOC और थर्मो-हैलाइन परिसंचरण शक्ति में हमेशा उतार-चढ़ाव रहा है, मुख्य रूप से यदि हम देर से प्लीस्टोसिन समय अवधि (पिछले 1 मिलियन वर्ष) को देखें।
- अत्यधिक हिमनद चरणों में AMOC में कमजोर परिसंचरण और मंदी देखी गई है, जबकि हिमनद समाप्ति ने एक मजबूत AMOC और परिसंचरण दिखाया है।
- लेकिन पिछले 100-200 वर्षों में हमारे द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन मानवजनित हैं और ये अचानक परिवर्तन AMOC को अस्थिर कर रहे हैं, जो प्रणाली को ध्वस्त कर सकता है
- फरवरी में, शोधकर्ताओं ने नोट किया कि AMOC एक सहस्राब्दी में अपने सबसे कमजोर स्तर पर है।
- अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक AMOC अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। लगभग 1850 में छोटे हिमयुग के अंत के साथ, समुद्र की धाराओं में गिरावट शुरू हो गई, 20वीं सदी के मध्य के बाद से दूसरी अधिक तीव्र गिरावट हुई।

AMOC धीमा क्यों हो रहा है?

- जलवायु मॉडल ने लंबे समय से भविष्यवाणी की है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की प्रमुख महासागर प्रणालियों के कमज़ोर होने का कारण बन सकता है।
- **आर्कटिक का पिघलना:** जुलाई 2021 में शोधकर्त्ताओं ने देखा कि आर्कटिक की बर्फ का एक हिस्सा जिसे "लास्ट आइस एरिया" कहा जाता है, भी पिघल गया है। पिघलने वाली बर्फ से निर्मित ताज़ा जल दूसरे जल की लवणता और घनत्व को कम करता है। अब पानी पहले की तरह बहने में असमर्थ है और AMOC प्रवाह को कमज़ोर करता है।
- **हिंद महासागर का गर्म होना:** जैसे-जैसे हिंद महासागर तेजी से गर्म होता है तो यह अतिरिक्त वर्षा उत्पन्न करता है। हिंद महासागर में इतनी अधिक वर्षा के साथ, अटलांटिक महासागर में कम वर्षा होगी, जिससे अटलांटिक के उष्णकटिबंधीय हिस्से के पानी में उच्च लवणता होगी।
    - अटलांटिक में यह खारा पानी, AMOC के माध्यम से उत्तर की ओर आता है, सामान्य से बहुत जल्दी ठंडा होकर तेजी से डूब जाएगा।
    - यह परिसंचरण को तेज करते हुए AMOC के लिए एक त्वरित शुरुआत के रूप में कार्य करेगा।

निष्कर्ष

- अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को जारी रखते हैं, तो जलवायु मॉडल की नवीनतम पीढ़ी के अनुसार 2100 तक 34 से 45 प्रतिशत तक गल्फ स्ट्रीम सिस्टम कमजोर हो जाएगा।
- हमें यह आकलन करने के लिए कि AMOC वास्तव में अपनी महत्वपूर्ण सीमा से कितनी दूर या कितना करीब है, हमें प्रस्तुत अवलोकन साक्ष्य के साथ अपने मॉडलों का मिलान करने की तत्काल आवश्यकता है।

सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021

सुर्खियों में: हाल ही में सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया।

- बिल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 में संशोधन करता है।
- एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) एक साझेदारी फर्म और एक कंपनी का एक संकर मॉडल है, जिसमें कुछ या सभी भागीदारों (अधिकार क्षेत्र के आधार पर) की सीमित देनदारियाँ हैं।
- एलएलपी में प्रत्येक पार्टनर दूसरे पार्टनर के दुराचार या लापरवाही के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- एलएलपी में भागीदार केवल पूंजी में उनके द्वारा पूर्व में सहमत योगदान की सीमा तक ही उत्तरदायी होते हैं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

- **कुछ अपराधों को गैर आपराधिक बनाना:** एक्ट में एलएलपीज़ के काम करने के तरीके को निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रावधान करता है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा: (i) एलएलपी के पार्टनर्स में बदलाव, (ii) रजिस्टर्ड कार्यालय में बदलाव, (iii) स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट और सॉल्वेंसी तथा वार्षिक रिटर्न को फाइल करना, और (iv) एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स या पार्टनर्स के बीच समझौता और एलएलपी का रीकंस्ट्रक्शन या विलय।
- **LLP के नाम में बदलाव:** यह एक्ट केंद्र सरकार को जुर्माना लगाने के बजाय ऐसे एलएलपी को एक नया नाम आवंटित करने का अधिकार देता है।
- **धोखाधड़ी की सजा:** इस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई LLP या उसके सहयोगी अपने लेनदारों को धोखा देने के लिए कोई गतिविधि करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जानबूझकर पांच साल तक की कारावास की अधिकतम अवधि के लिए दंडनीय है।
- **अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन न करना:** एक्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश का पालन न करने के अपराध को हटा दिया है।
- **अपराधों की कंपाउंडिंग:** एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार उन अपराधों को कंपाउंड कर सकती है, जिस पर सिर्फ जुर्माना लगता है। कंपाउंडिंग की राशि उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम राशि से अधिक नहीं हो सकती। बिल इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय निदेशक (या उससे ऊंचे रैंक का कोई अधिकारी) इन अपराधों की कंपाउंडिंग कर सकता है। कंपाउंडिंग की राशि उस अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम जुर्माने के बीच होनी चाहिए।
- **न्याय निर्णायक अधिकारी:** एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जो एक्ट के अंतर्गत सजा दे सकते हैं। ये केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे जो रजिस्ट्रार के रैंक से नीचे के रैंक के नहीं होंगे।
- **विशेष अदालतें:** एक्ट के अंतर्गत अपराधों की त्वरित सुनवाई को सुनिश्चित करने के लिए बिल केंद्र सरकार को विशेष अदालतों की स्थापना की अनुमति देता है।
- **अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील:** एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील की जाती है। बिल कहता है कि अगर आदेश पक्षों की सहमति से दिया गया है तो उन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। आदेश के 60 दिनों के भीतर अपील की जानी चाहिए (जिसे 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है)।
- **छोटी एलएलपी:** बिल में छोटे एलएलपी के गठन का प्रावधान है, जहां (i) पार्टनर्स का योगदान 25 लाख रुपए तक है (इसे पांच करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है), (ii) पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है (इसे 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है)। केंद्र सरकार कुछ एलएलपीज़ को स्टार्ट-अप एलपीज़ के तौर पर अधिसूचित भी कर सकती है (अधिसूचना के जरिए मान्यता)।
- **एकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स:** बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार राष्ट्रीय फाइनांशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की सलाह से एलएलपीज़ की श्रेणियों के लिए एकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मानदंड निर्दिष्ट कर सकती है।

वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण

सुर्खियों में: हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (GYTS-4) के चौथे चरण की शुरुआत की गई।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- भारत में 29% से अधिक छात्र सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में थे।
- पिछले एक दशक में स्कूल जाने वाले 13-15 वर्ष के बच्चों में तंबाकू के सेवन में 42 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- अन्यथा, किसी भी शैली के तम्बाकू का प्रयोग लड़कों में अधिक था।
- स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन करने वाले अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में सबसे अधिक तथा हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में सबसे कम थे।
- सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले 38 प्रतिशत, बीड़ी का इस्तेमाल करने वाले 47 प्रतिशत और धूम्रपान रहित तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले 52 प्रतिशत ने 10 वर्ष की आयु से पूर्व ही तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर दिया।

स्कूली बच्चों में धूम्रपान पर अंकुश लगाने के सुझाव

- तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों और उनके माता-पिता के बीच जागरूकता पैदा करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
- तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों को प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही विभिन्न स्तरों पर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उपाय	विशेषताएं
विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC)	• भारत ने 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) की पुष्टि की। • इसे तंबाकू महामारी के वैश्वीकरण के जवाब में विकसित किया गया था। • यह एक साक्ष्य-आधारित संधि है जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर के अधिकार की पुष्टि करती है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003	• इसने 1975 के सिगरेट अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया। • भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन तथा व्यापार और वाणिज्य के विनियमन और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को प्रतिबंधित करता है।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), 2008	• **उद्देश्य:** तंबाकू की खपत को नियंत्रित करना और तंबाकू के सेवन से संबंधित मौतों को कम करना। • **गतिविधियाँ:** प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियां; तंबाकू नियंत्रण कानून; रिपोर्टिंग सर्वेक्षण और निगरानी और तंबाकू समाप्ति।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2020	• यह अनिवार्य था कि निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैकेज के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 85% को कवर करेगी। • इसमें से 60% चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी को कवर करेगा और 25% टेक्स्ट स्वास्थ्य चेतावनी को कवर करेगा। • यह पैकेज के शीर्ष किनारे पर उसी दिशा में स्थित होना चाहिए जिस दिशा में मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र पर जानकारी दी गई है।
एम-सेसेशन कार्यक्रम (mCessation Programme)	• यह तंबाकू छोड़ने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित एक पहल है। • भारत ने सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वर्ष 2016 में टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करते हुए mCessation की शुरुआत की थी। • यह तंबाकू का उपयोग छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति और उन्हें गतिशील समर्थन प्रदान करने वाले कार्यक्रम विशेषज्ञों के बीच दोतरफा संदेश का उपयोग करता है।
प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981	• धूम्रपान को वायु प्रदूषक के रूप में मान्यता दी।
केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अधिनियम 2000	• भारत में तंबाकू और शराब पर विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगा दी।

जलवायु परिवर्तन और भारत पर IPCC की रिपोर्ट

सुर्खियों में: IPCC ने 9 अगस्त को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि मानव गतिविधियां स्पष्ट रूप से वातावरण, महासागर, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल में परिवर्तन के प्रमुख चालक थे, दूसरे शब्दों में जलवायु परिवर्तन के।

IPCC की तकनीकी रिपोर्ट से मुख्य संदेश क्या है?

- रिपोर्ट में कोई संदेह नहीं छोड़ते हुए दावा किया गया है कि विभिन्न गतिविधियों से GHG उत्सर्जन का योगदान ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक आधार है।
    - इन कार्रवाइयों में ऊर्जा और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना, कृषि और कचरे से उत्सर्जन और इमारतों की ऊर्जा प्रोफाइल शामिल हैं।
- पिछला दशक पिछले 1,25,000 वर्षों में किसी भी अवधि की तुलना में अधिक गर्म था। वैश्विक सतह का तापमान 2011-2020 के दशक में 1850-1900 की तुलना में 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
- रिपोर्ट विभिन्न उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत ग्रह के विभिन्न आयामों, जैसे भूमि, महासागरों, पहाड़ों, ध्रुवीय क्षेत्रों,

ग्लेशियरों और जल चक्र पर क्या प्रभाव डालती है, इसका आकलन करने के लिए स्वयं को समर्पित करती है।

- सबसे अच्छी स्थिति में भी, 2081 और 2100 के बीच वैश्विक सतह के तापमान में औसत वृद्धि 1.0 डिग्री सेल्सियस से 1.8 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, जबकि उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में, यह 3.3 डिग्री सेल्सियस से 5.7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है।
- चूंकि पेरिस समझौते की मूल प्रतिज्ञाएं 2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान तक गर्म रखने के लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में गहरी और शीघ्र कटौती आवश्यक है।
- **2015 पेरिस समझौता:** विश्व को औद्योगिक क्रांति से पहले मौजूद स्तरों की तुलना में तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए कार्य करना चाहिए।

निरंतर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव होगा?

- एक गर्म दुनिया का तापमान और वर्षा के अधिक पर एक बड़ा प्रभाव होने का अनुमान है, जिसका मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व और टिकाऊ आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यह "लगभग निश्चित है कि गर्मी की लहरों अधिकांश भूमि क्षेत्रों में अधिक तीव्र हो गए हैं" जैसा कि 1950 के दशक से देखा गया है, जबकि ठंडे लहरों कम हो गए हैं"।
- वैज्ञानिक का विश्वास है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन इन परिवर्तनों का मुख्य चालक है। और इसके अन्य प्रभाव भी हैं।
- जलवायु परिवर्तन ने भूमि के वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों में कृषि और पारिस्थितिक सूखे में वृद्धि में योगदान दिया है, रिपोर्ट में कहा गया है।
- बढ़ी हुई वार्मिंग से पर्माफ्रॉस्ट (ध्रुवीय क्षेत्रों में उपसतह मिट्टी जो साल भर हिमांक बिंदु से नीचे रहती है) के विगलन में वृद्धि होने की उम्मीद है और मौसमी बर्फ के आवरण, भूमि बर्फ और आर्कटिक समुद्री बर्फ के नुकसान की उम्मीद है।
- बढ़ते CO2 उत्सर्जन के परिदृश्य में, ग्रह पर दो बड़े कार्बन सिंक - महासागर और भूमि - वातावरण में CO2 के संचय को धीमा करने में कम प्रभावी हो सकते हैं।
- निरंतर गर्म होने से वैश्विक जल चक्र प्रभावित होगा, इसके परिवर्तनशीलता, वैश्विक मानसून वर्षा और गीली तथा सूखी घटनाओं की गंभीरता के परिणामों के साथ इसे तीव्र किया जाएगा।

भारत में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?

- भारत की प्रमुख चिंताएं वार्षिक मानसून के स्वास्थ्य, हिमालय के ग्लेशियरों के भाग्य, भूमि पर ताप, बाढ़, सूखा और लोगों की भलाई, कृषि और खाद्य उत्पादन पर समग्र प्रभाव के आसपास केंद्रित हैं।
- यहां रिपोर्ट मध्यम विश्वास के साथ कहती है कि "21वीं सदी के दौरान हीटवेव और आर्द्र गर्मी का तनाव अधिक तीव्र और लगातार होगा"।
- साथ ही वार्षिक और ग्रीष्म दोनों मानसूनी वर्षा में वृद्धि होगी, जिसमें वर्षों के बीच उच्च स्तर की परिवर्तनशीलता होगी।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया में विशेष रूप से मानव गतिविधि से एरोसोल उत्सर्जन का 20वीं शताब्दी के दौरान शीतलन प्रभाव था, जिसने बदले में वार्मिंग द्वारा उत्पन्न मानसूनी वर्षा में वृद्धि का प्रतिकार किया। उस एरोसोल प्रभाव को लगातार वार्मिंग से दूर किया जा सकता है, जिससे भविष्य में उच्च स्तर की वर्षा हो सकती है।
- 21वीं सदी के दौरान हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश क्षेत्रों में हिमपात की मात्रा में कमी और हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ने का अनुमान है, जबकि ग्लेशियर की मात्रा में गिरावट की संभावना है, उच्च CO2 उत्सर्जन के परिदृश्य में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

निष्कर्ष

- दुनिया को रिपोर्ट पर ध्यान देकर स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। इसे पेरिस समझौते से परे होकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में गहरी और जल्दी कटौती पर आम सहमति बनानी होगी।

तालिबान का कब्जा: भारत पर प्रभाव

प्रसंग: अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के साथ, तालिबान ने अफगान सरकार को पराजित कर देश में अपना शासन स्थापित किया।

भारत के लिए मुद्दे

- नई दिल्ली के लिए, पहले से ही चीन के साथ LAC और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर शत्रुता का मुकाबला कर रही है, काबुल में एक अमित्र सरकार केवल अपने रणनीतिक विकल्पों को जटिल कर सकती है।
- तालिबान के नियंत्रण का मतलब यह भी होगा कि पाकिस्तान के लिए देश के परिणामों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा हाथ, जो भारत के लिए बहुत छोटी भूमिका को अनिवार्य करेगा, जिसने पिछले 20 वर्षों में बहुत सद्भावना हासिल की है।
- अफ़ग़ानिस्तान में स्थित भारतीय राजनयिकों, कर्मियों और नागरिकों की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनमें से कई भारत वापस आ गए हैं और अफगानिस्तान में राजनयिक उपस्थिति कम से कम कर दी गई है।
- इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट नहीं है, विशेष रूप से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के लिए सरकार के दबाव के आलोक में, जिसमें अन्य उत्पीड़ित अफगान नागरिक शामिल

नहीं हैं, क्या भारत हजारों अन्य लोगों का स्वागत करेगा, जैसा कि उसने पूर्व में किया था।

- तालिबान शासन के अनुसार अफगानिस्तान से व्यापार कराची और ग्वादर से किया जाएगा और चाबहार बंदरगाह में भारतीय निवेश, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को दरकिनार करना है, यह अव्यावहारिक हो सकता है।
- भारत के पड़ोस में बढ़ते कट्टरपंथ और अखिल इस्लामी आतंकवादी समूहों के लिए जगह का खतरा है।
- इन सभी चिंताओं को देखते हुए, भारत के पास चार विकल्प हैं, जिनमें से कोई भी आसान नहीं है-
    - **आदर्शवाद:** भारत केवल काबुल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का समर्थन करने और राजनीतिक तथा मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अपने सिद्धांत पर कायम रह सकता है।
    - **अफगान सेना का समर्थन:** भारत संभवतः ईरानी मार्ग के माध्यम से, गोला-बारूद और वायु शक्ति सहित अफगान सेना की आपूर्ति कर सकता है। तालिबान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत को परिणाम भुगतने होंगे।
    - **तालिबान के साथ जुड़ाव में तेजी लाना:** हालांकि, पाकिस्तान के साथ-साथ इस तथ्य को देखते हुए कि सभी क्षेत्रीय और दाता देशों ने पहले ही ऐसा कर लिया है, इससे भारत को अधिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है।
- प्रतीक्षा करें और देखें, जब तक कि संघर्ष की अराजकता एक विजेता पक्ष को प्रकट न कर दे और उसके अनुसार उसके विकल्पों का मूल्यांकन करें। यह विकल्प तिकड़म लगता है, लेकिन यह "उच्च तालिका" पर भारत की प्रासंगिकता को भी नकारता है जहां अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा की जा रही है।

जनगणना (Census)

सुर्ख़ियों में : कोविड-19 के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और अन्य जनगणना से संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

- आगामी जनगणना (Census 2021) पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें स्व-गणना का प्रावधान है।
- स्व-गणना का तात्पर्य स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा जनगणना सर्वेक्षण प्रश्नावली को पूरा करना है।
- जगणना में आंकड़ों को जुटाने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा।जनगणना से संबंधित गतिविधियों और कार्यों के साथ साथ इसके प्रबंधन के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है।

जनगणना क्या है?

- जनगणना में जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों जैसे- शिक्षा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवासन पर डेटा एकत्र किया जाता है।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय जनगणना करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह देश की आबादी के आकार, वितरण और सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। जो प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार बिना किसी रुकावट के जनगणना की जाती रही है।
- जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना में एकत्र किये गए व्यक्तिगत डेटा को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
    - व्यक्तिगत डेटा का उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) सहित किसी अन्य डेटाबेस को तैयार करने के लिये नहीं किया जाता है।
- विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना के आँकड़े ही जारी किये जाते हैं।

जनगणना के क्या लाभ हैं?

- **साक्ष्य आधारित नीति निर्माण:** किसी समाज की जनसंख्या की गणना करना, उसका वर्णन करना और समझना तथा लोगों की किस तक पहुंच है, और उन्हें किस चीज से बाहर रखा गया है, यह न केवल सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए बल्कि नीति व्यवसायियों और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- **शासन में समानता सुनिश्चित करता है:** आजादी के बाद से, शिक्षा जैसे कुछ मानकों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर समेकित जनगणना डेटा एकत्र किया गया है। यह डेटा सरकार को समाज में मौजूद असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा।
- **परिसीमन अभ्यास:** परिसीमन आयोग ने दशकीय जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित कीं।
- **विकासात्मक उद्देश्य:** व्यवसाय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि कारखानों, कार्यालयों और दुकानों का निर्माण कहाँ किया जाए और इससे रोजगार सृजित हो। डेवलपर्स नए घरों के निर्माण और

पुराने पड़ोस को पुनर्जीवित करने के लिए जनगणना का उपयोग करते हैं।

- **सहकारी संघवाद:** राज्यों और स्थानीय सरकारों को केंद्र सरकार के फंड, अनुदान और समर्थन जनसंख्या के योग और लिंग, आयु, जाति और अन्य कारकों के आधार पर टूटने पर विचार करते हैं।
- **शासन में नागरिक भागीदारी:** 1941 की जनगणना पर टिप्पणी करते हुए, जनगणना आयुक्त येट्स (Yeatts) ने कहा कि, "सामुदायिक आंकड़ों में तीव्र रुचि के लिए धन्यवाद, व्यावहारिक रूप से सभी समुदाय इस बार जनगणना के प्रति जागरूक थे और यह देखने के लिए कि उनके घर सूची में थे कि वे आप ही गिने गए।" इस प्रकार जनगणना सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र प्रकृति में सहभागी है।

जनगणना की आलोचना

- **विशेष पूछताछ के लिए अनुपयुक्त:** 1941 की जनगणना के लिए भारत के जनगणना आयुक्त W.W.M.येट्स (Yeatts) ने कहा था कि, "जनगणना एक विशाल, अत्यधिक शक्तिशाली, लेकिन विशेष जांच के लिए अनुपयुक्त साधन है"।
- **समाज की व्यापक समझ प्रदान नहीं कर सकते:** कुछ विद्वान जनगणना को डेटा संग्रह प्रयास और शासन की तकनीक दोनों के रूप में मानते हैं, लेकिन एक जटिल समाज की विस्तृत और व्यापक समझ के लिए पर्याप्त उपयोगी नहीं हैं।
- **जाति जनगणना की जटिलता:** जाति और उसकी जटिलताओं को पकड़ने की यह बड़ी प्रशासनिक उपयोग न केवल कठिन है, बल्कि सामाजिक रूप से भी अक्षम्य है। यह तर्क दिया जाता है कि जाति की गणना संदर्भ-विशिष्ट हो सकती है, और इस प्रकार मापना मुश्किल हो सकता है।
- **जातिगत जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव:** इस बात को लेकर चिंताएं रही हैं कि जाति की गिनती से पहचान को मजबूत या सख्त करने में मदद मिल सकती है जो राष्ट्रीय पहचान के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- **समय अंतराल और योजना:** उदाहरण के लिए SECC के लगभग एक दशक बाद, बड़ी मात्रा में डेटा जारी नहीं किया गया है। डेटा विलंब का सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि डेटा जारी नहीं किया जाता है।

आगे की राह

- बेहतर सहयोग की आवश्यकता: जबकि जनगणना अधिकारी पारदर्शिता की नीति के हिस्से के रूप में कार्यप्रणाली पर दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, जनगणना और SECC के पदाधिकारियों के साथ-साथ शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के बीच घनिष्ठ और निरंतर जुड़ाव की आवश्यकता है।
- **पिछली जनगणना से सीखना:** एक और SECC आयोजित करने से पहले, पिछले अभ्यास का एक जायजा लेना, इससे क्या सीखा गया है और कौन से परिवर्तन आवश्यक हैं, राज्य समर्थन के लाभार्थियों के लिए बहिष्करण मानदंड बदलने से परे, प्रभावी नीति कार्य और अकादमिक प्रतिबिंब को सुविधाजनक बनाने के लिए जनगणना को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जनहित और मुक्त भाषण पर प्रतिबंध

सुर्ख़ियों में: हाल के एक फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक खंडपीठ ने अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर एक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया।

मामले की पृष्ठभूमि क्या है ?

- इस मामले में नौ याचिकाएं शामिल थीं जिन्होंने प्रसारण में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नियमों को चुनौती दी थी।
- याचिकाकर्ताओं के तर्क का जोर यह था कि ट्राई के आर्थिक नियम ब्रॉडकास्टर प्रोग्रामिंग के प्रसार को प्रतिबंधित करते हैं, प्रसारक के प्रसार के अधिकार और उपभोक्ता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, दोनों ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के मुख्य घटक हैं।
- हालाँकि, बंबई उच्च न्यायालय ने ट्राई के आर्थिक नियमों को बरकरार रखा और माना कि "जनहित" एक अतिरिक्त आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर राज्य स्वतंत्र भाषण को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी कर सकता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की तीन बातों पर आलोचना हो रही है।

1. न्यायिक धोखा

- माना जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध संसद द्वारा अनुच्छेद 19(2) में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लगाया गया था।
- इस फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को खत्म कर दिया और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायकों के लिए आरक्षित मैदान पर कदम रखा। न्यायपालिका का प्राथमिक कर्तव्य कानूनों की व्याख्या करना है, न कि उन्हें बनाना।

2. राज्य द्वारा अधिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता है

- भारतीय कानूनी भाषा में जनहित एक तरल संरचना है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है, और इसका उल्लेख कई विधियों में मिलता है, जो अक्सर शासन के अधिक गैर-पारदर्शी तत्वों को सही ठहराते हैं।

- प्रसारण में बोलने की स्वतंत्रता पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में जनहित जैसी अस्पष्ट धारणा को पढ़कर, अदालत ने टेलीविजन सामग्री, विशेष रूप से समाचारों में राज्य के अधिक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया।
- यह आरोप लगाया जाता है कि उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और राज्य की शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करने में विफल रहा।

3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक वरीयता के विरुद्ध
   - बंबई उच्च न्यायालय ने भाषण की स्वतंत्रता पर एक निहित प्रतिबंध के रूप में जनहित को पढ़ने के मामले पर न्यायिक मिसाल का पालन नहीं किया।
   - सर्वोच्च न्यायालय जनहित के राजनीतिक आयामों के प्रति सचेत रहा है और यदि वह राज्य को इस आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है।
   - जबकि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत सूचीबद्ध कुछ प्रतिबंधों के साथ आता है, जनहित कभी भी इस पर वैध प्रतिबंध के रूप में संचालित नहीं होता है। साथ ही, अदालतें अनुच्छेद 19(1)(ए) पर निहित प्रतिबंध के रूप में इसके प्रवेश की अनुमति नहीं देती हैं।

क्या आप जानते हैं?

- इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर सार्वजनिक हित को 19 (2) से हटा दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के पास अभिव्यक्ति की फिरौती की स्वंत्रता का अधिकार नहीं है, जब वह चाहता है प्रेस पर अत्यधिक बोझ डालना।

निष्कर्ष

- बंबई उच्च न्यायालय ने, उचित सम्मान के साथ, विधायिका के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया, टेलीविजन पर प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में विफल रहा, और उच्च न्यायालयों द्वारा स्थापित मिसाल की अवहेलना की। आदेश व्यापक चर्चा और समीक्षा के योग्य है।

भारत-अमेरिका संबंध: अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चर्चा के लिए पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की।

- वार्ता के दौरान, ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को बहुत महत्व दिया और आश्वासन दिया कि यह बाइडेन प्रशासन के तहत और मजबूत होता रहेगा।
- अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान, क्वाड वैक्सीन और कोविड-19 महामारी को समाप्त करने के दृढ़ संकल्प पर भी ध्यान केंद्रित किया।

यात्रा के समय का महत्व

- एंटनी ब्लिंकेन की पहली भारत यात्रा अफगानिस्तान में सुरक्षा संकट और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख की पृष्ठभूमि में महत्व रखती है।
- ब्लिंकन और जयशंकर ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सुरक्षा संकट, भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की दृढ़ता और समन्वित कोविड -19 प्रतिक्रिया शामिल हैं।

महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र जिन पर चर्चा हुई

- अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान, भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन की मंशा व्यक्त की और साथ ही COVID-19 और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर सहयोग के महत्व पर जोर दिया। जो मुद्दों में शामिल हैं:

मानवाधिकार मुद्दे:

- व्यापक रूप से यह अपेक्षा की गई थी कि बाइडेन, अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों के लिए नई दिल्ली को पुकारने से पीछे नहीं हटेंगे।
- मानवाधिकार मामलों पर भारत सरकार के रुख के बारे में, ब्लिंकन ने कहा कि प्रत्येक लोकतंत्र एक कार्य प्रगति पर है और यह कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नवीनीकरण करना और लोकतंत्र को मजबूत करता है।
- डाउनग्रेड का कारण यह है कि अमेरिका भारत के खिलाफ बहुत कठोर या आलोचनात्मक कदम उठाएगा क्योंकि वह बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं को परेशान नहीं करना चाहता है।

क्वाड के कार्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड -19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण को माफ करने के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है।
- दोनों देश क्वाड वैक्सीन साझेदारी के साथ मिलकर घातक महामारी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस महामारी को समाप्त करने के लिए दोनों विश्व के नेता होंगे और विश्व स्तर पर इसे सुलभ और सस्ती बनाने के लिए वैक्सीन उत्पादन का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक वार्ता के बारे में, चार समान विचारधारा वाले देश कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने के लिए एक साथ आ रहे हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं।

- यह एक सैन्य गठबंधन नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय चुनौतियों पर सहयोग को आगे बढ़ाना है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय नियमों और मूल्यों को मजबूत करना है जो इस क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता का आधार हैं।
- क्वाड के लिए मुख्य चुनौती इतने सारे विचारों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है जो वह बयान में दावा करता है और अगर वह इसे पूरा करता है तो यह अपनी विश्वसनीयता के लिए घमंड होगा।

अफगानिस्तान में भारी हिंसा:

- अफ़ग़ानिस्तान क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय भारत के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभावों के साथ सबसे अधिक दबाव वाली सुरक्षा चुनौती है।
- नियोजित और धीमी गति से क्रमिक वापसी के बजाय अमेरिका द्वारा अचानक वापसी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
- इसने इस क्षेत्र में अनिश्चितता का स्तर पैदा कर दिया है क्योंकि इस समय क्षेत्रीय हित बहुत भिन्न हैं।
- भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है, जिसमें 2001 से विकास सहायता में 3 अरब डॉलर का अनुदान देना शामिल है, और तालिबान के बाद की सभी सरकारों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। लेकिन भारत को अब चिंता है कि पाकिस्तान और चीन, उसके दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान को भरेगा और अपने प्रभाव को गहरा करेंगे।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बावजूद, अमेरिका देश में लगा रहेगा।
- अफ़ग़ानिस्तान में चल रही हिंसा को ध्यान में रखते हुए, जब तालिबान शहरों पर आक्रमण करता है, जिससे देश में बिगड़ती स्थितियाँ पैदा होती हैं, तो अमेरिका का न केवल वहाँ एक मजबूत दूतावास है, बल्कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हैं जो सुरक्षा सहायता और विकास के माध्यम से देश को आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं।

भारत-प्रशांत क्षेत्र:

- भारत और अमेरिका दोनों आर्थिक मंदी, कोविड सहायता और सुरक्षा परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-प्रशांत क्षेत्र के बारे में आकलन का आदान-प्रदान करेंगे।
- U.S भारतीय लोकतंत्र को एक स्वतंत्र और खुले तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र और खुले विश्व की रक्षा में भलाई के लिए एक ताकत के रूप में देखते हैं।

जलवायु परिवर्तन:

- यह भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, विशेष रूप से हरित सहयोग के साथ-साथ जलवायु वित्त और विकासशील देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की संभावना के रूप में।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों ही दुनिया के उत्सर्जन को कम करने में अपनी अनूठी भूमिका के साथ-साथ जलवायु संकट से निपटने के लिए उनकी पूरक शक्तियों को पहचानते हैं। दोनों ने इस साल अप्रैल में यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप शुरआत की है।
- यह साझेदारी पेरिस समझौते के दोनों लक्ष्यों और जलवायु कार्रवाई तथा स्वच्छ ऊर्जा हेतु 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साझेदारी के माध्यम से, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने तथा जलवायु व स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने हेतु साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Q.1 तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई दलित बंधु योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) महिला सशक्तिकरण
b) स्वास्थ्य बीमा
c) उद्यमिता
d) मुफ्त शिक्षा

Q.2 निम्नलिखित में से कौन UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है?

a) चीन
b) रूस
c) फ्रांस
d) भारत

Q.3 एडीज मच्छर प्रजाति किसके प्रसार के लिए जिम्मेदार है?

a) जीका वायरस
b) चिकनगुनिया
c) डेंगी
d) ऊपर के सभी

Q.4 प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. निवारक निरोध के अंतर्गत एक बंदी को अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

2. निवारक निरोध के लापरवाह उपयोग को रोकने के लिए संविधान में कोई सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं किए गए हैं।

सही कथनों का चयन करें-

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5 APEDA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी के साथ अनिवार्य है।

2. इसे चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

3. यह कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

सही कथनों का चयन करें-

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.6 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह KRMB अधिनियम, 2014 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

2. इस बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण कैबिनेट सचिव के पास है।

सही कथनों का चयन करें-

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7 पूर्वव्यापी कराधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी देश को कानून पारित होने की तारीख के पीछे के समय से कराधान का नियम पारित करने की अनुमति देता है।

2. भारत एकमात्र देश है जहां पूर्वव्यापी कराधान है।

3. यह किसी देश में निवेश करने में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.8 केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना है?

a) दादरा और नगर हवेली
b) दमन और दीव
c) जम्मू और कश्मीर
d) लद्दाख

Q.9 कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक समुद्री और सुरक्षा सहयोग है?

a) भारत, श्रीलंका और म्यांमार
b) श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया
c) श्रीलंका, भारत और मालदीव
d) श्रीलंका, मॉरीशस और सेशेल्स

Q.10 प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल सम्पन्नता हितग्राही (PM-DAKSH) योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?

a) बिजली मंत्रालय
b) वित्त मंत्रित्व
c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
d) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

Q.11 ताड़ के तेल का उपयोग निम्नलिखित में से किस उत्पाद के निर्माण में किया जाता है?

1. डिटर्जेंट
2. प्लास्टिक
3. प्रसाधन सामग्री
4. जैव ईंधन।

सही कथनों का चयन करें-

a) केवल 1 और 2
b) केवल 3
c) केवल 1 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.12 हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच निम्नलिखित में से किसे संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था?

a) बेरोजगारी
b) गरीबी
c) राजनैतिक अस्थिरता
d) जातिवाद

Q.13 भारत में जनगणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?

a) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
b) गृह मंत्रालय
c) नीति आयोग
d) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

Q.14 मारबर्ग वायरस (Marburg virus) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. टेरोपोडिडे परिवार के चमगादड़ (फ्रूट बैट्स), राउसेटस इजिपियाकस को मारबर्ग वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है।
2. मारबर्ग वायरस चमगादड़ (फ्रूट बैट्स) से लोगों में फैलता है और मनुष्यों में नहीं फैलता है।
3. यह उसी परिवार से सम्बंधित है जिसमें वायरस इबोला वायरस रोग का कारण बनता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 2

Q.15 सभी विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:

A. विदेशी अधिनियम, 1946
B. विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
C. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
D. नागरिकता अधिनियम, 1955

नीचे सही उत्तर का चयन करें-

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.16 इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित है।
2. ये IPO के माध्यम से स्टॉक की तरह ही एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होते हैं।

सही कथनों का चयन करें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17 प्रथम द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'एएल - मोहम्मद अल - हिंदी' निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है?

a) भारत और ओमान
b) भारत और बांग्लादेश
c) भारत और यूएई
d) भारत और सऊदी अरब

Q.18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), शीर्ष निकाय है जो GM फसलों के वाणिज्यिक रिलीज की अनुमति देता है।
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत में आयातित फसलों को विनियमित करने के लिए अधिकृत निकाय है।

सही कथनों का चयन करें-

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19 भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 75 वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित गति शक्ति मास्टर प्लान (Gati Shakti Master Plan) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) टैंक रोधी मिसाइल विकास
b) आधारभूत संरचना
c) महिलाओं की सुरक्षा
d) कृषि का मशीनीकरण

Q.20 करेज (Karez), जो खतरे में है, निम्नलिखित में से किस देश में जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली का एक प्रकार है?

a) मंगोलिया
b) अफ़ग़ानिस्तान
c) इंडोनेशिया
d) चिली

Q.21 फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

a) फोर्टीफिकेशन उपभोक्ताओं की आहार संबंधी आदतों में कोई बदलाव किए बिना अक्सर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों या दैनिक स्टेपल को अधिक पौष्टिक बना सकता है।

b) फोर्टिफिकेशन से भोजन के स्वाद, सुगंध, बनावट या रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
c) यदि नियमित और लगातार आधार पर सेवन किया जाता है, तो फोर्टीफ़िएड खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों के शरीर के भंडार को कम कर देंगे।
d) फोर्टिफिकेशन की कुल लागत बेहद कम है।

Q.22 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।

2. यह 1992 में NCM अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ एक अर्ध-न्यायिक निकाय बन गया।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23 TAPAS पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?

a) पर्यावरण मंत्रालय
b) शिक्षा मंत्रालय
c) वित्त मंत्रित्व
d) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

Q.24 स्लेंडर लोरिस (Slender Loris) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. इसकी IUCN स्थिति संकटग्रस्त है।

2. इसे वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत लाया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.25 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. इस अधिकरणों के गठन की शक्तियाँ केवल गृह मंत्रालय के पास हैं।

2. फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर, 1964 और फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के अनुसार स्थापित किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26 ग्रीन बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हरित बांड की पेशकश की आय को इलेक्ट्रिक वाहनों, बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन प्रणाली, जल और सिंचाई प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी 'हरित' परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है।

2. उन्हें केवल वित्तीय संस्थानों द्वारा ही उठाया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.27 यूनाइट अवेयर (UNITE AWARE) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UNITE AWARE संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्रदान करता है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

2. इसे यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीसकीपिंग ऑपरेशंस और ऑपरेशनल सपोर्ट विभाग के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है।

3. UNSC के सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से इस परियोजना के लिए 1.64 मिलियन अमरीकी डालर खर्च किए हैं।

उपरोक्त में से कौन सा गलत है/या गलत हैं ?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.28 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?

a) बिजली मंत्रालय
b) कृषि मंत्रालय
c) MSME मंत्रालय
d) नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय (MNRE) ऊर्जा

Q.29 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ऊन का सातवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

2. भारत में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.30 नारायणकोटि मंदिर कहाँ स्थित है?

a) उत्तराखंड
b) तमिलनाडु
c) हिमाचल प्रदेश
d) मध्य प्रदेश

Q.31 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों संपत्तियां शामिल होंगी।

2. केवल रोडवेज और जलमार्ग क्षेत्रों का मुद्रीकरण किया जाएगा।

3. संपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी की जाएगी।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q.32 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए 'उभरते सितारे (Ubharte Sitaare)' वैकल्पिक निवेश कोष शुरू किया गया है?

a) कृषि
b) शिक्षा
c) MSME
d) खिलाड़ियों

Q.33 हाल ही में खबरों में रहा फतह-1 (Fatah-1), निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) चांद पर कतर का पहला अंतरिक्ष मिशन।
b) पाकिस्तान का स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम।
c) अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान का सफल मिशन।
d) भारत का अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस लाने का मिशन।

Q.34 हाल ही में भारत के पहले स्मॉग टॉवर का निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया था?

a) दिल्ली
b) हरियाणा
c) पंजाब
d) जम्मू और कश्मीर

Q.35 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो एक कैबिनेट मंत्री को उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।

2. दीवानी मामलों में एक केंद्रीय मंत्री या सांसद को संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले, उसकी बैठकों के दौरान और उसके समापन के 40 दिन बाद गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त होती है।

सही कथनों का चयन करें-

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

अगस्त 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1. c
2. d
3. d
4. a
5. a
6. d
7. c
8. d
9. c
10. d
11. d
12. d
13. b
14. c
15. d
16. c
17. d
18. b
19. b
20. b
21. c
22. a
23. d
24. c
25. b
26. a
27. c
28. d
29. c
30. a
31. d
32. c
33. b
34. a
35. c

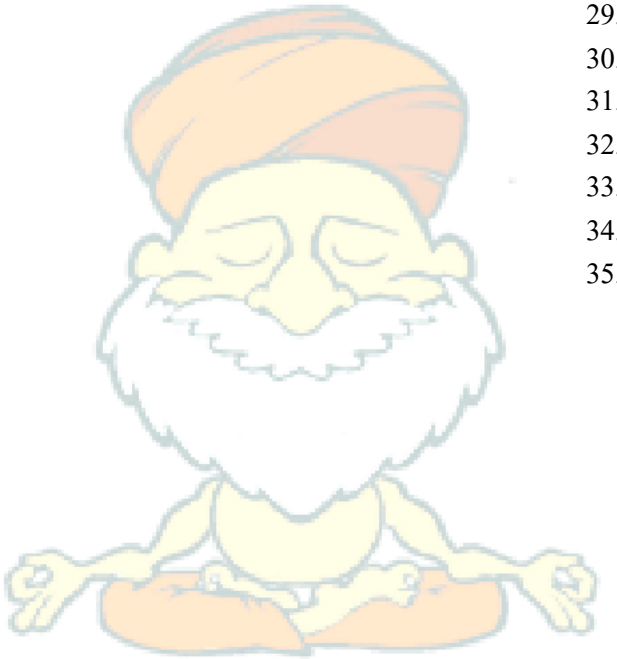

Struggling To Clear UPSC?

The issues might be lack of Consistency / Multiple Books / Inadequate practice / Improper Revision / Misguidance & many more.

To address all these shortcomings, IASbaba is launching its flagship Program

Integrated Learning Program (ILP) - 2022

The Largest Online Self Study Program

1. **DAILY TARGETS**
   Microplanning
2. **VALUE ADDED NOTES**
   (For both Prelims & Mains)
   Well researched, Crisp & Compiled Notes
3. **ESSAY GUIDANCE**
   Directional Videos-
   Model Essays/-
   Best Copies/Topper Copies
4. **MAINS TEST SERIES**
   66 Tests (24 Module wise, 22 Current Affairs,10 Full length & 10 Essay Tests)
   Detailed Synopsis*
5. **PRELIMS TEST SERIES**
   -63 Tests (Module wise & Current Affairs)
   -6 Revision Tests & 5 Full length Tests
   -CSAT Tests
6. **BABAPEDIA FOR CURRENT AFFAIRS**
   -Prelimspedia
   -Mainspedia
7. **STRATEGY CLASSES**
   (For All Subjects)
8. **MIND MAPS**
   (Mains Topics)

Integrated Learning Program (ILP) - 2022

ADD-ONS
Mentorship
Mains Evaluation

TOPPERS TESTIMONIALS

SAUMYA PANDEY
Rank 4 UPSC CSE 2016 – ILP Student

Enrolling in ILP was the best decision for me. I give full credit to IASbaba for my success. Their effort matches their vision of enabling aspirants sitting at the remotest part of the country to secure a single-digit rank in UPSC and my result stands true to it.

SAURABH BHUWANIA
Rank 113 UPSC CSE 2018 – ILP Student

For a working professional and a novice like me something as readymade as Integrated Learning Programme (ILP) in 2017 was so important that I cannot stop thanking for. Even in 2018 preparation. I enrolled for the same and also wrote all the questions which were made available for practice.

New Batches- Enrollments Open!

Available in English & हिंदी

SCAN QR/
Visit Website